द्वितीय माला, खण्ड ६०—अंक ११

Thursday, 7th December, 1961

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. 74
17.1.62

लोक-सभा वाद-विवाद

(पन्द्रहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ६० में अंक ११ से अंक १६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

Preservation Unit
Fumigated
Ou 3.12.83
Parliament Library

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ६०--अंक ११ से १६--२ से ८ दिसम्बर, १९६१/११ से १७ अग्रहायण, १८८३ (शक)]

पृष्ठ

अंक ११--शनिवार, २ दिसम्बर, १९६१/११ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या ४९१, ४९२, ४९४ से ४९६, ४९८, ४९९, ५०१ से ५०५, ५०९, ५१०, ५१३, ५१६, ५१९, ५२१ से ५२४ और ५२६ — १२५९--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३, ४९७, ५००, ५०६ से ५०८, ५११, ५१२, ५१४, ५१५, ५१८, ५२० और ५२५ . १२८५--९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १००१ से १०८१ . १२९०--१३२३

स्थगन प्रस्ताव--

निर्वाचनों में पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादतियां . . १३२३-२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाना

हिन्दुस्तान मोटर्स को विशेष रेलगाड़ी का दिया जाना . १३२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १३२५-२६

राज्य सभा से सन्देश . . . १३२६

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक पटल पर रखे गये १३२६

सदस्य की गिरफ्तारी १३२७

भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के कृत्यों और गतिविधियों के बारे में एक वक्तव्य . . १३२७

सभा का कार्य . . १३२७-२८

विधेयक पुरस्थापित

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . . १३२८

गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक १९६१ . १३२८

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६१ . ., १३२९

वर्ष १९६१-६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) . १३२९--३४

बड़ी रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . १३३४--४१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित---

(१) हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक, १९६१ (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का] , १३४१

विषय	पृष्ठ
(२) चलचित्र उद्योग कर्मचारी (कार्य की दशा में सुधार) विधेयक १९६१ [श्री गोरे का] . .	१३४१
(३) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन) [श्री सं० चं० सामन्त का]	१३४२
(४) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१, [श्री अ० त्रि० शर्मा का] . . .	१३४२
(५) असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक, १९६१ [श्री अमजद अली का]	१३४२
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक, १९६१ [श्री प्रकाशवीर शास्त्री का] अस्वीकृत	१३४३–४७
विचार करने का प्रस्ताव . .	१३४३—४७
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ का संशोधन) [श्री तंगामणि का] वापस ले लिया गया	१३४७–५०
विचार करने का प्रस्ताव	१३४७—५०
दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक, १९५९ (धारा ४८८ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] .	१३५०–५३
विचार करने का प्रस्ताव	१३५०—५३
पटसन का मूल्य विधेयक, १९५९ [श्री झूलन सिंह का] .	१३५३–५४
कार्य मंत्रणा समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन . .	१३५४
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५५—६३
अंक १२—सोमवार, ४ दिसम्बर, १९६१/१३ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२७, ५२९ से ५३१, ५३३ से ५३६ और ५३८ से ५४७	१३६५—८९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२८, ५३२, ५३७ और ५४८ से ५६७ . .	१३९०—१४००
अतारांकित प्रश्न संख्या १०८२ से ११९२ . .	१४००—५०
स्थगन प्रस्ताव—	
१. जामा मस्जिद क्षेत्र में बम विस्फोट . .	१४५०–५२
२. लन्दन हवाई अड्डे पर भारतीयों को उतरने की अनुमति देने से तथाकथित इन्कार	१४५२

विषय	पृष्ठ
३. चौद्वार में उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स का बन्द होना .	१४५२–५३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
ब्रिटेन का राष्ट्रमंडल आप्रवास विधेयक . .	१४५३––५५
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१४५५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१४५५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति––	
छब्बीसवां प्रतिवेदन . .	१४५५
विधेयक पुरस्थापित––	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१ .	१४५६
(२) विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१४५६
कार्य मंत्रणा समिति––	
सड़सठवां प्रतिवेदन . . .	१४५६
चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा .	१४५७––८२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	१४८३––८६
कोयला खान भविष्य निधि योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१४८६––८८
दैनिक संक्षेपिका	१४८९––९६
अंक १३––मंगलवार, ५ दिसम्बर, १९६१/१४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७०, ५७२, ५८८, ५७४ से ५७८, ५९४, ५७९ और ५८० . . .	१४९७––१५२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७३, ५८१ से ५८७, ५८९ से ५९३ और ५९५ से ६१६	१५२३––३८
अतारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १३१७, १३१९ और १३२१ से १३२९	१५३९––९७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
राजहरा और नन्दिनी खानों के दस हजार मजदूरों की कथित छंटनी .	१५९७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१५९८––१६००
तारांकित प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर में शुद्धि . . .	१६००–०१
सरकारी उपक्रमों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव के संबंध में .	१६०१
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१––पारित . .	१६०१–०२
चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा . . .	१६०२––०९

विषय	पृष्ठ
संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . .	१६०९—२३
खंड २, ३ और १	१६२२–२३
पारित करने का प्रस्ताव	१६२३
सभा का कार्य	१६२४
कलिंग एयरलान्इस के बारे में चर्चा	१६२४—२९
दनिक संक्षेपिका	१६३०—३९

अंक १४—बुधवार, ६ दिसम्बर, १९६१/१५ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६१९ से ६२३, ६२३–ख, ६२४, ६२५, ६२५–क, ६२६, ६३० से ६३३ और ६३३–क . .	१६४१—६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२३–क, ६२७ से ६२९, ६३४, ६३५, ६३५–क, ६३५–ख, ६३६ से ६३८, ६३८–क, ६३९ से ६४१, ६४१–क, ६४१–ख, ६४२, ६४२–क, ६४३ से ६४५, ६४५–क और ६४५–ख	१६६५—७६
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १४१७, १४१९ से १४२५, १४२५–क से १४२५–य और १४२५–कक से १४२५–णण . .	१६७६—१७३७
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१७३७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल कृषक संबंध अधिनियम की क्रियान्विति .	१७३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७३८–३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इक्यानवैवां प्रतिवेदन . . .	१७३९
प्राक्कलन समिति—	
एकसौ अड़तालीसवां प्रतिवेदन	१७४०
लोक लेखा समिति—	
उन्तालीसवां प्रस्नाव	१७४०
अनुपस्थिति की अनुमति . .	१७४०
सभा का कार्य . . .	१७४०–४१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	१७४१—४५
नियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६१—पुरस्थापित और पारित .	१७४५–४६

विषय	पृष्ठ
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१--	
विचार करने का प्रस्ताव	१७४६—५०
खंड २ और १ . . .	१७५०
पारित करने का प्रस्ताव	१७५०
विश्वभारती (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	१७५१--६०
खंड २ से १६ और १	१७५९-६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१७६०
दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक--	
पारित करने का प्रस्ताव	१७६०--६४
खंड २ से ४ और १	६७६३-६४
पारित करने का प्रस्ताव	१७६४
लाख पर निर्यात शुल्क के बारे में	१७५४—६७
दैनिक संक्षेपिका .	१७६८--७७
अंक १५--गुरुवार, ७ दिसम्बर, १९६१/१६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४८, ६५१ से ६५८, ६५८-क, ६५९ से ६६२ और ६६५ .	१७७९--१८०२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४९, ६५०, ६६२-क, ६६३, ६६४, ६६६, ६६६-क, ६६७ से ६७२, ६७२-क, ६७२-ख और ६७३	१८०२--०९
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२६ से १५६५ और १५६५-क	१८१०—७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों को काम में न लाना	१८७०-७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८७२-७३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
कार्यवाही सारांश .	१८७३
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति --	
कार्यवाही सारांश .	१८७३
याचिका समिति--	
कार्यवाही सारांश	१८७३
राज्य सभा से सन्देश	१८७३

विषय	पृष्ठ
याचिका समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	१८७४
प्राक्कलन समिति—	
एक-सौ चवालीसवां और एक-सौ छियालीसवां प्रतिवेदन	१८७४
याचिका का उपस्थापन . .	१८७४
तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर में शृद्धि	१८७४
संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन-व्यवस्था के बारे में वक्तव्य	१८७५–७६
धार्मिक न्यास विधेयक	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाना	१८७६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१८७६—१६०२
सभा का कार्य	१६०२
दनिक संक्षेपिका	१६०३—११
अंक १६—शुक्रवार, ८ दिसम्बर, १६६१/१७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७४, ६७५, ६८१, ७१६, ६७६, ६८०, ६८२, ७८३, ६८५ से ६८६, ६६१ और ६६७	१६१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७७, ६७८, ६७६, ६८४, ६६२ से ६६६, ६६८ से ७००, ७००–क, ७०१ से ७१८ और ७२० से ७२२ .	१६३८—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १५६६ से १७०३ और १७०५ से १७१५ .	१६५२—२०१४
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पूर्व जर्मनी में भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को चीन का भाग दिखाने वाले नकशों का प्रकाशन . . .	२०१४–१५
(२) दिल्ली पुलिस द्वारा ६५ प्रतिशत अपराध के मामलों के दर्ज न किये जाने की सूचना .	२०१५
(३) दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता और उसके उपनगरों को बिजली का न दिया जाना	२०१५–१६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) अगरतला में अग्निकांड से कथित मृत्यु तथा सम्पत्ति की हानि	२०१६
(२) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल	२०१६–१७

पृष्ठ

(३) कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग के कारखानों को कोयला संभरण में कमी . . . . २०१७—१८

सूचना का विषय—

सामान्य चुनाव . . . २०१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २०१८—२१

राजखरसवां बड़ाजामदह लाइन को दोहरा करने के बारे में वक्तव्य २०२१

आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश २०२२

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—

(१) कार्यवाही सारांश . २०२२

(२) तेरहवां प्रतिवेदन . २०२२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . २०२२

प्राक्कलन समिति—

एक-सौ तैंतालीसवां, एक सौ पैंतालीसवां और एक सौ सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . २०२२—२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में शुद्धि . . २०२३

व्यापार मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित होने के लिये जैनेवा यात्रा के बारे में वक्तव्य २०२३

कैनेडा की एक फर्म के द्वारा मोटर के पुर्जों के संभरण सम्बन्धी सचिवों की एक विशेष समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . २०२३

बड़ी-बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव २०२३—३२

सभा का कार्य . . २०३२

लौह अयस्क की खानें श्रमिक कल्याण उप-कर विधेयक २०३३—३५

खंड २ से ८ और १ . २०३५

पारित करने का प्रस्ताव

श्री ल० ना० मिश्र २०३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति इक्यानब्बेवां प्रतिवेदन . . . २०३५—३६

गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटाने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . . २०३६—३८

लोक सभा के सदस्यों की वेश भूषा के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . २०३८—४२

विषय	पृष्ठ
अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प .	२०४२—५४
ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२०५५—६०
दैनिक संक्षेपिका . .	२०६१—७३
पन्द्रहवें सत्र की कार्यवाही संक्षेप	२०७३—७५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—1651(AI)LS—11-1-62—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ७ दिसम्बर, १९६१
१६ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कृषि-आर्थिक केन्द्र

†*६४६. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-आर्थिक केन्द्र नामक एक संस्था स्थापित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्य क्या हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रम की क्या विशेषता है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६।**]

†**श्री श्रीनारायण दास :** विवरण से पता लगता है कि अब तक सात अनुसन्धान केन्द्र खोले गये हैं। क्या अन्य राज्यों में जहां ये केन्द्र अभी तक नहीं खोले गये हैं, ये केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं नहीं समझता कि और केन्द्र खोलने की हमने कोई योजना बनाई है। यद्यपि हम कृषि-आर्थिक अनुसन्धान के विस्तार के बारे में, जिसकी अब तक उपेक्षा की गई है, बहुत ही दिलचस्पी लेते हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास :** सात केन्द्र खोले गये हैं? केन्द्रों के स्थान किस आधार पर चुने गये हैं, जबकि अन्य स्थानों को नहीं चुना गया है। चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1646 (Ai) LS—1.

†डा० पं० शा० देशमुख : मेरा ख्याल है कि नामों के पढ़ने से ही पता लग जायेगा।

†श्री चं० द० पाण्डे : वे क्या हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : वे सात स्थान ये हैं। मेरे माननीय मित्र ने नाम पूछे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; गोखले राजनीतिक और आर्थिक संस्था, पूना; मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास; विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन (पश्चिमी बंगाल); कृषि कालिज ग्वालियर (मध्य प्रदेश); आसाम के लिए कृषि कालिज, जोरहाट; गुजरात और राजस्थान के लिए आनन्द ।

†श्री ब्रज राज सिंह : इस केन्द्र का एक काम यह मालूम होता है जैसा कि विवरण में दिया है, कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों में परिवर्ततों का अध्ययन किया जाये । क्या इनमें से किसी केन्द्र में अब तक इस समस्या के इस विशिष्ट पहलू पर कोई अनुसन्धान किया गया है ? यदि कोई अनुसन्धान किया गया है तो क्या भारत सरकार को इस बारे में कुछ कहना है और क्या वे उन पर कार्यवाही करेंगे ?

†डा० पं० शा० देशमुख : इन सब केन्द्रों ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत जांच पड़-ताल की है। किसी भी विशेष विषय के बारे में मैं एकदम कुछ भी बताने में असमर्थ हूं।

†श्री ब्रज राज सिंह : मैं ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों में परिवर्तनों का, प्रश्न के भाग (ग) की मद २ का उल्लेख कर रहा था।

†डा० पं० शा० देशमुख : यदि यह बात है तो भी जांच पड़ताल के परिणामों का उल्लेख अनेक पत्रों में है। मेरे लिए कुछ बताना असंभव है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य रिपोर्ट पढ़ने की कृपा करेंगे। माननीय मंत्री उन्हें पुस्तकालय में भेज देंगे।

†डा० पं० शा० देशमुख : वे बहुत बड़ी-बड़ी हैं।

†अध्यक्ष महोदय : ये सारी रिपोर्टें जनसाधारण के लिए हैं। माननीय सदस्य उन्हें पढ़ेंगे। उनकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। माननीय मंत्री सदस्यों के अध्ययन के लिए एक प्रति यहां भेजने की कृपा करें।

†श्री चं० द० पांडे : क्या सरकार द्रपुर विश्वविद्यालय को सम्मिलित करेगी जो कि टेक्निकल कोपरेशन मिशन के तत्त्वाधान में स्थापित हुई है और जो देश में इस प्रकार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : यह नया विश्वविद्यालय है और निस्संदेह ही अन्य विश्वविद्या-लयों की अपेक्षा भिन्न प्रकार का है। यदि यह सम्भव है तो हम इस पर विचार करेंगे। आजकल ऐसी कोई योजना नहीं है।

†श्री राधा रमण : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कुछ केन्द्रों का उल्लेख किया था जो कि खुलने वाले हैं। सरकार केन्द्रों को क्या अनुदान दे रही है और अनुदान स्वीकार करने का क्या आधार होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं निश्चय ही पूर्ण सूचना चाहता हूं । तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए ५७ लाख रु० का उपबन्ध है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** कहा गया है कि केन्द्र या राज्यों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में ये केन्द्र जांच करेंगे । क्या इन केन्द्रों के व्यय में राज्यों की सरकारें और केन्द्र सरकार हाथ बटायेंगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** केन्द्र में जो भी व्यय होता है, उसमें से अधिकतर में हाथ बटायेंगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यू० पी० एक एग्रीकल्चरिस्ट प्रविंस है और इतना बड़ा प्राविंस है, तो फिर इन अठारह सैंटर्ज में यू० पी० में कोई सैन्टर क्यों नहीं खोला गया ?

डा० पं० शा० देशमुख : भारत एक कृषि देश है । मुझे विश्वास है कि कभी सका भी नम्बर आयेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह एक केन्द्र और खोल देंगे । अगला प्रश्न ।

दिल्ली में बिजली का बन्द हो जाना

†*६४८. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ अगस्त, १९६१ को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली बन्द हो जाने के कारणों भीवताओं की जांच करने और उपभोक्ताओं को पर्याप्त रूप से और नियमित रूप से बिजली के संभरण को सुनिश्चित करने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये समिति नियुक्त कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने जांच पूरी कर ली है और अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये यदि कोई अन्तरिम उपाय किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) अभी नहीं, श्रीमान । समिति की रचना पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) भाखड़ा नंगल व्यवस्था से ५,००० किलोवाट के अतिरिक्त संभरण की व्यवस्था १५-११-१९६१ से की गई थी और इस प्रकार उस व्यवस्था से संभरण की कुल मात्रा ४०,००० किलोवाट हो गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : समिति नियुक्त करने में अभी तक सरकार के लिए बाधा थी। पिछले अधिवेशन में वचन दिया गया था कि तत्काल समिति नियुक्त की जायेगी। इस समिति के निर्देश-पद क्या होंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : इसको अभी नियुक्ति नहीं हुई है। क्या यह बात नहीं है ?

†श्री हाथी : दो चार दिन पर समिति की नियुक्ति हो जायेगी। कठिनाई यह थी कि रचना के बारे में हमें निगम से परामर्श करना था। हमें उत्तर नहीं मिला था। मैंने मेयर से पिछले महीने २३ तारीख को ही बात की थी। अब नामों पर सहमति हो गई है। दो चार दिन में हम समिति की रचना की घोषणा कर देंगे। साधारणतया निदेश-पद ये होंगे कि वह बिजली फेल होने के कारणों, संभावित कमी और उसे कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है, की जांच करें। माननीय सदस्य के सुझावानुसार एक कारण यह था कि क्या कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है या उसका अभाव है--निर्देश-पदों में यह भी सम्मिलित होगा।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या निगम ने इस प्रश्न पर स्वतंत्र रूप से विचार किया है और वे किन निश्चयों पर पहुंचे हैं ? क्या उन्होंने किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है ?

†श्री हाथी : मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

†श्री बजराज सचेक : समिति के सिफारिश करने तक मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने दिल्ली में बिजली की कमी पूरी करने के लिए कोई कार्यवाही की है ? यह महत्वपूर्ण है।

†श्री हाथी : मैंने प्रश्न के भाग (घ) में उत्तर दिया है कि ५००० किलोवाट भाखड़ा नंगल से दिल्ली को १५-११-१९६१ से और मिल गये हैं। हम एक पृथक संयंत्र के बारे में सोच रहे हैं। उसके बारे में एक पृथक प्रश्न है।

तृतीय योजना के लिये उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव

*६५१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रेलवे मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच तीसरी योजना में सम्मिलित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन प्रस्तावों के ब्यौरों का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उन प्रस्तावों के बारे में क्या विचार किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

श्री भक्त दर्शन : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कारण बताया है कि किस वजह से इतनी देरी होने पर भी अभी तक उसने अपने सुझाव नहीं भेजे हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी तक हमें कोई इत्तिला नहीं मिली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलवे लाइनें बिछा की कुछ तजवीजें भेजीं थीं और उस को शिकायत है कि उन में से एक भी स्वीकार नहीं की कई ? क्या यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई नई प्रोपोजल्ज नहीं भेजी हैं ?

श्री शाहनवाज खां : उत्तर प्रदेश में कई एक लाइने बनाई गई हैं। इसलिए यह कहना ग़लत है कि उत्तर प्रदेश में कोई लाइन नहीं बनाई गई है।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन उखड़ी हुई लाइनों को दोबारा बनाया गया है, उन के अलावा कौन सी दूसरी लाइनें उत्तर प्रदेश में बनाई गई हैं ?

श्री शाहनवाज खां : कई एक हैं। एक तो चुनार–राबर्ट्सगंज लाइन है। दूसरी गढ़वा–रावर्ट्सगंज लाइन बन रही है, जिसका काफ़ी हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। सिंगरौली कोल-फ़ील्ड में जो लाइन बनने जा रही है, उसका काफ़ी हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। इस के अलावा जफ़राबाद लाइन भी है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक प्रश्न के उत्तर में दिए गए आश्वासन की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में उन्होंने कहा था कि भरुआ–सुमेरपुर–हरपालपुर लाइन दूसरी पंचवर्षीय योजना में बन जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह लाइन दूसरी योजना में तो बनी नहीं है और अब तीसरी योजना में भी इसके लिए कोई गुंजाइश है और यदि नहीं है तो क्यों ऐसा है ?

श्री शाहनवाज खां : जिन जिन लाइनों की तीसरी योजना में गुंजाइश है, उसकी इत्तिला हाउस को दी जा चुकी है। इस के अलावा किसी की गुंजाइश नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : यह आश्वासन दिया गया था कि दूसरी योजना में बन जाएगी, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ, अब तीसरी में भी इसका कोई जिक्र नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री शाहनवाज खां : मुझे उस आश्वासन का कोई इल्म नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कितनी लाइनों के लिये प्रोपोजल्ज भेजे हैं और खासकर रामपुर—हल्द्वानी लाइन जिसको कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई थी, उसके बारे में क्या पोजिशन है और वह अब तक क्यों नहीं बनी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या अब हम उन विस्तृत बातों पर चर्चा कर रहे हैं ?

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इसे प्रथम स्थान दिया गया था परन्तु कोई कार्य नहीं किया गया।

रेलवे उपमंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह पता तो अभी लगा है कि इसको फर्स्ट प्रायो-रिटी मिली थी। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी मिली होती तो लाइन बन गई होती। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन का तज़किरा हो जिस के बनने से उस इलाके के लोगों को सुविधा हो सकती हो, तो उस पर गौर किया जाएगा।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ लाइनें ऐसी भी हैं जिन को कि सन् १९४७ में उखाड़ दिया गया था और उन में से आगरा से वाह तक की भी एक लाइन है जो कि उस वक्त उखाड़ी गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस लाइन को पुनः बनाने के लिए कोई सुझाव सरकार के क्या विचाराधीन है और क्या इसको बनाया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज खां : इस खास लाइन के बारे में जवाब देने के लिए अलहदा नोटिस की जरूरत होगी। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कुछ लाइनें उखाड़ी गई थीं और उसी दौरान में उस इलाके में सड़कों का बहुत अच्छा इंतिजाम हो गया है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि यह लाइन दुबारा बने या सब की सब बने। कुछ जो जरूरी थीं वे बना दी गई हैं।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को स्मरण पत्र भेजा जाएगा कि वह जल्दी से जल्दी अपने सुझाव भेज दे और यदि नहीं भेजती है तो बताये कि इसके क्या कारण हैं ?

श्री जगजीवन राम : ऐसा लिखने का कोई मंशा नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार का यह काम नहीं है कि प्रान्त की सरकार से जवाब तलब करे।

हुगली नदी में रेडियमधर्मी रेत संबंधी प्रयोग

+

†*६५२. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियमधर्मी रेत के प्रयोगों के परिणाम का विश्लेषण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अग्रेतर प्रयोग किये जायेंगे ;

(घ) यदि हां, तो ये प्रयोग हुगली नदी के कौन कौन से रेत के रोकों (बार्स) पर किये जायेंगे ; और

(ङ) प्रथम प्रयोग के लिए कितना व्यय किया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]**

†**श्री स० चं० सामन्त :** पिछली बार हमें बताया गया था कि प्रयोग का परिणाम अणु शक्ति संस्थापन और पूना में स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसन्धान को भी बता दिया गया था। क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसन्धान केन्द्र से कोई रिपोर्ट मिली है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे बराबर ही यह महसूस करते हैं कि हुगली एक समस्या नदी है। अतः परिणाम पर पहुंचने में कुछ समय लगता है। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि हम कलकत्ता बन्दरगाह में यथासंभव भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** हमें बताया जाता है कि इन प्रयोगों से जो जानकारी प्राप्त होगी उस से हमें मिट्टी निकालने की समस्या हल करने में सुविधा होगी। इस से मिट्टी निकालने की समस्या में कितनी सहूलियत होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० प० सुब्बरायन : मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु बल्लारी बार और नदी को रंगता धारा (चैनल) आशानुकूल सफल नहीं रही है । फिर भी ठेकेदार यथासंभव कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि समस्या सुलझ जायेगी।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि अणु शक्ति आयोग ने अधिक रेडियो सक्रियता वाले ट्रेसरों का प्रयोग करने का सुझाव दिया था और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परामर्श पर कार्यवाही करने का है ?

†डा० प० सुब्बरायन : प्रतीत होता है कि मेरे माननीय मित्र मेरी अपेक्षा कहीं अधिक वैज्ञानिक दिलचस्पी रखते हैं। फिर भी, हम समस्त उपलब्ध जानकारी को लाभदायिक बनाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री हेम बरुआ : विवरण से पता लगता है कि अणु शक्ति आयोग ने अधिक रेडियो सक्रियता वाले ट्रेसरों के प्रयोग का सुझाव दिया है और वह बड़ा ही सहायक सुझाव है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार वह परामर्श मानने का है ?

†डा० प० सुब्बरायन : मैंने यही तो कहा था। साथ ही, कलकत्ता बन्दरगाह को चालू रखने के लिए हमें सभी संभव बातों पर विचार करना है ।

राज्यों में खाद्य संभरण

†*६५३. श्री सुबोध हंसदा :
श्री चन्द्रशंकर :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में खाद्य संभरण के लिये कम खर्चों के उपाय पूर्णतया हटा लिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कुछ छूट दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिबन्ध आदेश में क्या ढिलाई की गई है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग). जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में अभाव संबंधी उपाय समाप्त कर दिये गये हैं। जम्मू तथा काश्मीर में भी, अतिथि नियंत्रण आदेश के अतिरिक्त अन्य सभी उपाय समाप्त कर दिये गये हैं।

†श्री सुबोध हंसदा : अभाव उपाय समाप्त होने से क्या खाद्यान्न को एक राज्य से दूसरे राज्य को बिना किसी क्षेत्रीय प्रतिबन्ध के जाने दिया जायेगा ?

†डा० पं० शा० देशमुख : कुछ स्थानों में चावल के आने जाने के अतिरिक्त और किसी खाद्यान्न पर कोई नियंत्रण नहीं है और चावल पर से भी नियंत्रण शीघ्र ही हटने वाला है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं वजीर खूराक और जराअत से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने रियायत जम्मू और काश्मीर के वजीर खूराक और जराअत का यह बयान पढ़ा है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि हमारी पैदावार अब इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें हिन्दुस्तान से मुफ्त खुराक की

†मूल अंग्रेजी में

जरूरत नहीं रहेगी और अगर यह दुरुस्त है तो मैं जानना चाहता हूं कि अगले साल से जो मदद यहां से दी जा रही है, उसको रोकने के लिये क्या इकदाम किये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यथासंभव ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाये जिन्हें मैं भी समझ सकूं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : काफी पहिले, मैंने सभी राज्य सरकारों को लिखा था कि किसी भी नियंत्रण या प्रतिबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर भी यदि किसी ने वह रखा है, तो वह उसकी इच्छा है, मेरी नहीं।

श्री विभूति मिश्र: आस्टेरिटी मैजर्ज को हटा देने से फूड का कितना खर्चा बढ़ जायेगा और इनके रहने से कितनी बचत होती थी ?

श्री स० का० पाटिल : कुछ खर्चा बढ़ जायेगा, यह ठीक हो सकता है। बचत कितनी हुई होगी, इसका हिसाब नहीं है। लेकिन फूड इतनी काफी है देश में कि इस प्रकार के बन्धन रखने की कोई जरूरत नहीं रह गई, इसलिये उनको हटा दिया गया।

†**श्री बलराज मधोक** : जम्मू तथा काश्मीर के कृषि मंत्री ने कहा है कि वहां खाद्य उत्पादन इतना बढ़ गया है उन्हें बाकी देश से खाद्यान्न मंगाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम अब भी वहां सहायता प्राप्त मूल्य पर खाद्यान्न भेजते रहेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर पहिले ही दे चुके हैं कि कुछ मामलों में चावल को छोड़ कर खाद्यान्न के आवागमन से नियंत्रण हट गया है।

†**श्री बलराज मधोक** : वह बिलकुल ही अलग प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि हम वहां सहायता प्राप्त मूल्य पर खाद्यान्न भेज रहे हैं। परन्तु जम्मू तथा काश्मीर के माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्हें किसी बात की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका उत्पादन अतिरेक मात्रा में है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : वह जम्मू तथा काश्मीर के मंत्री का कथन है। वह मुझ से भिन्न व्यक्ति हैं।

†**श्री बलराज मधोक** : प्रश्न यह है कि उनके पास अतिरेक है और फिर भी हम अन्य व्यक्तियों को दबा कर वहां सहायता प्राप्त खाद्यान्न भेज रहे हैं।

†**श्री रंगा** : कदाचित वे मूल्य कम रखना चाहते हैं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : समाचार है कि कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने यह कहा था कि सरकार महसूस करती है कि अब खाद्यान्न का अभाव नहीं है और बहुत शीघ्र ही अतिरेक खाद्यान्न का निर्यात करने की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। क्या वह वक्तव्य तत्काल अतिरेक मात्रा को ध्यान में रखकर दिया गया था या यह एक दीर्घकालीन बात है जिसका उन्होंने अनुमान लगाया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं। परन्तु मैंने निश्चय ही सदैव कहा है और फिर कहूंगा कि अतिरेक की समस्यायें अभाव की समस्याओं से अधिक कठिन हैं। खाद्यान्न के एक दो क्षेत्रों में अतिरेक की समस्यायें हैं और वे बहुत कठिन हैं। वह वक्तव्य साधारण रूप में दिया गया था और मैं नहीं समझता कि वह किसी विशेष दृष्टि से दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रत्यक्ष ही ऐसा लगता है कि हम आत्मनिर्भर की स्थिति में आ रहे हैं। क्या इसके फलस्वरूप आयात कम किया जायेगा और यदि हां, तो कितना कम किया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह प्रश्न प्रायः पूछा गया है। जो आयात होता है वह तीन या चार साल तक होता रहेगा। इसके फलस्वरूप यह स्थिति पैदा हुई है। अतः इसका उतना वापस नहीं लिया जायेगा।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या इस स्थिति की दृष्टि से सरकार ने जहां तक चावल का संबंध है पश्चिमी बंगाल-उड़ीसा खाद्य खंड को समाप्त करने का निश्चय किया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं तो बहुत चाहता हूं कि चावल का भी सारे देश के लिये एक ही जोन हो। परन्तु कठिनाई यह है कि हमें तीन या चार वर्ष इन्तजार करना है। जब तक स्थिति सुदृढ़ न हो, इस कार्यवाही को करने का कोई लाभ नहीं है। एक या दो वर्ष से पश्चिमी बंगाल में फसलें अच्छी हो रही हैं और इस वर्ष भी असाधारणतया अच्छी हैं। परन्तु मैं नहीं जानता कि अगले वर्ष भी ऐसा ही होगा। फिर, चावल संसार में कहीं भी इतनी अधिक मात्रा में नहीं है। अतः चावल के बारे में हमें कुछ अधिक सावधान रहना है।

कृषि के औज़ार

+

†*६५४. { **श्री रा० च० माझी** :
श्री स० च० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कृषि के वर्तमान औजारों को बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार उनको बदलने के हेतु क्या कार्रवाई कर रही है ; और

(ग) कृषकों को कब तक नये और आधुनिक औजार, जैसे 'गार्डन ट्रैक्टर' और 'वाकिंग ट्रैक्टर'' उपलब्ध हो सकेंगे ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८**]।

†**श्री रा० च० माझी** : क्या उद्योग मेले में प्रतिरक्षा पैवेलियन में दिखाया गया ट्रैक्टर कृषकों के लिये दिया जायेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : ऐसे ट्रैक्टरों की अनेक किस्में हैं जो देश के विभिन्न भागों में परीक्षा के तौर पर प्रयोग किये जा रहे हैं। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि जनता किस किस्म के ट्रैक्टर को पसन्द करेगी।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता लगता है कि छोटे ट्रैक्टर बनाने के लाइसेंस दो फर्मों को दिये गये हैं। ये ट्रैक्टर कृषकों को कब और किस मूल्य पर उपलब्ध होंगे ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं। यह भी अभी निश्चित स्थिति में नहीं है। मूल्य तथा अन्य बातों का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि ट्रैक्टरों की अनेक किस्में हैं। पिछले कृषि मेले में एक नमूने का ट्रैक्टर दिखाया गया था। क्या उस किस्म का ट्रैक्टर बनाया जायेगा और कृषकों के लिये उपलब्ध किया जायेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : कृषकों का ध्यान अनेक प्रकार के ट्रैक्टरों की ओर आकर्षित हो रहा है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : छोटे ट्रैक्टर।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हां, मैं उसके बारे में कह रहा हूं। हम इसे भारत में निर्मित कराने का विचार कर रहे हैं। परन्तु ब्यौरा अभी तैयार करना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न के भाग (क) में पूछा गया है कि क्या आजकल विद्यमान कृषि के औजारों के स्थान पर और औजार बनाने का कोई प्रस्ताव है। उसके उत्तर को विवरण सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। विवरण केवल ब्यौरा हो सकता है। अन्यथा, यदि प्रश्न का उत्तर आसानी से दिया जा सके, तो उसे विवरण में क्यों सम्मिलित किया जाये ? अतः माननीय मंत्री उन बातों का मौखिक उत्तर देंगे जिनका उस तरह उत्तर दिया जा सकता है। विस्तृत जानकारी संबंधी अन्य बातों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं यह बताकर स्थिति और भी स्पष्ट करना चाहता था कि हमारा विचार प्रत्येक विद्यमान कृषि के औजार के स्थान पर अन्य औजार बनाने का नहीं है, अपितु केवल उनके बारे में है जो उपयुक्त हैं।

†**श्री रंगा** : सुधारे हुये हल के उनके प्रयोग का क्या हुआ—ट्रैक्टर या इन चीजों में से और किसी वस्तु का नहीं ? क्या उनका प्रयत्न सफल रहा है ? यदि हां, तो क्या वे इसे कहीं कार्य में ला रहे हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हां। विभिन्न प्रकार की मिट्टी के लिये अनेक विभिन्न प्रकार के हल बनाये गये हैं जो कृषकों को पसन्द हैं। उनका निर्माण हो रहा है और प्रयोग भी हो रहा है। सुधारे हुये औजारों पर ध्यान देने के फलस्वरूप हम उन्हें निर्धन कृषकों को भी उपलब्ध बनाना चाहते हैं और वह भी बहुत सी सुधारी हुई स्थिति में।

†**श्री रंगा** : इसका मूल्य देश में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के हलों के मूल्य से कम है या अधिक ? वास्तव में, देश के विभिन्न भागों में ये हल विभिन्न आकार के हैं और यह विभिन्नता मिट्टी की विभिन्नता के अनसार है।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हां, यह ठीक है। हलों के विभिन्न आकार हैं और निर्माताओं के पास भी विभिन्न नमूने हैं, संख्या १, संख्या २, संख्या ११, आदि। उदाहरणार्थ, किर्लोस्कर के ये नमूने हैं और जनता उनका प्रयोग करती है। हां, ये लकड़ी के हलों की अपेक्षा कुछ महंगे हैं, परन्तु अन्त में ये सस्ते रहते हैं।

†**डा० गोविन्द दास** : क्या इस बात का ध्यान रक्खा जा रहा है कि यह जो नये औजार बनें उनकी कीमत केवल लागत मात्र रक्खी जाये जिससे कि वहां के गरीब लोगों को इस बात में प्रोत्साहन मिले कि वे नये औजारों का उपयोग कर सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० पं० शा० देशमुख : इस बात की हर कोशिश की जा रही है क्योंकि इम्प्रूव्ड इम्प्लिमेंट्स बनें मगर किसान उनको ले न सकें तो उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम लोग कीमत की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी नीति यह नहीं है कि किसी चीज को सब्सिडाइज करे इसकी ज्यादा गुंजाइश नहीं है।

श्री त्यागी : सरकार ने यह देखने के लिये क्या योजना प्रस्तुत की है कि ये औजार सस्ते मूल्य पर बनाये जायें और सीधे किसानों को दिये जायें। क्या वे उन्हें कुछ मान्यता प्राप्त डिपों से सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं और क्या यह सुनिश्चित है कि बिचौलिया इस्पात, लोहा तथा अन्य वस्तुयों में लाभ न कमायें ?

डा० पं० शा० देशमुख : एक बड़ी ही विस्तृत योजना बनाई गई है, जहां तक सुधारे हुए इन औजारों का सम्बन्ध है केवल इन सस्ते और उत्तम औजारों का निर्माण करने की ही व्यवस्था नहीं है अपितु विभिन्न प्रकार की मिट्टी के लिए उन के अनुसन्धान, आदि की भी व्यवस्था है। सौभाग्य से अनेक लोगों ने उत्तम किस्म के औजार बनाये हैं। प्रश्न उन्हें लोकप्रिय बनाने का है। इन सब योजनाओं पर तीसरी पंच वर्षीय योजना में ८ करोड़ रु० व्यय करने का हमारा विचार है। ब्यौरा तैयार हो गया है।

श्री त्यागी : क्या सरकार का विचार उन्हें सीधे कृषकों को देने के लिए कुछ डिपो खोलने का है ?

डा० पं० शा० देशमुख : हम कोई डिपो नहीं खोलेंगे, परन्तु हमें ऐसी गैर सरकारी पार्टियां मिल रही हैं जो लोहा नियंत्रित दर पर देने पर निर्धारित मूल्य पर उनका निर्माण करेंगी ?

डा० मा० श्री अणे : क्या बनने वाले नये औजारों की मरम्मत का भी पर्याप्त प्रबन्ध किया जा रहा है ताकि उन्हें प्रयोग करने वाले आवश्यकता होने पर उनकी शीघ्र मरम्मत करा सकें ?

डा० पं० शा० देशमुख : हां। हमें कृषकों की इस कठिनाई का भी ज्ञान है। टूट फूट होने पर मरम्मत की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर इस से कृषकों को हानि होगी। हम ने इसका भी ध्यान रखा है।

श्री स० च० सामन्त : पिछले कृषि मेले में और चालू उद्योग मेले में हमने आयुध डिपो के बने एक छोटे ट्रैक्टर को देखा है। क्या कृषि मंत्रालय उन्हें वह ट्रैक्टर बनाने का प्रोत्साहन दे रही है ?

डा० पं० शा० देशमुख: हम प्रतिरक्षा मंत्रालय और अपने बीच इस किस्म के ट्रैक्टर का बड़े पैमाने पर निर्माण करने का निश्चय नहीं कर पाये हैं। परन्तु अन्य किस्म के ट्रैक्टर हैं जिनका शीघ्र निर्माण होने की सम्भावना है।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि गार्डेन ट्रैक्टर्स और वाकिंग ट्रैक्टर्स की, जिनकी ताकत पांच हार्स पावर की है, क्या मिनिमम कास्ट आफ प्रोडक्शन पड़ेगी, और किसानों को ये किस कीमत पर सरकार दे सकती है।

डा० पं० शा० देशमुख : शुरू में तो जो फर्म्स बनाती हैं वे बहुत कीमत बतलाती हैं, लेकिन आगे चल कर कुछ बढ़ा देती हैं। मुझे कल ही मालूम हुआ है कि अमरीका का जो ट्रैक्टर यहां

---

†मूल अंग्रेजी में

लाया गया है, जिसकी हार्स पावर ७½ है, वह दो या ढाई हजार रु० में मिलेगा, और कोई फर्म इसे बनाने भी जा रही है । अब यह देखना है कि कहां तक इसी कीमत पर वह मिलेगा । इस का पता आगे चलेगा ।

†**श्री रंगा** : क्या उन्होंने लकड़ी का जिस में लोहे का फन लगा हो, कोई ऐसा हल बनाया है जो वर्तमान हल के समान हो सादा होगा परन्तु कार्य अच्छा करेगा और जिसे स्थानीय लोहार तथा बढ़ई वर्तमान हल के समान आसानी से ठीक कर सकते हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हां । इलाहाबाद संस्था ने ऐसा हल बनाया है जिस में इस्पात का फन है और जिस से काम अच्छा होता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि फोर्ड प्रतिष्ठान के दल ने, जो कुछ समय पूर्व देश में आया था सुझाव दिया है कि भारत में भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये ट्रैक्टर लाभदायिक हैं और उनका जमीन जोतने के लिये प्रयोग में नहीं लाना है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : समूचे रूप में, बड़े ट्रैक्टर केवल भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ही लाभदायक हैं । परन्तु कृषि मजदूरों का अभाव निरन्तर बढ़ रहा है और कृषक लोग छोटे ट्रैक्टर चाहते हैं । अतः भूमि के कृषियोग्य बनाने के लिए बड़े ट्रैक्टरों के साथ हमें छोटे ट्रैक्टरों की भी आवश्यकता होगी जिनका प्रयोग कृषक जमीन जोतने के लिए करेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं है कि एक सस्ते बर्मी टाइप के हल को मदुरै जिले में एक या दो केन्द्रों पर बनाया जायेगा ? क्या इसे किसी क्षेत्र या समूचे अखिल भारतीय आधार, निश्चित प्रकार का स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि यह भी विश्व कृषि मेले में प्रदर्शित किया गया था । इस का नाम **बोस कलप्पाई** है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ब्यौरे की बातें ज्ञात नहीं हैं ।

मध्य प्रदेश में फ्लाइंग एवं ग्लाइडिंग क्लब

+

†*६५५. { **श्री विद्याचरण शुक्ल** :
श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में रायपुर में फ्लाइंग एवं ग्लाइडिंग क्लब खोलने की मांग को सिद्धांत के तौर पर स्वीकार कर लिया है ;

(ख) योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारत सरकार इसे क्या प्रविधिक और वित्तीय सहायता देने का विचार कर रही है ; और

(घ) क्या विजियानगरम में आधा 'हेंगर' प्रस्तावित रायपुर फ्लाइंग क्लब के लिये आवंटित कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) जी हां।

(ख) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) और (ग). क्लब को सूचित कर दिया गया है कि फ्लाइंग एवं ग्लाइडिंग क्लब बनाने के संबंध में क्या क्या आवश्यकताएं पूरी करनी हैं। फ्लाइंग एवं ग्लाइडिंग क्लब को सहायता तथा आर्थिक सहायता देने की विनियमन करने वाली अर्थ सहायता योजना की एक प्रति भी क्लब को दे दी गई है। जब क्लब प्रारंभिक प्रबन्ध कर लेगा और निश्चित प्रपत्र में अर्थ-सहायता संबंधी करार कर लेगा तब क्लब को अर्थ-सहायता योजना में शीघ्र शामिल किया जाएगा। अर्थ सहायता योजना के अन्तर्गत फ्लाइंग एवं ग्लाइडिंग क्लबों को मिलने वाली सहायता का परिणाम अनुबंध में दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]।

(घ) १९६२-६३ में विशाखापटनम से आधा बैजमैन हैंगर को रायपुर में बदलने का विचार है।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : विशाखापटनम हैंगर चालू वित्तीय वर्ष में ही रायपुर को क्यों नहीं बदला जा सकता और यह अगले वर्ष पर क्यों छोड़ दिया गया है?

†श्री मुहीउद्दीन : वस्तुस्थिति यह है कि रायपुर क्लब ने सदस्यता आदि के बारे में अपने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। हैंगर को बदलने में कुछ समय लगेगा।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : दूसरी पंचवर्षीय योजना में खोले जाने वाले प्रस्तावित १० ग्लाइडिंग केन्द्रों में से एक भी नहीं खोला गया। क्या रायपुर उन में है?

†श्री मुहीउद्दीन : मुझे मालूम नहीं माननीय सदस्य किन १० केन्द्रों का उल्लेख कर रहे हैं। हम ने दूसरी योजना के अनुसार फ्लाइंग क्लब खोले हैं। मुझे स्मरण नहीं कि ग्लाइडिंग क्लबों की संख्या १० थी।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : उनकी संख्या १० थी।

परिवहन विशेषज्ञों की समिति

†*६५६. श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन संकट—खासकर कोयला लानेले जाने के मामले में—के संबंध में बनाई गई विशेषज्ञों की अन्तर्मंत्रालय समिति ने, जिसके प्रधान मंत्रिमंडल के सचिव हैं, अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). कोयला परिवहन के विषय पर मंत्रीमंडल सचिव के सभापतित्व में अन्तर्मंत्रालय-चर्चा हुई थी। उनमें निम्न मुख्य सिफारिशें की गई :—

(१) समुद्र द्वारा प्रतिवर्ष दक्षिण तथा पश्चिम भारत को कोयला भेजने के लिये १० लाख टन अतिरिक्त भार के लिये जहाजों और पत्तन की सुविधाओं की व्यवस्था

†मूल अंग्रेजी में

की जानी चाहिये और इस प्रकार जो कोयला भेजा जाये वह उपभोक्ताओं को उसी भाव पर मिलना चाहिये जिस दाम पर रेलवे द्वारा ले जाया गया कोयला।

(२) पत्तनों तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर कोयले के स्टोर खोले जायें जहां पर कोयला ब्लाक रेकों में ले जाया जाना चाहिये।

(३) कोयला नियंत्रक जो आवंटन को वह उपभोक्ताओं को वास्तव में मिल सकने वाली मात्रा से समानता रखता हो।

(४) ग्रेड २ तथा घटिया किस्म के कोयले तथा सौफ्ट कोक को छोटी दूर तक सड़क द्वारा ले जाने का प्रबन्ध और किया जाये।

(५) रविवार तथा अन्य छुट्टियों को अन्य दिनों के समान कोयला लादा जाना चाहिये।

(६) दीर्घ कालीन उपाय के तौर पर तीसरी योजना में मध्य-भारत के कोयला क्षेत्रों का यथासंभव अधिकतम विकास किया जाये ताकि दक्षिण तथा पश्चिम भारत की आवश्यकता उससे पूरी हो सके और इस प्रकार यथा संभव मात्रा तक बिहार और बंगाल से इन स्थानों को लम्बी दूरी के स्थानों पर कोयला भेजना कम हो जाये।

†**श्री तंगामणि** : इतना लम्बा विवरण सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मा० मंत्री को १।। पृष्ठ और ९ बातों का विवरण सभा पटल पर रख देना चाहिये तथा इसे नोटिस आफिस में रखना चाहिये था। मा० मंत्री को इतना बताकर कि समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है, इसे सभा पटल पर रख देना था।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवनराम)** : समूची रिपोर्ट नहीं, उसका संक्षेप सभा पटल पर रख दिया जायेगा। विवरण पढ़ने की बजाये सभा पटल पर रखा जा सकता था। यदि आप उनको पूरा करने की अनुमति दें, तो अनुपूरक पूछे जा सकते हैं। मैं समूची रिपोर्ट पटल पर रखने का वचन देता हूं।

[उत्तर का शेष अंश सभा पटल पर रखा गया।]

(७) पश्चिम तथा दक्षिण भारत में उद्योगों द्वारा दूसरा ईंधन उपयोग में लाने की संभावना का परीक्षण किया जाना चाहिये।

(८) योजना सचिव के सभापतित्व में तथा रेलवे, वाणिज्य तथा उद्योग, खान और ईंधन तथा लोहा और इस्पात विभागों के प्रतिनिधियों पर आधारित एक उपसमिति को कोयला क्षेत्रों के विकास एवं रेल परिवहन के विकास के बारे में लगातार समीक्षा करनी चाहिये।

(९) कोयला धोने के यंत्र लगाने के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये योजना आयोग के परामर्श से कार्यवाही की जानी चाहिये।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मंत्री मंडल सचिव के सभापतित्वाधीन समिति की कितनी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मा० मंत्री बता चुके हैं कि विशेष समिति नियुक्त की जा चुकी है। मा० सदस्य प्रतिवेदन को पढ़ लें और फिर भी कोई सन्देह हो तो मुझे बतायें।

---

†नून अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : अधिकांशतः सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं और कार्यान्वित की गई हैं या की जा रही हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कठिनाई यह है कि जब कोयला था तो स्टोर नहीं था और जब स्टोर हैं तो कोयला नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : उपभोक्ताओं को उनकी मरजी के अनुकूल कोयला खरीदने नहीं दिया जाता।

†**श्री जगजीवन राम** : मा० सदस्य को कोयला आवंटन और उपभोग की पद्धति मालूम नहीं। चाहे स्टोर हो या न हो, उपभोक्ता को अपनी इच्छानुसार कहीं से भी कोयला खरीदने की इजाजत नहीं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मा० मंत्री ने प्रतिवेदन का संक्षेप रखने को कहा है। क्या पूरा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : समूचा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : समिति कोयले की कमी और फैक्टरियों के बन्द होने आदि से संबंधित प्रश्नों के बाद नियुक्त की गई थी। कोयला उत्पादन और परिवहन का प्रश्न परस्पर संबंधित हैं। इसलिये हमें यह प्रतिवेदन मिलना चाहिये।

†**श्री जगजीवन राम** : यह मंत्री मंडल सचिव तथा मंत्रालयों के सचिवों की विभागीय समिति थी और उसका प्रतिवेदन सभा पटल पर पर नहीं रखा जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : मा० सदस्यों को सूचना लेने और सिफारिशें जानने का हक है। मा० मंत्री जानते हैं कि सभा पटल पर क्या रखा जाना चाहिये। यदि सभा के कहने पर सरकार कोई सरकारी समिति नियुक्त करती, तो और बात थी। आवश्यक सूचना पटल पर रखी जायेगी। इस बारे में समय-समय पर उत्तर दिये जाने के बावजूद कोयले की स्थिति में सुधार नहीं होता। पुनः २ स्थगन प्रस्ताव आते हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : यह बार-बार उठाया जाये, परन्तु निकट भविष्य में जब तक हम आयोजित अर्थ व्यवस्था में काम करते रहेंगे, किसी को भी केवल चाहने मात्र से कोयला मिलना असंभव है। कोयले के उत्पादन की योजना बनती है। उतना उत्पादन होता है और ढोने के लिये रेलवे के अंश को भी योजना बनती है। रेलवे उतनी मात्रा में कोयले को ढोने की आशा करती है।

†**श्री रंगा** : योजना के अनुसार कुछ भी नहीं होता।

†**श्री जगजीवन राम** : आप का योजना में विश्वास नहीं है। आप सब कामों में स्वतंत्र हैं। आपको योजना के प्रस्ताव करने का क्या लाभ है ? अनेक उद्योगों की स्थापना के साथ औद्योगिक कामों और दूसरे कामों के लिये कोयले की मांग बहुत अधिक है। रेलवे सारी मांग को पूरा नहीं कर सकती, जो अनुमोदित योजना के अन्दर नहीं आती।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा प्रश्न पूछ नहीं सकती और यह नहीं कह सकती कि पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये ? क्या सभा यह मांग नहीं कर सकती कि किसी चीज को कम करके इसको प्राथमिकता दी जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : सभा समूची योजना में संशोधन कर सकती है। मैंने कोयला उत्पादन और परिवहन की स्थिति व्यक्त कर दी है। सभा योजना में निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन कर सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका यहां निपटारा नहीं हो सकता। इसकी चर्चा करने के लिये समय नहीं है। मा० मंत्री को चाहिये कि वह इस विषय पर केन्द्रीय हाल में मा० सदस्यों से चर्चा कर लें और सदस्यों को बतायें कि सरकार की सीमाओं और शक्ति के अनुसार क्या किया जा सकता है। मा० सदस्य उनको सन्तुष्ट करने के लिये कुछ समय निकालें।

†**श्री रंगा** : हमारा आरोप यह है कि योजना में जो उपबन्ध है उसका पालन नहीं किया जाता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि हमें ८ तारीख के बाद भी बैठना होता तो मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति दे देता क्योंकि बार-बार यह प्रश्न उठता है। मा० सदस्य प्रश्न पूछते और मा० मंत्री उनको सन्तुष्ट करते। अब जो सदस्य चाहते हैं वे मंत्री से मिलकर मामले का स्पष्टीकरण करवा लें ।

†**श्री त्यागी** : मा० मंत्री को शीघ्र अवसर देना चाहिये।

†**श्री जगजीवन राम** : जैसा आपने फरमाया सभा में बहुत सी बातें पूछी जाती हैं जिनका दूसरा हल हो सकता है। मेरे प्रान्त में रेलों के विभिन्न मंडलों के सदस्यों तथा जनरल मैनेजरों की बैठकें होती हैं। मैं प्रति सत्र या प्रति वर्ष बैठकें करता हूं। इस सत्र में भी बैठकें हैं और इस महीने की ४ से बैठकें हैं। आज भी कुछ संसद् सदस्यों के साथ मुलाकात हुई थी। ये बैठकें प्रतिदिन १० बजे से १ बजे तक होती रहती हैं और जो सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं वे उसमें आ सकते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कल सत्र समाप्त हो रहा है। मा० मंत्री को व्यापक विवरण सभा पटल पर रख देना चाहिये ताकि हम सही स्थिति जान सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन बातों का स्पष्टीकरण मा० सदस्य चाहते हैं वे उनको लिख दें, जिन पर वे चाहते हैं कि विवरण दिया जाये। मैं वे मा० मंत्री को भेज दूंगा और यदि वह व्यापक विवरण देंगे तो मैं टाइप करवा कर सब सदस्यों के घरों पर उसकी प्रतियां भिजवा दूंगा ताकि वे सन्तुष्ट हो सकें।

ढिलवां में आग

+

†*६५७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बलराज मधोक : }

क्या रेलवे मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जालन्धर के पास ढिलवां में लकड़ी के एक डिपो में जो आग लगी थी उसके कारणों की पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पंजाब सी० आई० डी० पुलिस सुपरिटेंडेंट के पर्यवेक्षण में पुलिस जांच चल रही है और अभी तक कोई रिपोर्ट रेलवे को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

†श्री दी० चं० शर्मा : चूंकि इस मामले में गड़बड़ी पड़ने का सन्देह था, क्या प्रादेशिक या अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ?

†श्री शाहनवाज खां : हमने विभागीय जांच करवाई थी और वह प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। परन्तु मामले को जांच सी० आई० डी० के द्वारा को जा रही है वह स्वतंत्र विभाग है और रेलवे के अधीन नहीं। वे अपना समय लगायेंगे।

†श्री दी० चं० शर्मा : मंत्रालय पुलिस रिपोर्ट को विभागीय रिपोर्ट से कैसे मिलायेगा, यदि दोनों में अन्तर हुआ ?

†श्री शाहनवाज खां : हम पुलिस रिपोर्ट आने तक प्रतीक्षा करेंगे।

†श्री बलराज मधोक : दो महीने पहले बताया गया था कि पुलिस जांच कर रही थी। इसे कितना समय लगेगा ?

†श्री शाहनवाज खां : राज्य पुलिस रेलवे के अधीन नहीं है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इसको ध्यान में रखते हुये कि बहुत हानि हुई है, क्या सरकार विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को कहेगी कि अपराधियों को ढूंढने में सी० आई० डी० पुलिस की सहायता करे ?

†श्री शाहनवाज खां : वह अपना काम जानते हैं। उन्हें बाहर के परामर्श की जरूरत नहीं होती।

†श्री तंगामणि : हानि १.२८ करोड़ रुपये की थी, इस दृष्टि से क्या विशेष शाखा जांच विभागीय जांच के आधार पर है, जो उत्तरदायित्व केवल एक चौकीदार पर लगाते हैं या क्या यह विभागीय जांच के सीमित क्षेत्र से अधिक व्यापक होगी ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : पुलिस जांच व्यापक होगी और यह विभागीय जांच के प्रतिवेदन से सीमित नहीं होगी।

इटावा के जिला परिषद् अध्यक्ष की हत्या

+
†*६५८. श्री प्र० गं० देव :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ अक्तूबर, १९६१ को लखनऊ के पास रेलगाड़ी में इटावा के जिला परिषद् के अध्यक्ष की हत्या की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

†श्री प्र० गं० देब : क्या मृत व्यक्ति के परिवार को प्रतिकर दे दिया गया है या दिया जायेगा ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : सवाल पैदा नहीं होता।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस मामले में रेलवे पुलिस द्वारा कोई जांच की गई थी या नहीं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

†श्री मो० ब० ठाकुर : पुलिस जांच में कितना समय लग जाएगा ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं कैसे इसका उत्तर दे सकता हूं।

दिल्ली में तापीय संयंत्र

+

†*६५८-क. { श्री प्र० गं० देब :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एक तापीय संयंत्र (थर्मल प्लांट) की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक कितनी रकम व्यय की गई है ?

†सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

संभवतः उल्लेख ३० एम० डब्ल्यू० थर्मल संयंत्र के बारे में है जो दिल्ली नगरपालिका निगम के बिजली संभरण उपकरण के दिल्ली 'ग' थर्मल बिजली घर के नाम से जाना जाता है, जो बनाया जा रहा है। यदि हां, तो स्थिति इस प्रकार है :—

संयंत्र तथा उपकरण के लिये आर्डर दे दिये गये हैं और प्रायः सभी इंजनीयरी सम्बन्धी ब्योरा पूरा हो चुका है। ३० प्रतिशत असैनिक काम पूरे किये जा चुके हैं। अब तक परियोजना पर लगभग ४८·८ लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। सितम्बर / अक्तूबर, १९६३ तक संयंत्र का काम आरंभ हो जाएगा।

†श्री प्र० गं० देब : क्या यह संयंत्र दिल्ली में बिजली की सारी कमी को पूरा कर सकेगी ?

†श्री हाथी : यह संयंत्र अकेला ही कमी को पूरा नहीं कर सकेगा, किन्तु हम अन्य कई कार्यों के द्वारा दिल्ली के बिजली संभरण को बढ़ा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० गं० देव : क्या यह सच है कि संयंत्र की नींव के लिये चुना गया स्थान जमना के किनारों पर रेतीला है और यदि हां, तो जब यह गीला हो जाएगा तो क्या होगा ?

†श्री हाथी : सभी उपचार दिये गये हैं। अब नींव के बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

†श्री बल राज मधोक : यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

†श्री हाथी : मैंने वक्तव्य में बताया है कि अक्तूबर, १९६३ तक संयंत्र द्वारा कार्य आरंभ हो जाएगा।

दिल्ली में तपेदिक के रोगी

*६५९. श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में क्षय रोग से ग्रस्त लोगों की संख्या इस समय कितनी है ;

(ख) दिल्ली में क्षय रोग के अस्पतालों में कितने पलंग उपलब्ध हैं ; और

(ग) पलंगों की कमी के कारण नगर में स्थान-स्थान पर रोगियों के रहने से होने वाली क्षय रोग की वृद्धि को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) लगभग ४०,०००।

(ख) १,२१२ ।

(ग) दिल्ली में क्षय रोग की वृद्धि को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाने का विचार है :—

(१) बी० सी० जी० टीका आन्दोलन को बढ़ाना ;

(२) दिल्ली के सभी भागों में एक प्रभावकारी "गृह चिकित्सा योजना' चालू करना ;

(३) पांच और क्षय क्लिनिकों की स्थापना।

इसके अतिरिक्त निम्न प्रकार से और पलंगों की व्यवस्था करने का विचार है :

(क) सिल्वर जुबली क्षय रोग अस्पताल में २५० पलंग ;

(ख) क्षय रोग अस्पताल मेहरोली में ६० पलंग; और

(ग) दिल्ली के विभिन्न क्षय रोग अस्पतालों में ४७५ पृथक्क पलंग।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सत्य है कि मेहरोली अस्पताल में, जिस को सरकार की ओर से एड मिलती है, न केवल बेड्ज बहुत थोड़े हैं, बल्कि वहां पर बाहर से जो मरीज आते हैं, उन के साथ ठीक सलूक नहीं होता है और बहुत से मरीज मायूस हो कर लौट जाते हैं ?

†श्री करमरकर : वे ठीक हो कर लौट जाते हैं।

†श्री बलराज मधोक : उन के साथ ठीक सलूक नही किया जाता। यह शिकायत है।

श्री करमरकर : मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि मेहरौली का अस्पताल सब से बढ़िया अस्पताल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : पिछले वर्ष दिल्ली में अस्पतालों में कितने रोगियों को प्रवेश मना किया गया ?

†श्री करमरकर : मुझे पता नहीं ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या मंत्री जी को पता है कि जब निर्धन रोगी वहां जाते हैं तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाता, जब कि साधारणतया धनी रोगियों को प्रवेश मिल जाता है ? क्या सरकार ऐसा अभिलेख रख रही है जैसा रोजगार दफ्तरों में रखा जाता है ?

†श्री करमरकर : जी नहीं । यदि मुझे ऐसी किसी घटना का पता चलेगा तो मैं उस पर गंभीरतापूर्ण ध्यान दूंगा ।

रेलों पर ब्रेक्स मैन

+

†*६६०. श्री तंगामणि :
श्री सुब्बय्या अबम्बलम :
श्री सम्पत :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलों के परिचालक कर्मचारियों (यातायात) में ब्रेक्समैनों की विभिन्न श्रेणियां हैं ;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे के ब्रेक्समैनों को, "पदोन्नति संवर्ग" में भरती होने के बावजूद भी, 'ए' ग्रेड के गार्डों के रूप में पदोन्नति नहीं होती है ;

(ग) इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या यह सच है कि ५ अक्तूबर, १९६१ को मदुरै में माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन दिये गये थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

(घ) जी हां ।

†श्री तंगामणि: क्या यह सच नहीं है कि दक्षिण रेलवे के ब्रेक्समैन, जो योग्य हैं और अवर स्नातक माने जाते हैं, पिछले १८ वर्षों से 'सी' ग्रेड के गार्डों के रूप में पदोन्नत नहीं किये गये हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : जी नहीं । यह बात सही नहीं है ।

†श्री तंगामणि : क्या सरकार ब्रेक्समैनों को इस विशिष्ट पदावलि में ही पदोन्नति के मार्ग को सीमित करने का विचार रखती है ? उन्हें भूतपूर्व एस० आई० आर० में बड़ी हानि हुई है और वे अब भी हानि उठा रहे हैं। क्या उन को पदोन्नत नहीं किया जा सकता ?

†श्री शाहनवाज खां : मुझे खेद है कि वह संभव नहीं होगा क्योंकि अन्य श्रेणियों के रेलवे मैनों भी 'सी' ग्रेड के गार्डों के रूप में पदोन्नति के लिये योग्य हैं, अर्थात् ए० एस० एम० मशीन क्लर्क, ट्रेन क्लर्क आदि । ये सब लोग भी योग्य हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : क्या यह सच नहीं है कि एक श्रेणी के चलने वाले कर्मचारी को विशेषकर गार्डों को यात्रा भत्ता दिया जाता है, क्या चलने वाले कर्मचारियों तथा रेलवे के अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को केवल ५० प्रतिशत दिया जाता है, जब वे दौरे पर जाते हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : यह उन कर्तव्यों के अनुसार है जो उनको करने पड़ते हैं।

†श्री तंगामणि: विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों—गाड़ी में चलने वाले और अन्य कर्मचारियों के लिये एक निश्चित स्तर निर्धारित है। चलने वाले कर्मचारियों अर्थात् इन गार्डों में भी, गार्डों को उतना नहीं मिलता जितना ड्राइवरों को मिलता है । क्या यह सही है कि गार्डों आदि कर्मचारियों को उसका जो अन्य लोगों को मिलता है, ५० प्रतिशत ही यात्रा भत्ता मिलता है ?

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री ने इनकार नहीं किया। यह काम की किस्म पर अधिकतर निर्भर है। इन ग्रेडों को ड्राइवरों के साथ तुलना करने का कोई लाभ नहीं है। मा० सदस्य किस प्रकार सरकार को अपनी नीति बदलने को बाध्य कर सकते हैं।

†श्री तंगामणि : दूसरों को पूरा मिलता है तो उनको आधा क्यों मिलता है ?

†अध्यक्ष महोदय : और प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जा सकती ? अगला प्रश्न।

पश्चिम बंगाल को मछली का संभरण

†*६६१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल को भारत के अन्य भागों से मछली का अधिक संभरण किये जाने की व्यवस्था के बारे में उनसे कोई बातचीत की थी ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से उचित मूल्य पर अधिक मछली लेने के लिये कोई कार्यवाही की है और क्या उसका पूर्वी पाकिस्तान की मछली निर्यात संस्था के साथ कोई समझौता हुआ है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) जी हां। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के मत्स्य पालन विभागों को भारत सरकार ने, कलकत्ता को बड़े पैमाने पर मछली भेजने की व्यवस्था करने के लिये अपने राज्यों में व्यापारियों पर अपना प्रभाव डालने को कहा है ।

(ख). भारत से मछली की बिक्री के मूल्य को भेजने की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है और वित्तीय व्यवस्था पूरी होने पर पूर्वी पाकिस्तान से उचित मूल्य पर बड़ी मात्रा में मछली लेने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि पाकिस्तान समेत, पश्चिम बंगाल के बाहर से, आने वाली मछली का वितरण कुछ बड़े व्यक्तियों, बलाद्ग्रहीयों, द्वारा किया जाता है और क्या सरकार, बाहर से मछली मंगाने की व्यवस्था करने के मामले पर विचार करने के समय, मूल्यों पर नियंत्रण रखने के के लिये मछलियों का वितरण सरकारी एजेंसियों द्वारा अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन द्वारा एजेंसियों करवायेंगी ?

†डा० पं० शा० देशमुख : निश्चय ही हम ऐसा प्रयत्न करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या मंत्री महोदय ने पश्चिम बंगाल में वितरण के लिये उड़ीसा से मछली प्राप्त करने के लिये उड़ीसा की सरकार के साथ कोई बातचीत की है और यदि हां, तो उड़ीसा द्वारा पश्चिम बंगाल को संभरित की जाने वाली मछली की क्या मात्रा है और ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल में मछली का विक्रय-मूल्य इसके उड़ीसा के क्रय-मूल्य से बहुत अधिक है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : प्राकृतिक व्यापार पद्धति में हस्तक्षेप करना भारत सरकार का काम नहीं है परन्तु मित्रता के नाते, जब पश्चिम बंगाल के मंत्री ने हमें लिखा तो हमने दोनों स्थानों पर और अन्य स्थानों पर भी यह देखने के लिये कि क्या किया जा सकता है, अपने परामर्शदाता भेजे। जो कुछ उसने कार्य किया, उसका ब्योरा मेरे पास नहीं है। हम उनको यथा संभव अधिक सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वी भारत के लोगों के लिये मछली प्रमुख भोजन है । क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इस बात को देखने के लिये कि मछली का मूल्य उचित है और उड़ीसा राज्य में और अन्य स्थानों में उपभोक्ताओं को मछली उस मूल्य पर से बहुत अधिक मूल्य पर नहीं मिलती जो कि प्रमुख उत्पादकों, मछवों, को दिया जाता है, क्या अत्यावश्यक पण्य अधिनियम का सहारा लिया जा सकता है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मूल्यों पर नियंत्रण करने के बारे में हमारा सामान्य अनुभव यह है कि जब कभी भी हम हस्तक्षेप करते हैं, उपभोक्ताओं को पहले से अधिक हानि उठानी पड़ती है । यदि कुछ कर सकना संभव हुआ, तो हम प्रयत्न करेंगे । परन्तु सामान्यतया: हस्तक्षेप करने का उल्टा प्रभाव पड़ता है ।

कावेरी नदी के पानी का उपयोग

†***६६२. श्री नरसिंहन्** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेत्तूर और निकटस्थ मैसूर-मद्रास सीमा के बीच कावेरी नदी के पानी का उपयोग करने के लिये मद्रास और मैसूर राज्यों की संयुक्त विद्युत् परियोजना की जांच की जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस समय जांच किस प्रक्रम पर है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मैसूर–मद्रास सीमा और मेत्तूर के बीच कावेरी नदी के पानी के उपयोग के लिये, प्राथमिक जांच पर आधारित होगानक्कल जल-विद्युत् परियोजना सम्बन्धी प्राथमिक प्रतिवेदन मद्रास-राज्य विद्युत् बोर्ड से केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में प्राप्त हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना में होगानक्कल झरने से ८ मील ऊपर की ओर कावेरी नदी पर लगभग ४५० फुट ऊंचा एक बांध बनाने की व्यवस्था है जिसकी क्षमता लगभग १,०४,००० घन फुट है। प्राथमिक प्रतिवेदन में दो विद्युत् स्टेशनों—एक बांध के नीचे और दूसरा मुख्य बांध और मेतूर बांध—का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) प्राथमिक प्रतिवेदन को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने जांच की और मद्रास राज्य बिजली बोर्ड को सूचित किया गया कि इसकी अवधि में बिजली, सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण सम्बन्धी विस्तृत जल प्रबन्ध अध्ययन इस प्रकार किये जायें जिस से निश्चित रूप से बिजली के उत्पादन की संभावना हो जैसा कि योजना में दिया गया है। मद्रास राज्य बिजली बोर्ड को यह भी सुझाव दिया गया है कि विद्युत् शक्ति का अध्ययन स्थान की जांच करने से पूर्व किये जायें।

इस योजना को तृतीय योजना में शामिल नहीं किया गया है।

†श्री नरसिंहन् : विवरण में यह कहा गया है कि एक प्राथमिक प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। क्या प्राथमिक प्रतिवेदन में मद्रास-राज्य बिजली बोर्ड ने लागत और अनुमानित विद्युत् उत्पादन के बारे में बताया है?

†श्री हाथी : जी, हां। लागत का अनुमान ५३ करोड़ रुपये लगाया गया है और विद्युत् उत्पादन, ६० प्रतिशत भार पर, लगभग ७ लाख किलोवाट है।

†श्री नरसिंहन् : क्या सरकार को यह पता लगा है कि विद्युत् उत्पादन के साथ सिंचाई जल योजना को मिलाने के भी सुझाव दिये गये हैं?

†श्री हाथी : जी, हां। हमने मद्रास सरकार से विस्तृत जल प्रबन्ध अध्ययन करने को कहा है और उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे।

†श्री तंगामणि : क्या मैसूर सरकार इस प्रस्ताव से सहमत हो गयी है और यदि हां, तो इस बात को देखते हुए कि प्राथमिक प्रतिवेदन के अनुसार बिजली की कमी है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार को केन्द्र की सहायता से कार्य करने दिया जायेगा, यद्यपि इस को तृतीय योजना में शामिल नहीं किया गया है?

†श्री हाथी : हमारे पास केवल प्राथमिक प्रतिवेदन है। विस्तृत रूप से जांच करनी पड़ेगी। उस के बाद समूचे प्रश्न पर निर्णय किया जा सकता है।

पिछड़े समुदाय

+

*६६५. { श्री सूपकार :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रमेश प्रसाद सिंह :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हेम बरूआ :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम समाज के निर्बल अंगों की दशाओं का पता लगाने के लिये जो अध्ययन दल नियुक्त किया गया था, क्या उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) उक्त सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस दल ने अपने कार्य में क्या प्रगति की है ; और

(ङ) कब तक उसकी रिपोर्ट मिल जाने की आशा है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) प्रतिवेदन की सरकार जांच कर रही है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री पुरकार** : यह प्रतिवेदन कब दिया गया था ?

†**श्री ब० सु० मूर्ति** : १२–१०–१९६१ को।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इस समिति की सिफारिशें आदर्श हैं और वे वास्तविक स्थिति से संबंधित नहीं हैं ?

†**श्री ब० सु० मूर्ति** : माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हुगली नदी में डूबा हुआ हालैंड का जहाज

†*६४७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी में डूबा हुआ हालैंड का जहाज इस बीच निकाल लिया गया है ;

(ख) क्या जहाज निकालने के व्यय और/अथवा दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दावे का कुछ भाग कलकत्ता पत्तन प्राधिकार द्वारा सहन किया जायेगा ; और

(ग) क्या जहाज को निकालने से नदी की नौगम्यता में हाल ही हुई कमी को रोकने पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) डूबा हुआ हालैण्ड का जहाज अंशतः निकाल लिया गया है । पोत का ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया गया है और अब इसके ऊपर २४ फुट गहराई हो गयी है । इसका बाकी भाग कीचड़ में फंसा है और उसे नहीं निकाला जा सकता । तथापि, यह नौवहन में बाधक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पोत को तोड़ने का खर्च और जल हानि के कारण हुए दावे ...लकर्षण ठे दारों द्वारा दिये गये । ...क प्रशान कलकत्ता पत्तन आयुक्त ने खर्च का कोई भाग वहन नहीं करना है ।

(ग) इस पोत से चिनान और नूरपुर में बहाव की स्थिति पर असर पड़ा । पोत के तोड़ दिये जाने से इसमें बहाव की कमी पर नियंत्रण कर लिया गया है ।

सहकारी शिक्षा संबंधी गोष्ठी

†*६४६. { श्री सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहकारी शिक्षा सम्बन्धी गोष्ठी का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) गोष्ठी की मुख्य मुख्य सिफारिशें सभा पटल पर रखी जाती हैं । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०] ।

वनस्पति में रंग मिलाना

†*६५०. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति में रंग मिलाने के प्रयोगों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस में रंग मिलाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार किया जा रहा है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई बन्दरगाह का आधुनिकीरण

†*६६२-क. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८१

†मूल अंग्रेजी में

के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई बन्दरगाह को आधुनिक ढंग का बनाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ, श्री पौस्थ्यूमा, के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). पहले श्री पौस्थ्यूमा के प्रतिवेदन पर विचार करना और फिर उसको ध्यान में रख कर प्रस्ताव बनाना बम्बई पत्तन न्यास का काम है। संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से सितम्बर, १९६१ में सरकार को रिपोर्ट दी थी । बम्बई पत्तन न्यास से तत्काल इस पर विचार करने को कहा गया । पत्तन न्यास अब इस पर विचार कर रहा है । उन्होंने श्री पौस्थ्यूमा की सिफारिशों को ध्यान में रख कर बम्बई बन्दरगाह के आधुनिकीकरण के लिये एक परियोजना प्रतिवेदन बनाया है और इसको परिचलित किया है । ट्रस्टियों ने इस पर २४ अक्तूबर, १९६१ की बैठक में विचार किया और परियोजना प्रतिवेदन की प्रतियां, प्रमुख वाणिज्यिक निकायों, बम्बई नगर निगम, महाराष्ट्र, सरकार और पत्तन विकास में सविकृत कुछ व्यक्तियों को भेजने का निर्णय किया। इन विचारों के प्राप्त होने पर, पत्तन न्यास बोर्ड इस मामले में अन्तिम निर्णय करेगा।

भाड़ादरों का विनियमन करने के लिये संविहित अधिकार

†*६६३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका विधि के अनुसार विदेशी व्यापार की भाड़ा दरों का विनियमन करने के लिये संविहित अधिकार प्राप्त करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). समुद्र पार-व्यापार में भाड़ा दरों को विनियमित करने के लिये संविहित अधिकार प्राप्त करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन

†*६६४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अगाड़ी :

क्या **रेलवे** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२ के उत्तर के सम्बन्ध

†मूल अंग्रेजी में

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हसन और मंगलौर के बीच रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). मंगलौर-हसन लाइन को तृतीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे के कार्यक्रम में शामिल किया गया है ।

तीन गुण वाले टीके का उत्पादन

†*६६६. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तीन गुण वाले टीके (डिपथीरिया, काली खांसी और टिटेनस) को एक साथ तथा अलग-अलग बनाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है और उसमें क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इनकी कुल आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) इसके लिये कितने धन की आवश्यकता होगी और वह कहां से प्राप्त होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तीन गुण वाले टीके के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये अपनाये जाने वाले तरीके के बारे में विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा नियोजित एक अल्प-कालीन परामर्शदाता ने जनवरी से मार्च, १९६१ तक तीन महीनों के लिये केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था, कसौली में अध्ययन किया। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें इस विशेषज्ञ की मुख्य सिफारिशें और उन पर की जाने वाली कार्यवाही दी गयी है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(ख) जी, हां ।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि १० वर्ष से कम आयु के सभी आयु-वर्गों के लिये इसकी कुल मात्रा की आवश्यकता ४७३० लाख खुराक होगी और एक वर्ष से कम के बच्चों के लिये इसकी आवश्यकता ४३० लाख खुराक होगी।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२]**

दिल्ली में चक्षु बैंक

†*६६६-क. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के उत्तर के

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक चक्षु बैंक स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मामले के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). यह प्रश्न अभी दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

माल तथा सवारी डिब्बों का निर्यात

†६६७. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित रेलवे के सवारी तथा माल डिब्बों के निर्यात की संभावनाओं की खोज करने के लिये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, पाकिस्तान, लंका और अर्जेंनटाइना का दौरा करने के लिये गये शिष्टमंडलों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) पाकिस्तान तथा अर्जेनटाइना रेलवे द्वारा सब देशों से की गई पूछताछ के उत्तर में राज्य व्यापार निगम की मार्फत जो मूल्य बताये गये थे उसके क्या परिणाम निकले ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) शिष्टमंडलों को पता लगा कि इन देशों को चल-स्कन्ध और अन्य रेलवे उपकरण के निर्यात की संभावना है । परिणामस्वरूप, पाकिस्तान और अर्जेन्टाइना को यात्री डिब्बों के संभरण के लिये समेकित रेलवे डिब्बा कारखाना मद्रास को ओर से राज्य व्यापार निगम द्वारा टेन्डर दिये गये थे।

(ख) पाकिस्तान के टेन्डर के बारे में अन्तिम निर्णय का अभी पता नहीं है । अर्जेन्टाइनी रेलवे ने दो स्थानीय फर्मों को ठेका दिया है जो कुछ विदेशी निर्माताओं के सहयोग से देश में रेलवे सवारी डिब्बों का निर्माण करेंगे ।

ब्रह्मपुत्र नदी पर बाढ़ नियंत्रण कार्य

†६६८. श्री प्र० गं० देव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी पर बाढ़ नियंत्रण कार्य का अध्ययन करने के लिये भारत और पाकिस्तान दोनों ने पारस्परिक व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्व पाकिस्तान के इंजीनियरों ने बाढ़-नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिये कितने बार दौरा किया ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). अगस्त, १९५६ में मंत्री स्तर पर नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान की सरकारें दोनों देशों के पूर्वी प्रदेशों में बाढ़ की समस्याओं के सुलझाने में सहयोग देने को राजी है । पाकिस्तानी शिष्टमंडल के अनुरोध पर असम में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ कुछ बाढ़ नियंत्रण कार्यों के

†मूल अंग्रेजी में

लिये पाकिस्तानी इंजीनियरों के एक दल को सुविधायें देने पर भी सहमति हुई। अभी तक ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ है। कुछ समय पूर्व स्टीमर द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के साथ पाकिस्तानी इंजीनियरों का एक दल भेजने के बारे में पाकिस्तान से एक निर्देश प्राप्त हुआ था। यह अनुरोध विचाराधीन है।

दिल्ली में खाना बनाने और औद्योगिक कार्यों के लिये गैस ईंधन

†*६६९. **श्री दो० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कोयले की कमी के कारण खाना बनाने और औद्योगिक कार्यों के लिये गैस ईंधन का संभरण करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी कोई और प्रगति नहीं हुई है। प्रतिवेदन अभी सम्बन्धित प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रासायनिक उर्वरक

†*६७०. **श्री बलराज मधोक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रासायनिक उर्वरकों का मिट्टी की उर्वरता और खाद्यान्नों की किस्म पर क्या खतरनाक प्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उर्वरक के कारण दीर्घकाल में मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और जमीन ऊसर और अनुत्पादक हो जाती है ; जैसा कि अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों में हुआ है ;

(ग) क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि सर अल्बर्ट हावर्ड भारत में अपने चालीस वर्ष के निवास के दौरान इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उर्वरक मिट्टी के लिये बहुत खतरनाक होता है और इसके द्वारा खाद्यान्नों की पोषण क्षमता भी कम हो जाती है ; और

(घ) जब पश्चिमी राष्ट्र 'आर्गेनिक' खेती को अपना रहे हैं तब हम भारत में रासायनिक खेती को क्यों लागू कर रहे हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है।

विवरण

(क) और (ख). इस विचार के समर्थन का कोई साक्ष्य नहीं है। भारत में किये गये दीर्घकालीन प्रयोगों से पता चलता है कि समुचित रूप में मिला कर रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

(ग) सर एलबर्ट हावर्ड ने आर्गेनिक खाद के इस्तेमाल के पक्ष में कहा। तथापि, इसका यह मतलब नहीं कि रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय मिट्टी के लिये जो कुछ आवश्यक है, वह रासायनिक उर्वरक और आर्गेनिक खाद का उचित रूप से मिश्रण है ।

(ग) यह तथ्य नहीं है । पश्चिमी देशों में प्रति वर्ष रासायनिक उर्वरक की अधिकाधिक मात्रा का इस्तेमाल होता है ।

केन्द्रीय आयुर्वैदिक अनुसन्धान परिषद्

†*६७१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच केन्द्रीय आयुर्वैदिक अनुसन्धान परिषद द्वारा आयुर्वेद विद्यार्थियों के लिये बनाये गये पाठ्यक्रम और पाठचर्या पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

डाक तथा तार का नया सब-डिवीजन

*६७२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १७ अगस्त १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश परिमंडल के डाक तथा तार विभाग में दूर संचार व्यवस्था के पुनर्गठन के लिये जो दो नये सब डिवीजन बनाये गये हैं, उन्हें कहां स्थापित किया गया है और उनका कार्यक्षेत्र कहां तक फैला हुआ है ; और

(ख) उसके बाद इस कार्य में और क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था कायम रखने के लिये नैनीताल और नजीबाबाद में दो उपमण्डल बनाए गये हैं ।

(ख) अतिरिक्त मंडलों और उपमंडलों को बनाने के सवाल पर तेजी से विचार किया जा रहा है ।

कृषि आयोग

†*६७२-क. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कृषि आयोग नियुक्त करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** तीन राज्य सरकारों के उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं । उन्हें पुनः लिखा जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीका से आयात किया गया गेहूं

†*६७२-ख. **श्री बलराज मधोक :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका से कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया गया है और हमारी खेतियों में जमा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस गेहूं पर दर्जनों तेज़ जहरीली दवाइयां छिड़की गई हैं, जिसके कारण इसे खाने से कैंसर तथा अन्य ह्रास करने वाले रोग होने का डर है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अमरीका में गेहूं कितने ही वर्षों तक रखा रहा था और इसलिए अब यह मनुष्यों द्वारा खाने योग्य नहीं रह गया है ; और

(घ) क्या इसके पोषण तत्वों का परीक्षण कर लिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) अमेरिका में उपलब्ध गेहूं की पांच किस्मों में से आयात केवल दो किस्मों का किया जाता है । चावल का आयात उन किस्मों तक सीमित है जिनमें टूटे हुए चावल २५ प्रतिशत से अधिक न हों । भारत पहुंचने पर खाद्यान्नों की प्रायः समस्त मात्रा को बोरों में भरकर गोदामों में रखा जाता है । आयात किए जाने वाले समस्त खाद्यान्न की किस्म की अमेरिका में और फिर भारत पहुंचने पर जांच की जाती है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । अमेरिका में खाद्यान्नों के रासायनिक अंशों की परीक्षा के कठोर नियम हैं और भारत में भी परीक्षण किए जाते हैं ।

(ग) जो खाद्यान्न बहुत दिन संग्रह किए जाने के कारण मनुष्य के खाने के अयोग्य हो जाता है उसे मनुष्यों के खाने के लिए दी जाने वाली ५ किस्मों में से किसी में भी फिट नहीं किया जा सकता है ।

(घ) भारत पहुंचने पर खाद्यान्न की प्रत्येक खेप के पोषक तत्व का परीक्षण किया जाता है ।

रेलवे दुर्घटनायें

†*६७३. **श्री प्र० गं० देव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा और टाटानगर के निकट २६ नवम्बर, १९६१ को दो रेलवे दुर्घटनायें हुई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं के कारण क्या थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) मध्य रेलवे पर आगरा सिटी और राजा की मंडी के बीच की दुर्घटना २५-११-६१ को (२६-११-६१ को नहीं) हुई थी और दक्षिणपूर्व रेलवे के हावड़ा-नागपुर सेक्शन में झारग्राम की दुर्घटना २६-११-६१ को हुई थी ।

(ख) इन दोनों दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लुधियाना में कृषि विश्वविद्यालय

†१४२६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लुधियाना के राजकीय कृषि कालेज और गवेषणा संस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका के लैण्ड ग्राण्ट कालेजों के नमूने पर एक आधुनिक रेजाडेन्शल कृषि विश्वविद्यालय बना देने के प्रस्ताव के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**कृषि मंत्री (श्री पं० शा० देशमुख) :** पंजाब सरकार ने लुधियाना में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक कानून बना लिया है। परन्तु इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

परादीप पत्तन

†१४२७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के परादीप पत्तन में पत्तन सुविधाओं के विकास के संबंध में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३**]

आदर्श नगर आयोजन विधान

†१४२८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२७ के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श नगर आयोजन विधान को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बन्ध में आजतक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** तीन मंत्रियों की समिति द्वारा तैयार किए गए आदर्श नगर आयोजन विधान के प्रारूप पर अक्तूबर, १९६१ में त्रिवेन्द्रम में हुए नगर तथा ग्राम आयोजन संबंधी राज्य मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन द्वारा विचार एवं उसका अनुमोदन किया गया था। इस सम्मेलन की सिफारिश पर प्रारूप विधान की राज्य सरकारों से योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन के लिए ऐसे संपरिवर्तनों सहित, जैसे कि स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के लिए आवश्यक हों, विचार करने की सिफारिश की गई है।

देश में चेचक का रोग

†१४२९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छ: महीनों में भारत में चेचक से कितने व्यक्ति मरे हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रोग के मरीजों की क्या सहायता की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६४**]

---

†मूल अंग्रेजी में

वन सम्पत्ति

†१४३०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा देश की वन सम्पत्ति की रक्षा करने और उसे बढ़ाने के लिए १९६१-६२ में कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) उस राशि का राज्यवार वितरण किस प्रकार होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). पुनरीक्षित वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार वनरोपण और भूमिसंरक्षण योजनाओं के लिए संयुक्त उपबन्ध किया जाता है। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें १९६१-६२ के लिए उपबन्ध की गई राशियां दी गई हैं। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५]**

नई दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज

†१४३१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंज में १ जनवरी, १९६२ से आद्यतन कुल कितने ट्रंक काल बुक किए गए ;

(ख) उनमें से कितने काल रद्द कर दिए गए ;

(ग) रद्द किए जाने के कारण क्या हैं ; और

(घ) इस कारण सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० पं० सुब्बरायन) :** (क) नई दिल्ली ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज में १-१-६० से ३०-९-६१ तक बाहर जाने वाले २,२१३,१६१ ट्रंक काल बुक किए गए।

(ख) और (ग). विभाग द्वारा अपनी ओर से कोई भी काल रद्द नहीं किया जाता है। काल तब तक लम्बित रखे जाते हैं जब तक कि वे प्रयोग द्वारा प्रभावी अथवा अप्रभावी न हो जायें अथवा उन्हें बुक कराने वाले पक्ष द्वारा रद्द न कर दिया जाये। रद्द किए गए काल का कोई पृथक ब्यौरा नहीं रखा जाता है वरन् वे अप्रभावी काल के अंग बन जाते हैं जिनकी इस अवधि की संख्या ३८५,२७३ है।

ग्राहक के कहने अथवा विभागीय कारणों से अप्रभावी हुए कॉल की औसत संख्या निम्न-प्रकार है :

ग्राहक के कहने से . बुक किए गए कॉल का १२ प्रति शत।

विभागीय कारणों से . . बुक किए गए कॉल का ८-१० प्रतिशत।

(घ) चूंकि अप्रभावी कॉल का मूल्यांकन नहीं किया जाता है और चूंकि यह निर्णय करना संभव नहीं है कि कौन से कॉल अन्यथा रद्द कर दिए जाते, इसलिये इन कॉल से होने वाली संभावित आय का निर्धारण करना संभव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

†१४३२. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए ;

(ग) क्या कुछ व्यक्तियों को उनके पुराने कनेक्शनों के अतिरिक्त नये टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो ये कनेक्शन किस आधार पर मंजूर किए गए हैं और उनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) जिन व्यक्तियों को अभी तक कनेक्शन मंजूर नहीं किए गए हैं उनको शेष कनेक्शन कब तक दिए जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० ए० सुब्बरायन्) :** (क) टेलीफोन कनेक्शनों के लिये पिछले तीन वर्षों—१-४-१९५८ से ३१-३-६१ तक —में कुल २३१६० प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये थे ।

(ख) १३७२८ (१-४-५८ से ३१-३-६१ तक),

(ग) जी, हां ।

(घ) टेलीफोन कनेक्शन विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में रजिस्टर्ड प्रार्थनापत्रों के आधार पर दिए जाते हैं । इनका आवंटन प्रत्येक श्रेणी में प्रतीक्षा सूची की बारी के अनुसार किया जाता है । बारी के बाहर के कनेक्शन टेलीफोन मंत्रणा समिति की सलाह अथवा सरकार की सिफारिशों पर अथवा यातायात कारणों से दिए जाते हैं । समस्त प्रार्थनापत्रों पर, चाहे वे पहले टेलीफोन के लिये हों अथवा अतिरिक्त टेलीफोन के लिये, बिना किसी भेदभाव के विचार किया जाता है ।

एक से अधिक टेलीफोनों के आवंटन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । ऐसे मामलों की संख्या लगभग २५० है जिनमें पुराने टेलीफोनों के अतिरिक्त नए कनेक्शन मंजूर किए गए हैं ।

(ङ) प्रतिक्षा सूची के प्रार्थियों को कनेक्शन देने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है । परन्तु यह देखा गया है कि मांग विभाग को उपलब्ध संसाधनों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है ।

खोसला समिति का प्रतिवेदन

†१४३३. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे पुलों से सम्बन्धित खोसला समिति की सिफारिशें किस प्रकार की हैं जो सरकार द्वारा स्वीकृत एवं क्रियान्वित की जा चुकी है ; और

(ख) कौनसी सिफारिशें अभी क्रियान्वित की जानी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). खोसला समिति द्वारा एक अल्प अवधि योजना के रूप में की गई पांच सिफारिशें स्वीकार की गई है। उनमें से तीन क्रियान्वित की जा चुकी हैं। शेष दो के क्रियान्वयन के लिये दो या तीन वर्षों की वास्तविक क्षेत्र जांच के परिणामों की प्रतिक्षा करनी होगी।

स्वीकृत की जा चुकी पांच अन्य दीर्घकालीन सिफारिशों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के साथ सहयोग से कार्यवाही की जा रही है। उनके क्रियान्वयन में कुछ समय लगेगा।

भाखड़ा नांगल परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई और विद्युत् कार्य

†१४३४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** ४ अप्रैल १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नांगल परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई और विद्युत् कार्यों के सम्बन्ध में आद्यतन स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]**

बटाला में क्वार्टर

†१४३५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बटाला में १९६०–६१ के दौरान रेलवे कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया है ;

(ख) कितने क्वार्टर आवंटित किए गए हैं; और

(ग) १ मार्च, १९६१ को आवण्टन की प्रतीक्षा सूची में कितने कर्मचारी थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) कोई नहीं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) तीसरी श्रेणी के १९ और चौथी श्रेणी के ४।

पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

†१४३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ;

(ख) पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के कार्यक्रम में सरकार की सफलताएं क्या हैं; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युतीकरण के लिये कितने नए गांव और छोटे छोटे कस्बे जिलेवार सूचीबद्ध किए गए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में निर्दिष्टतः ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी। इन योजनाओं का वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा, केन्द्र द्वारा विविध विकास योजनाओं और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये विद्युत् सुविधाओं के विस्तार के लिये उपबन्धित ऋण सहायता से किया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये केन्द्रीय ऋण देने की एक योजना १९५९-६० में लागू की गई थी। पंजाब सरकार की उनके द्वारा १९५९–६० में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिये किये गए ७७.०९ लाख रुपये के व्यय को ऋण समझ लेने की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक १९६०–६१ ––दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष––का सम्बन्ध है, कोई केन्द्रीय सहायता मंजूर नहीं की गई थी क्योंकि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव पेश नहीं किया था।

(ख) ३१–३–१९६१ तक २,९६२ गांवों में बिजली लगी।

(ग) पंजाब में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान २००० गांवों में बिजली लगाए जाने की योजना है। जिले-वार ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

विजयवाड़ा में ऊपरी पुल

†**१४३७. श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री १ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा स्टेशन पर सड़क का ऊपरी पुल बनाने के सम्बन्ध में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है और

(ख) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) योजना की अभी जांच की जा रही है और पुल के स्थान और उसकी लागत के आवंटन के संबंध में अन्तिम निर्णय शीघ्र कर लिये जाने की आशा है। नक्शों और प्राक्कलन की तैयारी का कार्य उसके पश्चात् प्रारम्भ किया जायेगा।

(ख) इस अवस्था में कार्य की समाप्ति की तारीख बताना बहुत जल्दबाजी करना होगा।

दिल्ली स्टेशन पर पुश-बटन सिगनल

†**१४३८. श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री, १ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की मनुष्य द्वारा संचालित पुरानी रेलवे सिगनलिंग प्रणाली के स्थान पर पुश-बटन सिगनल लगाने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : दिल्ली स्टेशन के लिये रूट-रिले पुश-बटन इंटर-लाकिंग उपकरण के संभरण का व्यादेश दिया जा चुका है और कार्य के १९६३ को समाप्ति के पूर्व पूरा हो जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगनपुर में पीने का पानी

†१४३९. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे की परभनी-पुरली–वैजनाथ लाइन पर सिंगनपर स्टेशन पर पीने के पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान्; स्टेशन के अहाते में स्थित एक कुंए से खींचा गया पानी यात्रियों के उपयोग के लिये मिट्टी के घड़ों में रखा जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

छोटी सिंचाई योजनायें

†१४४०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में केन्द्रीय सरकार और मद्रास, आंध्र प्रदेश, मैसूर, केरल और महाराष्ट्र राज्यों के प्रतिनिधियों का बंगलौर में एक सम्मेलन क्षेत्र की छोटी सिंचाई योजनाओं की प्रगति की चर्चा करने के लिये हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में व्यक्त किये गये मुख्य विचार और उसके द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ।

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६७]** ।

छोटी सिंचाई योजनायें

†१४४१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९६१ में केन्द्रीय सरकार और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों के प्रतिनिधियों का नई दिल्ली में एक सम्मेलन क्षेत्र की छोटी सिंचाई योजनाओं पर चर्चा करने के लिये हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में व्यक्त किये गये मुख्य विचार और उसके द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६८]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†१४४२. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड को जहाजों के निर्माण के लिये नये व्यादेश प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी हां। मितसुबिशी टाइप के नौ जहाजों के व्यादेश प्राप्त हुये हैं। इनमें से सात शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया से आये हैं और तीन सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड से।

मोटर कारों पर देवनागरी अंक

†१४४३. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोटर कारों पर देवनागरी अंकों के पक्ष में नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सरकार मोटर कारों पर केवल देवनागरी ही के अंकों के प्रयोग के पक्ष में नहीं है।

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३(१) में यह उपबन्ध है कि संघ में सरकारी प्रयोजनों के लिये भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९, जो एक केन्द्रीय अधिनियम है, में विनिहित रजिस्ट्रेशन अंक अनिवार्यतः इस आवश्यकता के अनुसार हैं।

दुर्गापुर का इस्पात कारखाना

†१४४४. **श्री न० भ० देव :**
श्री वारियार :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर पावर स्टेशन में सभी टर्बाइनें चालू कर दी गई हैं ;

(ख) प्रत्येक टर्बाइन अधिक से अधिक कितनी बिजली पैदा कर रहा है ; और

(ग) क्या सारी लागत का भुगतान एम० ए० एन० कम्पनी को कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दोनों टर्बाइनें तैयार हो चुकी हैं और उनकी परीक्षा की जा चुकी है। एक दामोदर घाटी निगम द्वारा संभाल ली गई है। दूसरी टर्बाइन को अन्तिम समायोजन के लिये बन्द कर दिया गया है ताकि वह पूरा करने के पश्चात् उसे दामोदर घाटी निगम अपने हाथ में ले सके।

(ख) पहली टर्बाइन पूर्ण क्षमता के अनुसार ८२,५०० किलोवाट का उत्पादन कर रही है। दूसरी बन्द होने के पूर्व तीन मास तक ४५,००० से ७४,००० किलोवाट का उत्पादन करती रही।

(ग) संविदा के अनुसार ९० प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। शेष १० प्रतिशत, टर्बाइन के ठीक काम करन पर १२ मास बाद दे दिया जायेगा।

व्यास बांध पर मुकेरियां—तलवाड़ा रेल सम्पर्क

†१४४५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास बांध पर मुकेरिया से तलवाड़ा तक रेल सम्पर्क स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन और डाक तथा तार घर

†१४४६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में आन्ध्र प्रदेश में कितने टेलीफोन लगाये जायेंगे ;

(ख) इसी अवधि में कितने डाक और तार घर खोले जायेंगे ; और

(ग) उन पर कितना व्यय किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)** : (क) १६६५०।

(ख) २५०० डाक घर।
लगभग २०९ तार घर।

(ग) प्रस्तावित लगभग व्यय :
तारघर २४ लाख रुपये
टेलीफोन ५३ लाख रुपये
डाक घर ६.९२ लाख रुपये

महबूबाबाद स्टेशन पर ऊपरी पुल

†१४४७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में महबूबाबाद स्टेशन पर ऊपरी पुल के निर्माण के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक जो काम पूरा हुआ है उस पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) रेलवे लाइनों पर ऊपर और नीचे के पुल बनाने का काम रेलवे विभाग तभी अपने हाथ में लेता है जब राज्य सरकार यह सिफारिश करती है और बताती है कि वह अमुक वर्ष सड़क प्राधिकारी का अंश देने में समर्थ होगी। तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में महबूबाबाद स्टेशन पर सड़क का ऊपरी पुल बनाने के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पठानकोट स्टेशन के लिये मास्टर प्लान

†१४४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पठानकोट जंक्शन के लिये मास्टर प्लान तैयार करने में क्या प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां): पठानकोट के लिये मास्टर प्लान तैयार करने का अभी कोई विचार नहीं है। इस समय वहां उपलब्ध सुविधायें पर्याप्त हैं।

आंध्र प्रदेश के लिये उर्वरक

†१४४९. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की उर्वरक सम्बन्धी मांग पूरी की जा रही है ; और

(ख) १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक उर्वरक की कुल कितनी खपत हुई ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां, परन्तु केन्द्रीय उर्वरक संग्रह में स्टाक सीमित है।

(ख) १९६०–६१ में आंध्र प्रदेश में वास्तव में हुई खपत और १९६१–६२ में अब तक किये गये संभरण का ब्यौरा इस प्रकार है :—

उर्वरक की किस्म	१९६०–६१ में (१२ मास) खपत	१–४–६१ से ३०–११–६१ (८ मास तक) संभरण
सल्फेट आफ अमोनिया .	५५,७२२	७६,४००
यूरिया . .	५,७३०	३०,२००
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट .	५,७४६	१३,९००
कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट . .	१०,१४४	४२,५००

राजस्थान की केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्था

†१४५०. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रारम्भ से लेकर अब तक राजस्थान की केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था ने क्या-क्या सफलताएं प्राप्त की हैं ; और

(ख) संस्था पर कितनी पूंजी लगेगी और कितना आवर्तक व्यय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६९]

दामोदर घाटी निगम की चन्द्रपुर योजना

†१४५१. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम की चन्द्रपुर योजना कब स्वीकृत हुई थी, निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ और इसके कब तक पूरे होने की आशा है ;

(ख) बोकारों को तैयार करन में कितने वर्ष लगे और चन्द्रपुर की तुलना में इसकी स्थिति क्या है और यदि इन में कोई अन्तर है तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चन्द्रपुर की योजना और डिजाइन तैयार करने का काम दामोदर घाटी निगम के किसी इंजीनियर को सौंपा गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) हाल ही में समाचार पत्रों में जो यह रिपोर्ट छपी कि चन्द्रपुर योजना में कोई प्रगति नहीं हुई है कहां तक सही है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १२५ एम० डब्ल्यू० के दोनों यूनिटों में से एक १९५८ में और दूसरा १९५९ में स्वीकृत हुआ था। १९६०–६१ में आदेश दे दिये गये थे। पहला यूनिट १९६४ की समाप्ति तक और दूसरा उसके तीन मास पश्चात् पूरा हो जायेगा।

(ख) बोकारों के चार यूनिटों में से पहले तीन जो ५० एम० डब्ल्यू० के थे ४८ से ५५ मास में तैयार हो गये और ७५ एम० डब्ल्यू० का चौथा यूनिट ४३ मास में तैयार हो गया। इस आधार पर चन्द्रपुर के १२५ एम० डब्ल्यू० के दोनों यूनिट ४३ और ४७ मास में तैयार हो जायेंगे। दोनों स्थानों के यूनिटों की किस्मों और उनके आकार में अन्तर होने के बावजूद चन्द्रपुर के यूनिट बोकारो की तुलना में जल्दी तैयार हो जायेंगे।

(ग) चन्द्रपुर थर्मल स्टेशन की योजना और डिजाइन तैयार करने का काम मुख्यत: गिब्स एण्ड हिल इंक, यू० एस० ए०, जो दामोदर घाटी निगम के परामर्शदाता हैं, का है। दुर्गापुर योजना के प्लानिंग डिजाइन और निर्माण का प्रबन्ध करने का काम कुलजियन कारपोरेशन यू० एस० ए० का था।

(घ) यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रिपोर्ट किस समाचार पत्र में छपी थी फिर भी यह कहना सही होगा नहीं कि चन्द्रपुर में कोई प्रगति नहीं हुइ है। बस्ती सड़कें आदि तैयार हो चुके हैं और ६० प्रतिशत से अधिक उपकरण के लिये आर्डर भेजा जा चुका है।

पुरूलिया में रेलवे लोको शेड

†१४५२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुलिया का रेलवे लोको शेड अकस्मात बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पुरुलिया-कोटशिला सेक्शन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने से पूर्व इसे क्यों बन्द किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में]

(घ) इस सेक्शन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का काम कब आरम्भ होगा और कब पूरा होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं । पुरुलिया और कोटशिला के बीच गाड़ियों को छोटी लाइन पर चलाने की व्यवस्था अब भी मौजूद है ।

(ख) मुरी रांची छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के फलस्वरूप ९ इंजनों को रांची और लोहाडागा के बीच गाड़ियां चलाने के लिये भेजना पड़ा और रांची में इन इंजनों की मरम्मत के लिये एक शेड तैयार किया जा रहा है ।

(ग) भाग (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) पुरुलिया कोटशिला सेक्शन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने की कोई पुरुस्थापिना नहीं है ।

कलकत्ता पत्तन के लिए ड्रेजर

†१४५३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७९ और २९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२५ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कलकत्ता पत्तन कमिश्नर दो बड़े सेक्शन ड्रेजरों के अलावा एक छोटा सेक्शन ड्रेजर और दो ग्रेब ड्रेजर भी प्राप्त करना चाहते हैं ;

(ख) क्या इनमें से किसी ड्रेजर के लिये आर्डर भेजा जा चुका है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या ब्रिटिश फर्मों के अलावा किसी अन्य स्थान से भी यह ड्रेजर प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ; और

(ङ) तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुगली नदी में रेत हटाने की कुल वार्षिक लागत किस हद तक बढ़न की प्रत्याशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां । तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में कमिश्नरों ने इसकी व्यवस्था की है ।

(ख) और (ग). इनमें से किसी के लिए आर्डर नहीं भेजा गया है ।

(घ) संसार के सभी देशों से टेन्डर मांगे जायेंगे ।

(ङ) १९६०–६१ में कुल मिलाकर ड्रेजिंग पर ८८. १७ लाख रुपये खर्च हुए थे । इस वृद्धि के फलस्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना में ड्रेजिंग की लागत अवश्य बढ़ जायेगी । परन्तु उसका परिणाम बताना इस समय संभव नहीं । मोटा अन्दाजा यह है कि एक बड़े सेक्शन ड्रेजर की देख भाल पर २० से २५ लाख रुपया प्रति मास व्यय किया जाता है । ग्रेब ड्रेजर और छोटे सेक्शन ड्रेजर पर खर्चा काफी कम आयेगा ।

दूध का उत्पादन तथा खपत

†१४५४. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में इस समय राज्यवार प्रति व्यक्ति कितना दूध इस्तेमाल और तैयार होता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५१, १९५६ और १९६० में उड़ीसा में दूध का कितना उत्पादन हुआ था और प्रतिव्यक्ति कितनी खपत हुई थी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७०]**

भारत-लंका विमान यातायात वार्ता

†१४५५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका के **परिवहन तथा संचार** मंत्री हाल ही में एयर सीलोन इंटरनेशनल और एयर इंडिया इंटरनेशनल के बीच सहयोग की बातचीत करने के लिये भारत आये थे ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम रहा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** (क) जी हां। लंका के परिवहन तथा निर्माण कार्य मंत्री (श्री पी० बी० जी० कालु गल्ला सितम्बर, १९६१ में भारत आये थे। उनके साथ श्री डब्ल्यू० ए० ई० मोलातुके, एयर सीलोन के जनरल मैनेजर भी थे। उन्होंने एयर इंडिया इंटरनेशनल के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ सामान्य बातचीत की थी।

(ख) कोई निश्चित प्रस्थापनायें पेश नहीं की गईं।

(ग) एयर सीलोन यह चाहता था कि वह अपनी अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवायें, जिन्हें वह अब तक के० एल० एम० के सहयोग से चला रहा था अब इंटरनेशनल एयरलाइन के सहयोग से चलाये। परन्तु लंका के हवाई अड्डों पर छोटे और दरम्याने साइज के जेट ही रुक सकते हैं जो एयर इंडिया नहीं चलाता इस लिये अभी ऐसे सहयोग की कोई आशा नहीं है।

खजुराहों में हवाई अड्डा

†१४५६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थान पर एक हवाई अड्डा खोलने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). योजना सम्बन्धी विस्तृत प्राक्कलन तैयार होने वाले हैं।

हरिद्वार में कुम्भ के मेले के लिये व्यवस्था

१४५७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार में अगले कुम्भ मेले के लिये कोई यात्रियों को लाने ले जाने की विशेष व्यवस्था की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ;

(ग) लगभग कितने लाख मनष्यों के इस मेले में भाग लेने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या मेले के लिये कुछ अन्य छोटे स्टेशन तथा अतिरिक्त टिकट घर खोले जायेंगे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). कोचिंग स्टाक, गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाने की गुंजाइश, इंजनों के उपलब्ध होने, लाइन की क्षमता और माल-यातायात के परिवहन का विशेष ध्यान रखते हुए अप्रैल, १९६२ में हरिद्वार के कुंभ मेले के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के संतोषप्रद परिवहन के लिए यथासम्भव स्पेशल गाड़ियां चलायी जायेंगी और वर्तमान गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ा दी जायेंगी । लक्सर-हरिद्वार-ऋषिकेश सेक्शन पर लाइन की क्षमता बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है ।

मेला यातायात को जो सुविधाएं दी जानी हैं उनमें क्रासिंग और फ्लैग स्टेशन खोलना, मेला क्षेत्र में टिकटघर खोलना, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट खिड़कियां खोलना, पब्लिक टेलीफोन लगाना, पीने के लिए अधिक पानी की व्यवस्था और यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुसार खानपान की व्यवस्था शामिल है ।

(ग) सिविल अधिकारियों के अनुमान के अनुसार १९६२ के कुंभ मेले के अवसर पर लगभग १२ लाख यात्री रेल से यात्रा करेंगे ।

(घ) जी हां ।

रेलवे के लिये विश्व बैंक का ऋण

†१४५८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री न० म० देब :
श्री वारियर :

क्या **रेलवे** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के लिये विश्व बैंक से हो रही वार्ता पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) उस वार्ता के फलस्वरूप विश्व बैंक ने अक्तूबर, १९६१ में ५०० लाख डालर का ऋण जो २३.८१ करोड़ रुपये के बराबर है स्वीकृत कर दिया है :

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का संशोधन

†१४५९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री झूलन सिंह :
श्री चुनी लाल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०० के उत्तर के सम्बन्ध में

---

†मूल अंग्रेजी में

में यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को अधिक सरल और सक्रिय बनाने के हेतु उसमें संशोधन करने का सुझाव किस अवस्था में है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : केन्द्रीय खाद्य प्रमाप समिति की एक उपसमिति ने राज्य सरकारों/प्रशासनों की राय लेने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण रोक एक्ट, १९५४ में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न सुझावों पर विचार किया है । उपसमिति की रिपोर्ट पर केन्द्रीय खाद्य प्रमाप समिति विचार करेंगी जिसे खाद्य अपमिश्रण रोक एक्ट, १९५४ के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों को ऐक्ट को लागू करने सम्बन्धी मामलों में मंत्रणा देने के लिये नियुक्त किया गया है ।

इस मामले पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई एक समिति भी विचार कर रही है ।

नागार्जुनसागर परियोजना

†**१४६०. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागार्जुनसागर परियोजना के लिये दिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान की शर्तों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बांसवाड़ा को चम्बल की बिजली

†**१४६१. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांसवाड़ा को चम्बल की बिजली उपलब्ध करने की प्रस्थापना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) यह निश्चय कर लिया गया है कि अन्त में चम्बल की विद्युत् शक्ति बांसवाड़ा को उपलब्ध की जायेगी । परन्तु यह कब तक होगा यह अभी नहीं बताया जा सकता ।

देहरादून वन गवेषणा संस्था

१४६२. श्री भक्त दर्शन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि देहरादून की वन गवेषणा संस्था को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार में नलकूप द्वारा सिंचाई

१४६३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में नलकूप द्वारा सिंचाई के विस्तार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सिंचाई के लिये कुल कितने नलकूप लगाये गये हैं;

(घ) क्या इन नलकूपों के काम के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा):** (क) और (ख). अभी योजना तैयार की जानी है परन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान गहरे नलकूप खोदने के लिये १८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । स्थानों के बारे में निश्चय किया जा रहा है ।

(ग) ९६१ ।

(घ) और (ङ). राज्य-सरकार ने दो समितियां नियुक्त कीं, एक नलकूपों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये और दूसरी राज्य-नलकूपों से सिंचाई के अधिकतम विकास के अर्थोपायों का सुझाव देने के लिये । इन समितियों की रिपोर्टों पर राज्य-सरकार विचार कर रही है ।

पाकिस्तान को चीनी का निर्यात

†१४६४. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के निर्यात के बारे में पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत आरम्भ हुई है; और

(ख) यदि हां, तो यह बातचीत किस अवस्था में है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) पाकिस्तान को चीनी के निर्यात के बारे में पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली

१४६५. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के लिये बहुत-से उपकरण भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन का मूल्य क्या है और वे किन शर्तों पर दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). कोलम्बो-योजना की तकनीकल-सहयोग योजना के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार ने मौलाना आजाद मैडिकल कालेज, नई दिल्ली को २,१०० पाउण्ड के उपकरण देना स्वीकार कर लिया है । ये उपकरण ब्रिटिश सरकार की ओर से दान के रूप में है ।

प्रसंकर मक्का[1]

१४६६. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में प्रसंकर मक्का उगाने के लिये किये गये प्रयोगों से किन्हीं विशेष बातों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इन तथ्यों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) प्रयोगों से पता चला है कि प्रसंकर मक्का के बीज से देशी किस्मों की उपज की तुलना में बहुत अधिक उपज प्राप्त होती है । और प्रयोगों के आधार पर, देश भर के खेतों में प्रयोग करने के लिए चार प्रसंकरों को चुन लिया गया है ।

(ख) अन्य बातों के साथ साथ, चुनी हुई प्रसंकर किस्मों को देश भर में फैलाने के लिए सुधरे बीजों का एक निगम स्थापित करने का विचार है ।

परिवार नियोजन

१४६७. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में परिवार-नियोजन के लिये बनाये गये कार्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू करने के लिये कोई विशेष विभाग खोलना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में मौजूदा संगठनों को सशक्त बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं । इन का ब्यौरा अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

कैंसर

†१४६८. **श्री रामेश्वर टांटिया.** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैंसर रोग देश में बढ़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस के इलाज के केवल तीन हस्पताल हैं जो सब रोगियों का इलाज नहीं कर सकते; और

(ग) यदि हां, तो हस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hylerid Maize

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) निश्चय पूर्वक यह कहना संभव नहीं है कि आया कैंसर वृद्धि पर है, इस के रोगियों सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ख) जी नहीं । राज्यवार हस्पतालों की संख्या बताने वाला विवरण, जहां कैंसर के इलाज की सुविधाएं हैं, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७१]** ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

दिल्ली में क्षय रोगियों का घर पर इलाज

१४६९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोगियों का घर पर इलाज करने के लिये दिल्ली में कोई योजना मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन कितने रोगियों के उपचार की व्यवस्था होगी;

(ग) इस योजना पर कितना वार्षिक व्यय होगा; और

(घ) घर के अन्य लोगों को छूत से बचाने के लिये भी क्या कोई प्रबन्ध किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग १५,००० ।

(ग) लगभग ४ लाख रुपये ।

(घ) जी हां ।

दिल्ली में चर्म रोग

१४७०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने नाईलोन इत्यादि के प्रयोग से होने वाले चर्म-रोगों के कारणों का पता लगाने के लिये क्या कोई अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी हां । रबर, नाईलोन इत्यादि संघटकों का अभी परीक्षण किया जा रहा है ताकि इन के प्रयोग से होने वाले रोगों के वास्तविक कारणों का पता लग सके ।

लुधियाना में रेल का ऊपरी पुल

†**१४७१. श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुधियाना के मिलरगंज क्षेत्र में रेल का ऊपर का पुल बनाने का प्रस्ताव कहां तक पूरा हुआ है; और

(ख) इस को शीघ्र कार्यान्वित करने में बाधा कहां है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). लुधियाना में मिलरगंज में सड़क का ऊपर का पुल बनाने का काम पंजाब सरकार की प्रार्थना पर १९६३–६४ तक के लिये स्थगित कर दिया गया है, जो अपनी लागत पर पुल तक ढलान वाली सड़कें बनायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारिता विकास

†१४७२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९६१–६२ के लिये सहकारिता विकास को कोई योजना पेश की है;

(ख) यदि हां, तो योजनायें क्या हैं; और

(ग) १९६१–६२ में अब तक इस काम के लिये पंजाब को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) और (ख). जी, हां । पंजाब सरकार ने वर्ष १९६१–६२ के लिये ६८.०६ लाख रुपये के व्यय की सहकारिता विकास सम्बन्धी योजनायें पेश की हैं । उपरोक्त व्यय का योजनावार ब्योरा तथा लक्ष्य बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७२]** ।

(ग) राष्ट्रीय सहकारिता विकास एवं भाण्डागार बोर्ड ने अभी तक अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर आने वाली योजनाओं के लिये तीन त्रैमासिक किश्तों में २०.८५ लाख रुपये की सहायता (१३.३५ लाख रुपये का ऋण तथा ७.५० लाख रुपये की अर्थ-सहायना) दी है । सहकारिता की शिक्षा तथा प्रशिक्षण और सहकारी खेती की योजनाओं के लिये, ६.६२ लाख रुपये तक केन्द्रीय सहायता (२.४३ लाख का ऋण तथा ४.१९ लाख रुपये के अनुदान) आवंटित की है । सहायता राज्य-सरकार को मार्गोपाय पेशगियों की व्यवस्था के द्वारा दी जा रही है ।

चीनी का निर्यात

†१४७३. **श्री हेम बरूआ** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय चीनी मिल संथा के निर्यात विभाग के सभापति के इस आशय के सुझाव की ओर दिलाया गया है कि चीनी का निर्यात औद्योगिक कच्चे माल के आयात के साथ द्विपक्षीय वस्तु विनिमय सौदों के द्वारा किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुझाव को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी हां । इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम

†१४७४. **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :
श्री नंजप्प :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की क्रियान्विति के प्रारम्भिक उपायों के भाग के

---

†मूल अंग्रेजी में

तौर पर आरम्भ की गई अग्रिम परियोजनाओं सम्बन्धी प्रतिवेदनों का सरकार द्वारा अध्ययन किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

(ग) वास्तविक उन्मूलन कार्यक्रम कब आरम्भ किये जाने की आशा है;

(घ) विदेशों से वैक्सीन आदि के रूप में क्या विशेष सहायता प्राप्त हुई है और प्राप्त की जाने की आशा है; और

(ङ) उन्मूलन कार्यक्रम को पूरा करने के लिये इस देश में कितने प्रतिशत वैक्सीन तैयार की जाती है तथा पूरी मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). चेचक अग्रिम परियोजना सम्बन्धी समिति ने चेचक सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश की पुष्टी की है कि समूचा चेचक उन्मूलन कार्यक्रम तीन वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए । उन्मूलन कार्यक्रम शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा ।

(घ) तथा (ङ). इस समय ग्यारह राज्यों में १३ वैक्सीन उत्पादन करने वाली संस्थाएं हैं जो इस समय देश में उपयोग में लाई जाने वाली चेचक की सारी वैक्सीन का प्रबन्ध कर रही हैं । इन सब संस्थाओं की वैक्सीन उत्पादन की वर्तमान क्षमता लगभग ७५० लाख स्टैंडर्ड खुराक है । राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिये देशकी समूची जनता के लिये २५०० लाख अतिरिक्त वैक्सीन की खुराकों की आवश्यकता होगी । भारत सरकार ने निश्शुल्क २५०० लाख खुराक फ्रीज सूखी वैक्सीन देने की रूस की पेशकश को स्वीकार किया है । वैक्सीन रूस सरकार द्वारा ३१५ लाख खुराकों की त्रैमासिक किश्तों में भारत सरकार को दी जायेगी । रूस सरकार से इस वैक्सीन की पहली किश्त जनवरी १९६२ के प्रारम्भ में प्राप्त होने की आशा की जाती है । इस से राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की वैक्सीन सम्बन्धी आवश्यकता पूरी होने की आशा है ।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस गाड़ी में खाने का डिब्बा

†**१४७५. श्री विद्या चरण शुक्ल** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रांड ट्रंक ऐक्सप्रेस गाड़ी नं० ३१९ और १५ में खाने का डिब्बा (डाइनिंग कार) हैदराबाद स्टेशन से रात्रि में अगले दिन की सुबह बिना किसी भी प्रकार के उपयोग के चलाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस खेंचने की शक्ति को क्यों बरबाद किया जाता है जिस के कारण डिब्बे की टूट फूट होती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). ग्रांड ट्रंक ऐक्सप्रेस गाड़ियों पर खाने के डिब्बे के चलने की कार्जापेत और बीना के बीच व्यवस्था की जाती है । इस सेवा का मुख्यालय सिकन्दराबाद में है क्योंकि खाने के डिब्बों की जांच और देखभाल करने, सामान आदि खरीदने जिस में खराब होने वाला सामान भी शामिल है, तथा कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों सम्बन्धी जो सुविधाएं इस स्टेशन पर मिलती हैं, वे कार्जापेत में नहीं मिलतीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माही नदी घाटी का विकास

†१४७६. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माही नदी घाटी की बहुप्रयोजनीय विकास योजना हाल ही में बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७३]** :

नगर आयोजन तथा विकास परियोजनायें

१४७७. **श्री बाल्मीकी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली आदि बृहत् नगरों के केन्द्रीय भागों से नगर आयोजन और विकास परियोजनाओं के नाम पर मेहतरों और अन्य निर्धन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह न्यायोचित है;

(ग) क्या उनकी जमीनें जबर्दस्ती लेकर उनके प्लाट बना कर बेचा जा रहा है;

(घ) क्या उन्हें नाम मात्र का मुआवजा दिया जाता है; और

(ङ) क्या सरकार इस ओर कोई ध्यान दे रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी नहीं । अधिक घने बसे हुए क्षेत्रों का पुनर्विकास करते हुए वहां पर पार्क, स्कूल आदि सुविधाओं को देने के उद्देश्य से कुछ आबादी का हटाना आवश्यक हो जाता है और इस प्रकार हो सकता है कि समाज के किसी वर्ग पर इस का असर पड़े । किन्तु यह जरूरी नहीं है कि मेहतर तथा अन्य गरीब जातियों पर ही इसका असर पड़े । चूंकि अधिकांश घनी बसी हुई बस्तियों में कम आय वाले लोगों की ही अधिकता होती है, अतः समय-समय पर ऐसी योजनाओं का असर उन्हें पर पड़ता है । तथापि प्रत्येक स्थिति का निर्णय उसके गुणावगुणों के आधार पर करना पड़ता है, उसका कोई सामान्यकरण नहीं किया जा सकता ।

(ग) जी नहीं । जमीन हमेशा कानून के आधार पर ही ली जाती है ।

(घ) मुआवजा भूमि प्राप्त करने के कानून के प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है ।

(ङ) निष्पादन प्राधिकारियों को साधारणतया हिदायतें दी जाती हैं कि वे सुनिश्चित कर लें कि ऐसा करने से कम से कम विस्थापन हो और वे यह प्रयत्न करें कि गन्दी बस्ती क्षेत्रों में रहने वालों आदि को यथा सम्भव मौजूदा अथवा समीपस्थ स्थानों पर ही बसाया जाय ताकि ये लोग अपने रोजगार के क्षेत्रों से न उखड़ें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वन अनुसंधान संस्था, देहरादून

†१४७८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून की वन अनुसंधान संस्था ने सुपारी के छिल्के और टीक की छाल के तेल के प्लास्टिक बोर्ड बनाने का तरीका निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो इस तरीके का वाणिज्यिक उपयोग उठाने में कितना समय लगेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी हां । वन अनुसंधान संस्था ने सुपारी के पिछले, टीक की लकडी के फालतू भाग और लिकोसैल्यूलौजिक फालतू वस्तु से, न कि छिलके के तेल से, प्लास्टिक बोर्ड बनाने के तरीके निकाले हैं ।

(ख) वाणिज्यिक संभाव्यताएं स्थापित हो जाने से पूर्व अग्रिम आधार पर तरीकों का अभी प्रयोग किया जाना है ।

छोटी सिंचाई योजनायें

†१४७९. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी सिंचाई योजनाओं के विकास के बारे में चर्चा करने के लिये अक्तूबर में, केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम और मध्य प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन भुवनेश्वर में हुआ था; और

(ख) सम्मेलन में क्या मुख्य बातें थीं और क्या सिफारिशें की गई थीं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी, हां ।

(ख) बैठक में ये मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें की गई थीं :—

(१) छोटी सिंचाई सम्बन्धी अधिक गहन तथा क्रमबद्ध सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है ।

(२) तीसरी पंच वर्षीय योजना के पहले ही वर्ष से कार्यान्वित की गति बढ़ाई जानी चाहिए ।

(३) इंजिनियरी छोटी सिंचाई इकाइयां सभी राज्यों में स्थापित की जानी चाहिये, जो संगठित तथा एकीकृत तरीके से सब छोटी सिंचाई योजनाओं के प्रविधिक पहलुओं पर विचार करें ।

(४) राज्यों में उपलब्ध कुछ प्रतिशत बिजली कृषि सम्बन्धी पम्पों के उपयोग के लिये विशेष रूप से निर्धारित की जानी चाहिये और प्रति यूनिट बिजली की दर काफी कम होनी चाहिये जो कृषि सम्बन्धी पम्पों के लिये सस्ती हो ।

(५) किसानों के वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले कामों के संधारण का उत्तरदायित्व स्थानीय संगठनों, अर्थात् पंचायतों आदि पर अधिक डाला जाना चाहिये तथा उन संगठनों को संधारण कार्य करने के लिये आवश्यक संविहित शक्तियां, पर्याप्त वित्त और प्रविधिक कर्मचारियों की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

(६) सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं का उत्तम उपयोग करने के लिये प्रत्येक राज्य में एक जल उपयोग बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) सिंचाई की सुविधाओं का अधिक सस्ता उपयोग करने और कुशलता तथा सुरक्षा आवश्यकताओं को कायम रखते हुए निर्माण की लागत कम करने की दृष्टि से, छोटे सिंचाई कार्यों का निर्माण करने और जल का उपयोग करने तथा डिजाइनों के नमूनों के बारे में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहियें।

खड़ग पुर में आकस्मिक श्रमिक

†१४८०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** क्या **रेलवे** मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित **प्रश्न** संख्या ३४९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भेजे गये आकस्मिक मज़दूरों की नई दरों के आधार पर, जिला इंजीनियर खड़गपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे ने १ अक्तूबर, १९५८ से आकस्मिक मज़दूरों (पी० डब्ल्यू० आई०) की दरें बढ़ाने के लिये आदेश जारी किये थे;

(ख) मजूरी वृद्धि को रोकने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय क्या स्थिति है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). दरें बढ़ाने के प्रस्तावों का अभी रेलवे प्रशासन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

मनी आर्डर

†१४८१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली और नई दिल्ली में मनी आर्डर भेजने वालों को डाकघरो को मनी आर्डर काउंटरो पर भीड़ होने के कारण बड़ी असुविधा होती है;

(ख) क्या इस असुविधा को मिटाने के लिये मनी आर्डर लेने और निपटाने तथा फार्मों की जांच करने में शीघ्रता करने का कोई सरल तरीका सोचा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार ने क्या विचार किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) हमें विदित है कि एक महिने के पहले आठ या दस दिनों में, मनीआर्डर काउंटरों पर लोगों की बड़ी भीड़ होती है।

(ख) और (ग). लोगों की बढ़ी हुई भीड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिये, बड़े डाकघरों में और यदि संभव होता है तो छोटे डाकघरों में भी, अतिरिक्त काउंटर खोले गये हैं। मशीनी तरीकों का उपयोग करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ताकि मनीआर्डरों का निपटारा शीघ्र किया जा सके।

संयुक्त राज्य अमरीका से दूध का पाउडर

†१४८२. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अक्तूबर, १९६१ में संयुक्त राज्य अमरीका से २५ लाख पौंड दूध का पाउडर प्राप्त हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसमें कितना पाउडर बाढ़ पीड़ित लोगों को बांटा गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख).जी हां । प्रविधिक सहकार मिशन के पदाधिकारियों ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता के लिये २५ लाख पौंड अर्थात् १२५० छोटे टन दूध पाउडर देना स्वीकार कर लिया है । क्योंकि वह दूध तुरन्त उपलब्ध नहीं था, सरकार ने देश में यूनीसफ के पदाधिकारियो के साथ यह प्रबन्ध किया कि वे अपने स्थानीय माल से टी सी एम को उधार के तौर पर अपेक्षित मात्रा में पाउडर दे दें । यूनीसफ ने हाल में अपने स्थानीय स्टाक से भ्रल दे दिया है, जिसमें से ९५० टन राज्य सरकारों को निम्नलिखित तरीके से बाढ़ सहायता के लिये आवंचित किया गया है :—

	टन
१. मद्रास सरकार	२५०
२. केरल ,,	१५०
३. महाराष्ट्र ,,	७५
४. उड़ीसा ,,	१००
५. मैसूर ,,	१५०
६. पंजाब ,,	५०
७. उत्तर प्रदेश ,,	७५
८. बिहार ,.	१००
	योग ९५० टन

डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियां

†१४८३. **श्री माने** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे डाक सेवा के इंस्पैक्टरो, डाकघरों के इंस्पैक्टरों और डाक व तार विभाग के टेलीग्राफमास्टरों के पदों के लिये डाक व तार विभाग द्वारा ली गई परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के जिन अभ्यर्थियों ने ३० प्रतिशत कुल अंकों से अधिक अंक प्राप्त किये थे, उनको उन पदों के लिये नहीं चुना गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रेणियों में रक्षित अभ्यंश पूरा नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो रक्षित अभ्यंश को पूरा करने के लिये अनुसूचित जातियों तथा आदिम-जातियों को न चुनने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के अभ्यर्थियों को, जिन्होंने प्रत्येक पर्चे के लिये निम्नतम अंक प्राप्त करते हुए कुल मिलाकर ४५ प्रतिशत था अधिक अंक लिये थे, उनके लिये रक्षित स्थानों की संख्या के लिये चुना गया था ।

(ख) विभागीय प्रतियोगो परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों/आदिम-जातियों के लिये आरक्षण के बारे में आदेश अक्तूबर १९५४ में जारी किये गये थे । १९५५ से १९६० तक की अवधि

†मूल अंग्रेजी में

में (१९६१ की इंस्पैक्टरों की परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किये गये हैं) अनुसूचित जातियों के १०२, अनुसूचित आदिम जातियों के १० तथा अन्य समुदायो के ८०० अभ्यर्थी डाकघरो और रेलवे डाक सेवा की पदालियों के लिये चुने गये थे। इस प्रकार चुने गये लोगो में अनुसूचित जातियों के ११.२ प्रतिशत अभ्यर्थी थे जब कि उनके लिये अखिल भारतीय आरक्षण १२.५ प्रतिशत की व्यवस्था है और अनुसूचित आदिम जातियों के ५ प्रतिशत के आरक्षण में से ये १.१ प्रतिशत अभ्यर्थी चुने गये थे। टेलीग्राफ मास्टरो की पदाली में चुने गये १७४ अभ्यर्थियों में से, १८ अनुसूचित जातियों के थे तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कोई नहीं था। यह १२.५ प्रतिशत अखिल भारतीय आरक्षण में अनुसूचित जातियों के कुल चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या १०.३ प्रतिशत बनती है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों के मामले में कमी बहुत थोड़ी है और अनुसूचित आदिमजातियों के मामले में काफी है।

(ग) ऐसे अभ्यर्थियों की काफी संख्या में लोग विशेषकर अनुसूचित आदिम जातियों में से, उनको अंकों के बारे में रियायत देने के बावजूद भी, पास नहीं हो सके।

डाक तथा तार कर्मचारियों का स्थायीकरण

†१४८४. **श्री माने :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के समय-क्रम क्लर्क और रेलवे डाक सेवा के सार्टरों को स्थायी बनने से पहिले, लिखित तथा मौखिक परीक्षा पास करनी पड़ती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार के अन्य किसी विभाग में ऐसी परीक्षा को आवश्यक नहीं समझा जाता;

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो डाक तथा तार विभाग में स्थायीकरण के लिये विभिन्न नियम बनाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन नियमों को अन्य विभागों के नियम जैसा बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) हां, श्रीमान्। अर्द्धस्थायी या स्थायी घोषित किये जाने से पहले उन्हें विभागीय नियमों तथा विनियमों में परीक्षा पास करनी पड़ती है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे दुर्घटनाय

†१४८५. **पडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री तगामणि :
श्री कमल सिंह :
श्री न० म० देव :
श्री वारियर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९६१ के बाद आज तक बड़ी और छोटी (टाली गई दुर्घटनाओं सहित)

†मूल अंग्रेजी में

कितनी रेलवे दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) रेलवे और सरकारी सम्पत्ति को कितना नुक्सान हुआ और कितने लोगों को चोट आई तथा कितनी मृत्युयें हुई ; और

(ग) पीड़ितों को और हानि के लिये कितना प्रतिकर दिया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १ अक्तूबर से ३१ अक्तूबर, १९६१ तक भारतीय सरकारी रेलों पर रेलगाड़ी दुर्घटनाओं (टक्करों, पटरी से उतरने, टाली गई टक्करों, रेलगाड़ियों का रेलवे फाटकों पर सड़क पर जा रही गाड़ियों से टकराना) की संख्या १७१ है।

(ख) (१) लगभग ११ लाख रु० की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

(२) मरे व्यक्ति ८१

घायल व्यक्ति ३१५

(ग) अभी तक कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है। फिर भी ३४,२०७ रु० का अनुग्रहात भुगतान किया गया है।

टी० बी० सील की बिक्री

†**१४८६. श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ और १९६० में टी० बी० सीलों की बिक्री से कितना धन प्राप्त हुआ ;

(ख) क्या इन आंकड़ों से उपलब्धि में कमी विदित होती है ; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) टी० बी० सीलों की बिक्री से प्राप्त हुई १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० की उपलब्धियां निम्न हैं :—

	रु०
१९५७–५८ . .	४,१५,२००.००
१९५८–५९ . .	४,६३,८०३.०६
१९५९-६० . .	५,०२,९५४.८५

(ख) नहीं, जैसा कि उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केरल में अन्तर्देशीय जल परिवहन

†**१४८७. श्री क्रोडियान** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए केरल की राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी दी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन

†१४८८. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में सहकार के विकास के लिए नई दिल्ली में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारो के सम्मेलन में किन उपायों पर चर्चा की गई ;

(ख) प्रारम्भिक समितियो को पुनः सुदृढ़ करने और दोष दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) प्रारम्भिक परियोजनाओं के बाहर सहकारी कृषि समितियो के लिए अर्थ-व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):** (क) नई दिल्ली में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के हाल के सम्मेलन में जिन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई, उन्हें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७४]।**

(ख) निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :

(१) वीतकाल दायित्वों की परीक्षा, संकलन के लिए आन्दोलन, दोषों को दूर करना और सदस्यता तथा कार्य का विस्तार ;

(२) प्रत्येक समिति को ३ से ५ वर्ष तक के लिए ६०० रु० की दर से प्रबन्धक कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देना ;

(३) चुनी हुई प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की अंश पूंजी में राज्य का हाथ बटाना; और

(४) प्रारम्भिक समितियों के विशेष अप्राप्य ऋण संरक्षणों के लिए उनके वार्षिक अतिरिक्त ऋण के ३ प्रतिशत की दर पर अनुदान देने का उपबन्ध ।

(ग) प्रारम्भिक परियोजनाओं के बाहर सहकारी कृषि समितियों को निम्न सहायता देने के विचार है :—

(१) औसत और दीर्घकालीन ऋण (वार्षिक औसत) ४००० रु० ।

(२) गोदाम व ढोरघर (७५ प्रतिशत ऋण और २५ प्रतिशत आर्थिक सहायता) ५००० रु० ।

(३) प्रबन्ध संबंधी आर्थिक सहायता (तीन वर्षों में) १२०० रु० ।

सहकारी कृषि समितियों को भी सामुदायिक विकास खंड के बजट और सरकार की जी० एम० एफ० तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत उपबन्ध सहायता पाने का अधिकार है ।

भीम नदी रेलवे पुल में पुनः गरडर डालना

†१४८९. **श्री सुगन्धि :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के घेतगी-गड़ग सेक्शन पर भीम नदी पर पुल में पुनः गरडर डालने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) जिन नटों को आधारस्वरूप ढांचे की मल प्लेटों में लगाने का विचार है ; क्या वे विषम है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) खम्भा तथा 'पाथरकेप' के स्थानों और पुल के भागों (स्पैन-एण्ड होल्स) के बीच में कितने इंच का अन्तर है ;

(घ) क्या यह सच है कि टाईरौड ज्वाइन्टस को सीधे बनाने के बजाये कुछ टेढ़ा बनाने दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो दोषमुक्त निर्माण के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी)**: (क) पुल पर पुन: गर्डर डालने का कार्य गर्डरों के जोड़ों पर रोगन करने और समीपताओं को मिलाने के काम अतिरिक्त सब पहलुओं से पूरा हो गया है ।

(ख) आधार स्वरूप ढांचे के ऊपर प्लेटों में प्रयोग होने वाले नट विषम नहीं हैं ।

(ग) आधार स्वरूप ढांचे और उनके खम्भों पर रखने के स्थानों या "स्पैन-एण्डहोल" के बीच के अन्तर के बारे में स्वीकृत योजना से कोई अन्तर नहीं है ।

(घ) पुल पर कोई "टाई-रौड ज्वाइन्ट नहीं है । फिर भी, यदि अभिप्राय क्रास गर्डर या स्ट्रिंजर्स से है, तो ये ड्राइंग के अनुसार ही निर्धारित किये गये हैं; किसी कोण पर नहीं लगाये गये हैं ।

(ङ) कोई दोषयुक्त निर्माण नहीं हुआ है ।

दामोदर घाटी निगम

†१४६०. **श्री अरविन्द घोषाल**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम का कोई महा बन्धक नियुक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और क्यों नियुक्त किया ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम के सचिव का पद को 'महाप्रबन्धक तथा सचिव' का नाम दिया गया है । महाप्रबन्धक का कोई नया पद नहीं बनाया गया है ।

राज्य के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन

†१४६१. **श्री पहाड़िया :**
श्री प्र० ग० देव :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में राज्य के सहकार मंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें और निश्चय क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** :(क) हां, श्रीमान ।

(ख) सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७५]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद्

†१४९२. **श्री प्र० च० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद की बैठक इस वर्ष नवम्बर में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो भारत के लिए चालू अन्तर्राष्ट्रीय गेहू करार लागू करने के बारे में परिषद् में क्या विचार प्रकट किये गये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद का ३३वां अधिवेशन २० नवम्बर, १९६१ से आरम्भ हुआ था और आशा थी कि वह २ दिसम्बर, १९६१ को समाप्त हो जायेगा। इस अधिवशन की कार्यवाही अभी तक उपलब्ध नहीं है। अतः अभी यह विदित नहीं हुआ है कि प्रश्न के उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित करार यदि कोई विचार व्यक्त किया गया है तो क्या व्यक्त किया गया है।

कारों की नम्बर की तख्ती

†१४९३. **डा० सामन्त सिंहार :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों को कारों की नम्बर की तख्ती अपनी अपनी प्रादेशिक लिपियों और अंकों में लिखने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या देवनागरी लिपि और अंक कारों की नम्बरी तख्ती पर होने से उन अधिकारियों और जनता के सदस्यों को कठिनाई उत्पन्न हो गई है जो देवनागरी लिपि और अंक से परिचित नहीं है ;

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) क्या सम्बन्धित राज्य इन सुझाई गई कार्यवाहियों से सहमत हो गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) मोटर गाड़ियां अधिनियम, १९३८ के अधीन अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने ही यह नियम बनाया है कि मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चिह्न अंग्रेजी शब्दों और अंकों में अथवा हिन्दी में देवनागरी लिपि में शब्द और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में अंक रहेंगे, इसके साथ यह शर्त है कि यदि रजिस्ट्रेशन चिह्न हिन्दी में है तो फिर यह अक्षर लेटिन रूप में और अरबी अंकों में दुहरा दिये जायेंगे। सब राज्यों के नियमों में यह उपबंध है कि रजिस्ट्रेशन चिन्ह अंग्रेजी अक्षर और अंकों में रहेंगे।

(ख) सड़क और अंतर्देशीय जल परिवहन परामर्शदाता और परिवहन विकास परिषद की यह सम्मति थी कि कारों की नम्बरी तख्ती केवल देवनागरी लिपि और अंकों में रहने से उन अधिकारियों और जनता के सदस्यों के लिये कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी जो देवनागरी लिपि और अंकों से भिज्ञ नहीं है।

(ग) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वह मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटें अंग्रेजी अक्षर और अरबी अंकों में जारी रखें किन्तु रजिस्ट्रेशन अक्षर लिखने में अंग्रेजी शब्दों के अक्षरों के अतिरिक्त देवनागरी के प्रयोग की अनुमति में कोई आपत्ति नहीं है।

(घ) जी हां। परिवहन विकास परिषद के माध्यम से यह किया जा रहा है क्योंकि मंत्री स्तर पर समग्र राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व परिषद ही करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में प्रसूति केन्द्र

१४९४. श्री बलराज मधोक : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने प्रसूति केन्द्र हैं;

(ख) उनमें से कितने पिछले दो महीनों में खोले गये;

(ग) क्या उन सब में लेडी डाक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या जहां लेडी डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है उन केन्द्रों की सूची पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दिल्ली में ६९ प्रसूति केन्द्र हैं जो दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के अतिरिक्त दिल्ली के तीन सरकारी अस्पतालो में प्रसूति कक्ष हैं ।

(ख) पिछले दो महीनों में कोई नया केन्द्र नहीं खोला गया ।

(ग) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका में प्रसूति केन्द्रों से सम्बन्धित नियुक्तियों की चालू प्रणाली के अनुसार एक लेडी डाक्टर औसतन बारी-बारी से तीन से चार केन्द्रों का निरीक्षण करती है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

नदी घाटी योजनाओं का व्यय

†**१४९५. श्री प्र० गं० देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान मूल्यों में वृद्धि के कारण विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं का व्यय बढ़ जाने का मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में कुल व्यय कितना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) वर्तमान मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं का व्यय बढ़ जाने के बारे में मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रानीगंज के पास रेलगाड़ी की टक्कर

†**१४९६. श्री प्र० गं० देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ अक्तूबर, १९६१ को रानीगंज के समीप रेल-दुर्घटना में चार व्यक्ति घायल हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी नहीं । केवल एक व्यक्ति (जो रेलवे कर्मचारी था) को गंभीर चोट आई थी और बाद में आसनसोल रेलवे अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई । यह ३० अक्तूबर, १९६१ को रानीगंज स्टेशन और वक्तरनगर ब्लाक हट के बीच रेल दुर्घटना के फलस्वरूप घटना घटी थी । (इस दुर्घटना की तारीख ३१-१०-६१ नहीं है ।)

(ख) लाइट इंजन के ड्राइवर ने बक्तारनगर ब्लाक हट में 'आन' स्थिति के संकेत का पालन नहीं किया ।

---

†भूल अंग्रेजी में

मदुरै सैक्शन पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†१४९७. **श्री प्र० ग० देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ९ नवम्बर, १९६१ को दक्षिण रेलवे के मदुरै सैक्शन पर दो मालगाड़ियां पटरी से उतर गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) (१) ९-११-६१ को ६ बज कर ५० मिनट पर अप गाड़ी नं० २२०३ डाउन माल-गाड़ी दक्षिण रेलवे के मदुरै जंकशन—टूटीकोरिन सैक्शन पर कुमारपुरम और कदम्बूर के बीच चल रही थी तो १२ वैगन पटरी से उतर गये तथा इनमें से ५ वैगन टूट गये ।

इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ ।

रेलवे सम्पत्ति की हानि का अनुमान केवल १३,००० रुपये निर्धारित किया गया है ।

(२) ९-११-६१ को ७ बज कर ५२ मिनट पर जब गाड़ी नं० २६६९ डाउन माल गाड़ी दक्षिण रेलवे के तिरुचिरापल्ली–मनमदुरै–धनुषकोटि सैक्शन पर कराईकुड्डि और कल्लल स्टेशनों के बीच चल रही थी तो पांच वैगन पटरी से उतर कर ध्वस्त हो गये ।

इस में कोई हताहत नहीं हुआ ।

रेलवे सम्पत्ति की हानि का अनुमानित मूल्य लगभग ८,७०० रुपये निर्धारित किया गया है ।

त्रिपुरा में सहकारी न्यायाधिकरण

†१४९८. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में सहकारी न्यायाधिकरण स्थापित न करने के फलस्वरूप कई मामले अभी अनिर्णीत हैं और इसलिये त्रिपुरा में सहकारी समितियां समुचित कार्य नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में अभी तक सहकारी न्यायाधिकरण क्यों नहीं स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना की आशा कब तक है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :** (क) जी नहीं ।

(ख) बम्बई सहकारी समितियां अधिनियम, जो त्रिपुरा में लागू किया गया है, में ट्रिब्यूनल के विधान का उपबंध है । त्रिपुरा प्रशासन नियम तैयार कर रहा है जिसके अनुसार ट्रिब्यूनल की रचना और कार्य-संचालन किया जायेगा । नियम बनते ही ट्रिब्यूनल का कार्य संचालन प्रारम्भ हो जायेगा ।

त्रिपुरा में आरक्षित वन क्षेत्र

†१४९९. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह अधिसूचित किया है कि निर्दैपुर, त्रिपुरा में एक बड़ा क्षेत्र, जिस में कई हजार परिवार कई वर्षों से रह रहे हैं, रक्षित वन क्षेत्र में सम्मिलित किया जा रहा है;

---

†नल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि सरकार की यह अधिसूचना उसक्षेत्र के बहुतेरे स्थायी निवासियों के लिये हानिकारक है, जिन को वहां से निकलना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस गंभीर समस्या को कैसे हल करने का विचार करती है ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख):** (क) त्रिपुरा में निर्दैपुर को निश्चित करना सम्भव नहीं था। तथापि प्रशासन ने दक्षिण सोनाभूरा और तुलटालीवारी में आरक्षित वनों के अन्दर रखे जाने वाले क्षेत्रों की बाहर की सीमाओं की व्याख्या करने के लिये अधिसूचनाएं जारी की हैं। प्रशासन की सामान्य नीति यह है कि सारी बसी हुई भूमि और सारी कृषि योग्य बनाई गई खेती की गई भूमि को उस क्षेत्र से अलग रखा जाये। अन्दरूनी सीमांरेखांकन पूरी हो जाने के पश्चात् दूसरी अधिसूचना जारी कर के यह काम किया जायेगा।

(ख) और (ग) . सवाल पैदा नहीं होता।

सहकारिता प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय बोर्ड

†१५००. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना का विरोध किया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में त्रिपुरा प्रशासन का क्या मत है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इस बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। अक्तूबर, १९६१ में आयोजित राज्यों के सहकार मंत्रियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि सहकारिता प्रशिक्षण तथा शिक्षा सम्बन्धी काम राष्ट्रीय सहकारिता संघ की विशेष समिति को सौंप दिया जाना चाहिये।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन ने अपने विचार नहीं भेजे।

ईसाई धर्मप्रचारकों द्वारा भारत में चलाये जा रहे अस्पताल

†१५०१. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ईसाई धर्म प्रचार गिरजाघरों द्वारा भारत में कितने अस्पताल और डिस्पैंसरियां चलाई जा रही हैं; और

(ख) उन को राज्यवार कितना वित्तीय और केन्द्रीय अनुदान या सहायता दी जाती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इलायची के दाम

†१५०२. **श्री रा० नारायण स्वामी** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि इलायची के दाम गिर रहे हैं; और

(ख) इस के दाम बढ़ाने और इस के उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). हाल के महीनों में इलायची के दामों में कुछ मन्दी हुई है। इस का आंशिक कारण मौसम है और आंशिक कारण यह है कि नियति मूल्यों में बहुत कमी हुई। भारत में इलायची का अधिकांश भाग निर्यात किया जाता है और इस कारण विदेशी बाजारों के भावों का घरेलू दामों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। सरकार मूल्यों की प्रवृत्ति पर ध्यान रख रही है।

गोहाटी के माल गोदाम का हटाया जाना

†१५०३. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी के वर्तमान मालगोदाम को नारंग स्टेशन के 'मार्शलिंग यार्ड' ले जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां।

(ख) ब्रह्मपुत्र पुल के बन जाने पर पांडु और अमीनगांव के वर्तमान 'मार्शलिंग यार्ड' बेकार हो गये हैं। इसलिये नये 'मार्शलिंग यार्ड' की जरूरत थी। गोहाटी में स्थान के अभाव के कारण, वहां केवल यात्री और गाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने तथा वहां से लगभग ३ मील दूर नारंगी में 'मार्शलिंग यार्ड' ले जाने का फैसला किया गया।

संयुक्त सहकारी खेती

†१५०४. **श्री कालिका सिंह**: क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य केन्द्रीय सरकार के सहयोग से सहकारी खेती की एक नई योजना चला रही है जिसमें प्रत्येक तहसील में एक सहकारी संगठन होगा ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य की १२०० से अधिक सेवा सहकारी संस्थायें का काम कैसा है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) सरकार के नीति निर्णय के अनुसार सहकारी खेती सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई सहकारी खेती की एक योजना उत्तर प्रदेश की तीसरी पांच साला योजना में शामिल की गई है। तथापि इस योजना में यह प्रस्ताव नहीं है कि प्रत्येक तहसील में एक सहकारी संघ होगा।

(ख) सहकारी खेती की ४५ अग्रिम परियोजनाएं तीसरी योजना अवधि में संगठित करनी हैं। परियोजनाएं ४५ ज़िलों में होगी और प्रत्येक परियोजना में लगभग १० खेती संस्थाए होगी। ये परियोजनाएं सामुदाविक विकास खंडों में होगी जहां पंचायत राज तथा सहकारी आन्दोलन के कुछ प्रगति की है और जहां स्थानीय नेता उपलब्ध होंगे। यह कार्यक्रम योजना के पहले तीन वर्षों में पूरा किया जाएगा। चालू वर्ष में ये परियोजनाएं ११ जिलों में आरम्भ की गई हैं। २ अक्तूबर, १९६१ तक १३ खेती संस्थाएं संगठित की गई हैं।

अग्रिम परियोजना क्षेत्रों के अतिरिक्त लगभग ३५० सहकारी खेती संस्थाएं संगठिन करने का भी विचार किया गया है। २ अक्तूबर, १९६१ तक अग्रिम क्षेत्रों से बाहर २० खेती संस्थाएं संगठित की गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना में सहकारी खेती से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रम का भी उपबन्ध है ।

(ग) १५.२५८ सेवा सहकारी संस्थाएं उत्तर प्रदेश में अक्तूबर, १९६१ के अन्त तक संगठित की गई हैं । इन संस्थाओं में खेती करने वाले लगभग ६५ प्रतिशत परिवार आते हैं । इन संस्थाओं की ३० जून, १९६१ तक कुल सदस्यता तथा प्रदत्त अंश पूंजी क्रमशः १४ लाख और २१५ लाख रुपये थी । १९६०-६१ में इन संस्थाओं ने अपने सदस्यों को ९½ करोड़ रुपये से अधिक ऋण दिया है । बीज, औजारों, उर्वरकों और इंसैक्टीसाइडों सम्बन्धी ऋण आवश्यकता जहां तक संभव हुआ है जिन्सों में पूरी की गई है ।

शाहगंज-मऊ लाइन

†१५०५. **श्री कालिका सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के आजमगढ़ गोसाइंगंज रेलवे लाइन से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या ८२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजमगढ़ के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के शाहगंज-मऊ सैक्शन पर परियोजना में तब कौन से स्थान और कौन से रेलवे स्टेशन प्रस्तावित थे तथा जिस स्थान पर प्रस्तावित लाइन इस सैक्शन से अलग हुई थी ;

(ख) लाइन बनाने के लिये तब क्या कारण बताये गये थे ;

(ग) लाइन को आज बनाने पर मोटे तौर पर कितना खर्च किया जाएगा ;

(घ) प्रस्तावित लाइन किन छोटे या बड़े पुलों तथा नदियों के स्थानों से गुजरी है ; और

(ङ) तब परियोजना किस स्थिति में छोड़ दी गई थी और उसके क्या कारण दिये गये थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) आजमगढ़ गोसाईंगंज परियोजना के प्रस्तावित स्थानों तथा रेलवे स्टेशनों के नाम ये हैं :—

नाम	स्थान (आजमगढ़ से दूरी)
१. आजमगढ़ सिटी	३½ मील
२. गोपालपुर	१३½ मील
३. कोनलसा	१९½ मील
४. अतरौलिया	२६½ मील
५. आमा (फ्लैग)	३३ मील
६. बसखारी	४०½ मील
७. टांडा	५१ ,,
८. बिगहामपुर	५७ ,,
९. अमसीन	६३ ,,
१०. गोसाईंगंज	६७½ मील

प्रस्तावित लाइन आजमगढ़ स्टेशन से उत्तर पश्चिम की ओर आरम्भ होनी थी (वर्तमान पूर्वोत्तर रेलवे के मऊ-शाहगंज सैक्शन पर)

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९०६-०७ में आजमगढ़ और फैजाबाद के कुछ लोकप्रिय तथा उर्वर क्षेत्रों को दिलाने के लिये पुरानी बी० ऐंड एन० डब्ल्यू० रेलवे के प्रस्तावित विस्तार के हेतु सर्वेक्षण किया गया था। आरम्भ में इस लाइन को केवल टांडा तक ले जाने का इरादा था जो अयोध्या से लगभग २४ मील नीचे गोगरा नदी पर एक बड़ा कस्बा है। तथापि स्थानीय सरकार ने इच्छा प्रकट की थी कि टांडा को भी पुरानी ओ० ऐंड आर० रेलवे से मिला दिया जाए, इसलिए अस्थायी तौर पर यह फैसला किया गया था कि लाइन के लिये गोसाईंगंज तक, जो वर्तमान उत्तर रेलवे के फैजाबाद लूप पर एक स्टेशन है, अनुसंधान किया जाए।

(ग) लगभग ३ करोड़ रुपये।

(घ)

नदियों के नाम	पुलों का वर्णन	स्थिति
टोसे	७ × ४०'	आजमगढ़ और प्रस्तावित आजमगढ़ सिटी स्टेशन के बीच मील नम्बर ३ पर।
छोटा सरजू	५ × ४०'	मील २७ पर प्रस्तावित स्टेशन को एलसा और अतरौलिया के बीच।
पिकिया वाला	५ × २०'	मील नम्बर ३१ पर अतरौलिया और आमा (फ्लैग) के बीच।
तिखा	४ × ४०'	मील ५० पर बसखारी और टांडा स्टेशनों के बीच।

(ङ) उन दिनों की कठिन मार्गोपाय स्थिति के कारण योजना रोक दी गई थी। इसके इलावा, प्रस्तावित रेलवे द्वारा केवल एक महत्वपूर्ण स्थान टांडा को लाभ पहुंचना था, उसके लिये पुरानी ओ० ऐंड आर० रेलवे के साथ के स्टेशन से एक अधिक छोटी ब्रांच लाइन द्वारा अच्छी तरह व्यवस्था हो सकती थी, और और इस लम्बी रेलवे लाइन का निर्माण जरूरी नहीं समझा गया। अकबरपुर-टांडा लाइन चालू करने के द्वारा टांडा को भारत के रेलवे के मानचित्र में स्थान प्राप्त हो गया।

शाहगंज-मऊ सैक्शन पर सुधार

†१५०६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के शाहगंज-मऊ सैक्शन में १९५६ से १९६१ तक की अवधि में पटरियों को नया करने, स्टेशनों पर बिजली लगने, पुलों को ठीक करने तथा विभिन्न स्टेशनो पर यात्रियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में क्या उन्नति हुई है ;

(ख) उक्त अवधि में यात्रियों की सुविधाओ के निमित्त कौन कौन से हाल्ट स्टेशन खोले गये हैं या खोले जा रहे हैं ;

(ग) आजमगढ़ स्टेशन पर कुछ किस्मों के माल पर डैमरेज की अधिक दर होने का क्या कारण हैं ;

(क) क्या पटरी और पुलों के नवीकरण के पश्चात् नई और तेज चलने वाली गाड़ियां चलाये जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) निम्न सुधार किये गये हैं या किये जा रहे हैं :

पटरियों का नवीकरण

जो पटरियां ४१ ½ पौंड रेलों की थीं उनके स्थान पर ६० पौंड "आर" रेलें लगाई जा रही हैं। अब तक यार्ड से ४० मील तक काम पूरा हुआ है और शेष २२ मीलों पर काम चल रहा है।

स्टेशनों पर बिजली लगाना

आजमगढ़, रानी की सराय, खोरासेन रोड और दीदारगंज रोड स्टेशनों पर बिजली लगाई जा चुकी है।

पुलों का नवीकरण

१८ अशक्त पुलों से, ८ मजबूत किये जा चुके हैं और शेष पुलों पर काम सितम्बर, १९६२ तक पूरा होने की आशा है।

अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई

(१) **हैंड पम्प :** फरीहा सरायमीर और दीदारगंज रोड पर

(२) **हैंड पम्प और पानी के स्थान** : मुहम्मदाबाद, गोहना पर

(३) **खोमचे, प्रतीक्षाघरों में बैंच तथा बेहतर जल संभरण :** आजमगढ़ में

(ख) खावजा और सेसरपुर में दो हाल्ट स्टेशन खोले गये हैं। माड जंक्शन और खुरहाट स्टेशनों के बीच एक हाल्ट स्टेशन एक वर्ष के लिये प्रयोगात्मक उपाय के तौर पर खोला जा रहा है।

(ग) आजमगढ़ में सब प्रकार के माल के लिये डैमरेज की दर वही है जो अन्य स्थानों पर है।

(घ) और (ङ). जी हां, पटरी को फिर से बिछाने और पुलों को मजबूत बनाने का काम पूरा हो जाने के पश्चात् वर्तमान गाड़ियों की गति बढ़ाने की संभावना है। अतिरिक्त नई गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रेलमार्ग (ट्रैक) नवीकरण

†**१५०७. श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **रेलवे** मंत्री दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति पर भारतीय रेलवेज के रेलमार्ग (ट्रैक) के नवीकरण की स्थिति को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७६]**।

एशियाई रेलवे सम्मेलन

†**१५०८. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने उन देशों में रेलों के विकास में सहायता करने की दृष्टि से हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे एशियाई रेलवे सम्मेलन में भाग लेने वाले एशियाई देशों को रेलवे सामान, इंजन, डिब्बे आदि, प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में अपने साधनों की पेशकश की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास दूसरे एशियाई देशों से इस प्रकार की सहायता की कोई प्रार्थना आई है ;

(ग) यदि हां, तो कितने और किन देशों से, और

(घ) उन प्रार्थनाओ के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

दिल्ली में गाय और भैंस पर कर

†**१५०९. श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका समिति के क्षेत्र में गाय और भैंस पर क्रमशः ३६ और ६० पये वार्षिक कर है जब कि दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में यह काफी कम है ;

(ख) क्या यह भी सच कि नई दिल्ली के लोग इस भेद को मिटाने की मांग कर रहे हैं ; और

(ग) इस उचित शिकायत को दूर करने के लिये क्या किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां । नई दिल्ली नगरपालिका समिति के क्षेत्र में गाय और भैंस पर वार्षिक कर क्रमशः ३६ रुपये और ६० रुपये है जब कि दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में यह क्रमशः १० रुपये और २५ रुपये है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

नई दिल्ली नगरपालिका

†**१५१०. श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में कितने गांव आते हैं ;

(ख) उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उन गांवों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये अब तक कोई कार्रवाई की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). कोई गांव नई दिल्ली नगरपालिका समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

(ग) और (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली नगरपालिका का पशु चिकित्सालय

१५११. श्री बलराज मधोक : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका समिति के पशु-पक्षी अस्पताल तथा उसके कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) पशु-पक्षी अस्पताल एवं चार निवास-स्थान में बिजली है। यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ९ क्वार्टरों में बिजली नहीं है।

(ख) नगरपालिका ने अपने अधीन सभी चतुर्थ श्रेणी क्वार्टरों में धीरे-धीरे बिजली देने का पहले ही निर्णय कर लिया है और उनमें अधिकांश में बिजली दी जा चुकी है। चूंकि इन ९ क्वार्टरों को गिराने का विचार है इसीलिये इनको छोड़ दिया गया था।

नई दिल्ली स्टेशन पर रेल गाड़ी सेवा

१५१२. श्री बलराज मधोक : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्टेशन पर बाहर से प्रतिदिन कितनी रेल गाड़ियां आती हैं ;

(ख) गत एक मास में इसमें से कितनी गाड़ियां समय पर आयीं और कितनी देर से आयीं ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत सी गाड़ियां निजामुद्दीन स्टेशन तक समय पर पहुंचने के बाद भी मिन्टो पुल पर बहुत देर तक खड़ी कर दिये जाने के कारण नई दिल्ली स्टेशन पर देरी से पहुंचती है ; और

(घ) इस स्थिति को ठीक करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ४१ गाड़ियां, जिनमें हफ्ते में दो बार चलने वाली ३ और हफ्तेवार चलने वाली एक वातानुकूल एक्सप्रैस गाड़ियां शामिल नहीं हैं।

(ख)

महीना	नयी दिल्ली पहुंचने वाली गाड़ियों की संख्या	
१९६१	कितनी गाड़ियां ठीक समय पर पहुंची	कितनी गाड़ियां देर से पहुंची
अक्टूबर	८११	४८९
नवम्बर	७६६	४९५

(ग) जी नहीं, ठीक समय पर हज़रत निजामुद्दीन पहुंचने वाली गाड़ियों को आमतौर पर मिन्टो ब्रिज स्टेशन पर खड़ा नहीं रखा जाता।

(घ) नयी दिल्ली पहुंचने वाली गाड़ियों के संचालन पर पूरी निगरानी रखी जाती है और इस बात के लिए हर सम्भव कार्रवाई की जाती है कि ये गाड़ियां इस स्टेशन पर ठीक समय पर पहुंचे।

माता टीला बांध परियोजना

†**१५१३. डा० सुशीला नायर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माता टीला बांध परियोजना में बिजली तैयार करने के लिये क्या प्रगति की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस परियोजना से बिजली किस तारीख तक मिल जाएगी और औद्योगिक कामों के लिये कितनी बिजली दी जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जैनरेटिंग संयंत्र तथा उपकरण के आर्डर दिये जा चुके हैं और १९६२ के आरंभ में माल आना आरंभ हो जाएगा । वर्ष १९६१–६२ में माता टीला से झांसी तक ६६ के डब्ल्यू लाइन के लिये सामान प्राप्त किया जाएगा और जोड़ा जाएगा । बिजली घर बनाने का लगभग ३५ प्रतिशत कार्यक्रम और ट्रांसमिशन लाइनें लगाने का ४० प्रतिशत काम मार्च १९६२ तक पूरा हो जाएगा ।

(ख) माता टीला बिजली घर १९६३–६४ में चालू हो जाने की आशा है । बिजली घर की स्थापित जैनरेटिंग क्षमता ३० एम डब्ल्यू० होगी । भारत सरकार को औद्योगिक कामों के लिये मिलने वाले बिजली की मात्रा के संबंध में कोई सूचना नहीं है ।

पारोर स्टेशन का स्थान परिवर्तन

†**१५१४. श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कांगड़ा मिलर की पंचायत से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि वर्तमान पारोर स्टेशन को सड़क की ओर मील संख्या ७४$^{1}/_{2}$ पर ले जाया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या फैसला किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले की जांच की गई थी और चूंकि इस के लिये पर्याप्त औचित्य न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

वेल्लोर (मद्रास) का सरकारी अस्पताल

†**१५१५. श्री धर्मलिंगम्** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य के उत्तर अर्काट जिला में वेल्लोर के सरकारी अस्पताल को आधुनिक ढंग का बनाने और सुधारने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ग) कार्य कब आरंभ होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर अर्काट जिला में अतिसार[1] रोग

†**१५१६. श्री धर्मलिंगम्** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अतिसार रोग के बहुत फैल जाने के बारे में जांच करने के लिये मद्रास राज्य के उत्तर अर्काट जिले का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण का प्रतिवेदन तैयार है ; और

(ग) उस का ब्यौरा क्या है ?

---

[1]Diarrhoea.

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). मद्रास सरकार की प्रार्थना पर अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्था कलकत्ता के महामारी विज्ञान संबंधी सैक्शन के एक दल को सितम्बर १९६१ के आरंभ में, मद्रास राज्य के उत्तर और दक्षिण जिलों के कुछ तालुकों में, अन्य बातों के साथ अतिसार रोग के फैलने के बारे में मौके पर जाकर अध्ययन करने का काम सौंपा गया था।

उस दल की प्रारंभिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३४१८/६१।]**

देश में हैजा

†**१५१७. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष अब तक विभिन्न राज्यों में और संघ राज्य-क्षेत्रों में हैजे से कुल कितनी मृत्यु हुई ;

(ख) सबसे अधिक मृत्यु किस क्षेत्र में हुईं;

(ग) कुल कितने व्यक्तियों को हैजे के टीके लगाये गये ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में और संघ राज्य-क्षेत्रों में अब तक हैजा-विरोधी उपायों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी।

उर्वरक विपणन निगम

१५१८. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उर्वरक विपणन निगम बनाने सम्बन्धी निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निगम का गठन और कृत्य क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)** : (क) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महाराष्ट्र में नगरीय जल संभरण

†**१५१९. श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में आरम्भ करने के लिये कौन कौन सी नगरीय जल संभरण योजनाओं की सिफारिश की है ;

(ख) क्या यह सच है कि नासिक जिले में मनमाड और योला शहरों में पीने के पानी की बहुत कमी है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उपरोक्त स्थानों में जल संभरण योजनाओं को प्राथमिकता देने को कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक तृतीय पंचवर्षीय योजना में आरम्भ करने के लिये कोई योजना नहीं भेजी है ।

(ख) जी, नहीं । मनमाड में पीने के पानी की बहुत कमी थी परन्तु अब दो आपातकालीन योजनायें पूरी किये जाने के बाद इस कमी को अधिक नहीं कहा जा सकता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

महाराष्ट्र में गिराना परियोजना

†१५२०. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में गिराना परियोजना का निर्माण-कार्य रोक दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब तक पूरे किये गये मिट्टी के काम में से पानी टपकता है ;

(ग) क्या यह निर्माण-कार्य रोक दिये जाने के कारण है ; और

(घ) मिट्टी के कार्य में उपरोक्त बहाव को ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). गिराना परियोजना महाराष्ट्र सरकार बना रही है । प्रश्न में उठायी गयी बातों के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

महाराष्ट्र में नासिक जिले में ग्राम्य विद्युतीकरण

†१५२१. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नासिक जिले में उन गांवों की क्या संख्या है जिनकी तृतीय पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकरण की सिफारिश की गयी है ;

(ख) उन का विद्युतीकरण किस परियोजना से किया जायेगा; और

(ग) उन को बिजली का संभरण कब किया जायेगा और कितनी बिजली दी जावेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

रेलगाड़ियों में 'हॉट बोक्सेज'[१]

†१५२२. **श्री बि० दासगुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में पिछले छः महीनों में, महीने-वार, अन्य वहन गाड़ियों (ओ० सी० वी०), यात्री वहन गाड़ियों (पी० सी० वी०) और माल डिब्बों (वैगनों) में हॉट बोक्सेज की कितनी घटनायें हुईं;

(ख) क्या यह सच है कि उस सैलून कार में जिस में रेलवे मंत्री जी यात्रा कर रहे थे, 'हॉट बोक्सेज' की कई घटनायें हुईं जिस के परिणामस्वरूप उनको यात्रा रद्द करनी पड़ी;

---

[१]Hot Boxes in trains.

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो कितनी बार और दिल्ली से कितनी दूर;

(घ) क्या यह सच है कि जिन सैलूनों ने 'हॉट बोक्सेज' हुए व उत्तर रेलवे, जिसका सदर मुकाम दिल्ली है, के संधारन प्रभार में हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने 'हॉट बोक्सेज' की बढ़ती हुई संख्या का विश्लेषण किया है; और

(च) यदि हां, तो वे क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) उत्तर रेलवे में नवम्बर, १९६० से अक्तूबर, १९६१ तक, पिछले १२ महीनों में, 'हॉट बोक्सेज' की संख्या निम्न प्रकार है :

	यात्री वहन गाड़ियां	अन्य वहन गाड़ियां	माल डिब्बे
बड़ी लाइन . . .	९४	५	६३१२
मीटर गेज . . .	१३१	२	५३१
छोटी लाइन . . .	शून्य	शून्य	शून्य

महीनेवार आंकड़ संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७७]**

(ख) रेलवे मंत्री द्वारा इस्तेमाल किये गये सैलून में 'हॉट बोक्सेज' के दो मामले हुए हैं। पहला मथुरा पर हुआ और दूसरा पनकी में हुआ। मंत्री महोदय उसी गाड़ी में अपनी यात्रा करते रहे।

(ग) दो बार, दिल्ली से १४३ किलोमीटर और ४२४ किलोमीटर पर।

(घ) जी, हां।

(ङ) यह सच नहीं है कि 'हॉट बोक्सेज' की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, प्रत्यक 'हॉट बोक्स' की जांच की जाती है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

(च) 'हॉट बोक्सेज' की समस्या पर विश्व भर की रेलों का ध्यान है और भारतीय रेलवे में पिछले ३० वर्षों से इस समस्या पर ध्यान दिया गया है। अभी तक कोई भी रेलवे इसका पूर्ण रूप से संतोषजनक हल नहीं ढूंढ सका परन्तु रोलर बियरिंग्स के इस्तेमाल से 'हॉट बोक्सेज' की घटनाओं में कमी हुई है। तथापि, भारतीय रेलवे में हाल ही में उठाये गये कुछ कदम निम्न प्रकार हैं :

(१) रोलर बियरिंग्स का अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

(२) 'एक्सल बोक्सेज' को चिकनाने के तरीके में सुधार के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं।

(३) शंटिंग के दौरान रफ्तार कम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(४) मरम्मत की अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

रेलवे साइडिंग

†१५२३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे पर जगतदल, अटपुर, कांकीनरा और श्यामनगर में मिलों के लिये रेलवे साइडिंग जो नगरपालिका की भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं, नगरपालिका को उन के क्षेत्राधिकार में कोई कर नहीं देते;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या रेलवे क्वार्टर भी कोई म्युनिसिपल कर नहीं देते; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). कर दिये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारी

†१५२४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९४७ के बाद से असैनिक उड्डयन विभाग के जूनियर क्लर्कों के वेतन में, वेतन के साथ महंगाई भत्ता मिलाये जाने के अतिरिक्त, कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) क्या छोटे हवाई अड्डों पर और कलकत्ता हवाई अड्डे पर उनके कृत्यों में प्रशासन, राजस्व की वसूली और अन्य प्रमुख कार्य शामिल हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सीनियर क्लर्कों के पद पर उनकी पदोन्नति के अवसर भी प्रतिबन्धित किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या इस मामले पर फिर ध्यान दिया जा रहा है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) असैनिक उड्डयन विभाग में जूनियर क्लर्कों और भारत सरकार में लोअर डिवीजन क्लर्कों के पहले और पुनरीक्षित वेतन स्तर निम्न प्रकार हैं :

पहले वेतन-स्तर : ६०-३-८०-यो०-४-१२५-५-१३० रुपये और १०० रुपये तक ५० रुपये महंगाई भत्ता और ५ रुपये अन्तरिम सहायता और १०१ से १५० रुपये तक के बीच ५५ रुपये महंगाई भत्ता और ५ रुपये अन्तरिम सहायता ।

पुनरीक्षित वेतन-स्तर : ११०-३-१३१-४-१५५-यो०-४-१७५-५-१८० रुपये और १४९ रुपये तक १० रुपये महंगाई भत्ता और उसके बाद २० रुपया महंगाई भत्ता ।

(ख) वे सामान्य क्लेरीकल काम करते हैं जिसमें नगदी संभालना भी शामिल है । उन्हें घमना और राजस्व वसूल करना नहीं पड़ता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली का चिड़िया घर

†१५२५. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के चिड़ियाघर में बहुत कम मिलने वाले जानवर रखे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो जानवर क्या हैं और वे कहां से लाये गये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)**: (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १४-३-१९६१ को ऐसे ही प्रश्न संख्या १६५३ का उत्तर दिये जाने के बाद से निम्नलिखित वृद्धि की गयी :

स्पेन से उपहारस्वरूप प्राप्त २ जिब्राल्टर बन्दर ।

अमरीका सरकार से उपहारस्वरूप प्राप्त ३ कनाडा हंस ।

कलकत्ता के चिड़िया घर से विनिमय आधार पर ६ 'अगाउट्स' और १२ गोरैया ।

यातायात परिचालक कर्मचारी[1]

†१५२६. श्री सुब्बया अम्बलम्:
श्री तंगामणि :
श्री सम्पत्:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद अन्य कर्मचारियों की तरह यातायात-परिचालक कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के मामले में आर्थिक लाभ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन १३००० कर्मचारियों वाले मामले में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) द्वितीय वेतन आयोग के बाद वेतन निर्धारण के मामले में अन्य कर्मचारियों की तरह यातायात परिचालक कर्मचारियों को भी लाभ हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आग बुझाने वाले जहाज[2]

†१५२७. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुगली डोकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के नौवांगण में एक आग बुझाने वाला जहाज बनाया गया है;

(ख) क्या भारत में अन्य पत्तनों को देने अथवा वाणिज्यिक कार्यों के लिये ऐसे जहाज बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने मार्च, १९६० में हुगली डोकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को ६६,९९,०७४ रुपये की लागत से आग बुझाने वाले दो जहाज बनाने का आदेश दिया । एक आग बुझाने वाला जहाज तो पहले आग बुझाने वाले जहाज के स्थान पर है, जो खराब हो गया है और दूसरा अतिरिक्त है । दोनों जहाज उतार दिये गये हैं और अब निर्माता इसमें मशीनें लगा रहे हैं, ढांचा बना रहे हैं और अन्य कार्य पूरा कर रहे हैं । जहाजों की डिलीवरी जून, १९६२ में होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Traffic running staff.

[2] Fire Fighting Tug.

(ख) और (ग). अन्य पत्तनों के लिये आग बुझाने वाले उपकरण बनाने की स्थिति निम्न प्रकार है :

बम्बई:

बम्बई पत्तन न्यास ने वर्ष १९५९ में एक नया आग बुझाने वाला जहाज बनाया था ।

मद्रास:

मद्रास पत्तन न्यास द्वारा सितम्बर, १९६१ में आग बुझाने के लिये दो गोदी जहाजों के संभरण के क्रयादेश दिये गये थे । उनमें से एक पुराने आग बुझाने वाले जहाज के बदले है जो बेकार हो गया है । इन जहाजों के वर्ष १९६२ के अन्त तक डिलीवरी दिये जाने की आशा है ।

विशाखापटनम:

मार्च, १९५९ में एक आग बुझाने वाला जहाज बनाया गया था ।

कोचीन:

कोचीन पत्तन के लिये एक आग बुझाने वाला जहाज बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

कांडला:

इस पत्तन के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक आग बुझाने वाला जहाज बनाने का प्रस्ताव है ।

घोघरडीह स्टेशन से सामान भेजना

१५२८. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की सकरी-निर्मल्ली रेलवे लाइन पर घोघरडीह स्टेशन से कलकत्ता के लिये बुकिंग महीने में प्रायः एक या दो दिन ही खुली रहती है ;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन के ध्यान में यह बात आई है कि घोघरडीह से कलकत्ते की बुकिंग बंद रहने के कारण मधुबनी सबडिवीज़न की अर्थव्यवस्था तथा किसानों की उपज के मूल्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या प्रबन्ध किया जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) घोघरडीह से कलकत्ता के लिए बुक किया गया माल गडहरा में यानान्तरित होता है, इसलिए यातायात के नियमन के लिए कोटा नियत करना पड़ता है । अक्टबर, १९६१ में बाढ़ और लाइन में टूट-फूट के कारण इस स्टेशन के निर्गामी यातायात में रुकावट पड़ी लेकिन नवम्बर, १९६१ में यातायात संतोषजनक रहा है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली के डायरेक्टर

†**१५२९. श्री वाजपयी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटेल चेस्ट इन्स्टीयूट के डायरेक्टर को, जो सेवा-निवृत्त पदाधिकारी हैं, अपने पुराने वेतन से अधिक वेतन और पेंशन दी जाती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों के वेतन-निर्धारण सम्बन्धी मूलभूत नियमों के अनुरूप है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस बारे में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में आपत्तियां उठायी गयी हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस संस्था में काम करने वाले अन्य पदाधिकारियों को यह सुविधा नहीं दी गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह सामान्य नियमों में छूट है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) सम्बन्धित पदाधिकारियों ने कोई विशेष शर्तें नहीं मांगी और अतः उनको कोई विशेष रियायतें देने का प्रश्न नहीं उठा ।

प्रमुख अनाजों और व्यापारिक फसलों का मूल्य

†१५३०. **श्री नेसवी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्दिष्ट सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए प्रमुख अनाजों और रूई, मिर्च और तम्बाकू आदि व्यापारिक फसलों के क्रय और विक्रय मूल्य निकालने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) फसल काटने से काफी पहले किसानों को इन मूल्यों की घोषणा किये जाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) ये मूल्य निर्धारित करने और उपरोक्त नीति को क्रियान्वित करने के लिये अन्य आवश्यक कदम उठाने के लिये केन्द्र में और राज्यों में दोनों में स्थायी अधिकरण स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य प्रमुख खाद्यान्नों और व्यापारिक फसलों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित करने और उनकी घोषणा करने का जिक्र कर रहे हैं । जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, मामला विचाराधीन है । चीनी कारखानों को दिये जाने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्यों और रूई के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य फसल कटने के समय से पूर्व ही निर्धारित कर घोषित कर दिये जाते हैं । पटसन के मामले में, न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार सरकार ने अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अधीन ले लिया है ।

(ग) एक कृषि वस्तु मंत्रणा समिति, जो मूल्य नीति सम्बन्धी मामलों पर सरकार को सलाह देगी, की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है । रूई और पटसन के मामले में मूल्य नीति क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में क्रमशः कपड़ा आयुक्त और पटसन आयुक्त उपयुक्त केन्द्रीय अभिकरण हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़कें)

†१५३१. **श्री पन्नालाल बारूपाल:** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५९ में अधिघोषित भर्ती नियमों के अनुसार केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़कें) प्रथम श्रेणी की सेवा पदाली अभी नहीं बनाई गयी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पदाली बनाये बिना ही कुछ उच्च पदों पर पदोन्नतियां की गयी हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पदाली बनाये बिना ही कुछ उच्च पदों पर तदर्थ स्थायीकरण किये जाने की प्रस्थापना है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के जरिये भर्ती किये गये व्यक्तियों के हितों की किस प्रकार रक्षा की जायेगी ; और

(ङ) पदाली बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्योंकि परिवहन विभाग (सड़क अनुभाग) में प्रथम श्रेणी के सभी इंजीनियरिंग पद केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़कें) प्रथम श्रेणी की पदाली के आधार पर माने जाते हैं, इन पदों के पदधारियों से अक्तूबर, १९५९ में सेवा के लिये भर्ती नियमों के प्रख्यापन से स्वत: ही सेवा का गठन हो गया । डिवीज़नल इंजीनियर कोन्सल्टेन्ट (प्रथम श्रेणी--वरिष्ठ) के पद के और इनसे ऊंपर के पद के पदाधिकारियों की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गयी है और सम्बन्धित पदाधिकारियों को दिखा दी गयी है । समेकित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के आधार पर सहायक इंजीनियर कोन्सलटेन्ट (प्रथम श्रेणी--कनिष्ठ) के रूप में नियुक्त किये गये पदाधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है । उनकी वरिष्ठता निर्धारित किये जाने के बाद उनकी वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी और उनमें परिचालित की जावेगी ।

केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़कें) प्रथम श्रेणी भर्ती नियमों के प्रख्यापन के बाद डिवीज़नल इंजीनियर कोन्सल्टेन्ट के पद पर दो पदाधिकारी पदोन्नत किये गये हैं । इन पदाधिकारियों को भर्ती नियम लागू होने से पूर्व ही पदोन्नति के योग्य पाया गया था और उनको इस आश्वासन पर पदोन्नत किया गया कि उनकी पदोन्नति अस्थायी है और वे अभी पदोन्नत न किये गये पदाधिकारियों से वरिष्ठता का दावा करने के हकदार नहीं होंगे । सहायक इंजीनियर कोन्सलटेन्टों की वरिष्ठता निर्धारित करने के प्रश्न पर निर्णय किये जाने से पूर्व डिवीज़नल इंजीनियर कोन्सल्टेन्ट की श्रेणी में कोई तदर्थ स्थायीकरण की प्रस्थापना नहीं है । अत: प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के जरिये भर्ती किये गये व्यक्तियों की हितों की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

प्रयोगशालाओं में पशुओं की चीड़फाड़

†१५३२. **श्री बलराज मधोक:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीड़फाड़ की प्रयोगशालायें (पशुओं पर प्रयोग संबंधी), लाइसेंसशुदा और बिना लाइसेंस की, कितनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन प्रयोगशालाओं में कितनी जातियों के पशुओं पर प्रयोग किए जाते हैं ;

(ग) प्रतिवर्ष कितने पशुओं और चिड़ियों की चीड़फाड़ की जाती है ;

(घ) उनमें से कितनों पर बिना चेतनाशून्य करने की औषधि दिए प्रयोग किए गए ; और

(ङ) इन प्रयोगों द्वारा क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ङ). भारत सरकार ने १९५४ में पशुओं के प्रति निर्दयता के निवारण से संबंधित समस्त प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने अपने विचार विमर्श के दौरान २७ मेडिकल कालेजों, ८ पशुचिकित्सा कालेजों, १० सेरम एवं वैक्सीन निर्माण संस्थाओं,[1] १५ चिकित्सा गवेषणा संस्थाओं और १२ लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं से पशुओं के प्रयोगों से संबंधित विस्तृत सूचना एकत्रित की । समिति ने देश के कुछ प्रमुख मेडिकल कालेजों और चिकित्सा गवेषणा संस्थाओं का दौरा किया । इन संस्थाओं और उनके द्वारा किए गए प्रयोगों और गवेषणाओं की प्रकृति, और उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पशुओं की संख्या और जातियों का ब्यौरा समिति के प्रतिवेदन के परिच्छेद ३ और परिशिष्ट १२ में सन्निहित है जो १९५७ में प्रकाशित किया गया था तथा जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । उनसे ज्ञात होगा कि सामान्यतः प्रयोग के लिए मैंढकों, चूहों, सुअरों, खरगोशों, बिल्लियों, कुत्तों, भेड़ों, बकरियों, ढोरों, बछड़ों, भेंसों, घोड़ों और बन्दरों को काम में लाया जाता है । कुछ संस्थाओं में कबूतरों, फाख्ताओं, मुर्गी के बच्चों और गर्भस्थ बच्चों[2] को भी काम में लाया जाता है । इन प्रयोगों के मुख्य प्रयोजन मानवीय तथा पशु रोगों का विश्लेषण, चिकित्सा और पशु चिकित्सा विज्ञानों के क्षेत्रों में गवेषणा, अध्यापन एवं प्रदर्शन, सेरा और वैक्सीन तैयार करना और सेरा तथा वैक्सीन से भिन्न उत्पादों जैसे भेषजों का प्रमाणीकरण हैं । समिति के प्रतिवेदन के अनुसार भारत में पशुओं पर किए जाने वाले प्रयोगों में से अधिकांश में चेतनाशून्य करने की औषधि की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनमें ऐसे इन्जेक्शनों का प्रयोग किया जाता है जिनसे कोई विशेष कष्ट नहीं होता है । काटने के आपरेशन सामान्यतः चेतनाशून्य करने की औषधि के अन्तर्गत किए जाते हैं ।

इस विषय पर १९५७ के पश्चात् कोई सूचना एकत्रित नहीं की गई है । परन्तु पशु निर्दयता निवारण अधिनियम, १९६० के अध्याय में आवश्यकता होने पर पशु कल्याण बोर्ड की सलाह पर पशुओं पर किये जाने वाले प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिये एक समिति की स्थापना का उपबन्ध ह । इस समिति का मुख्य कार्य यह प्रयत्न करना है कि भारत में पशुओं पर किये जाने वाले प्रयोग यथासंभव मानवीय ढंग से किये जाएं ।

नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन डाक्टर

†**१५३३. श्री बलराज मधोक:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि डिस्पेंसरियों में नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा नियुक्त किये गये डाक्टरों और कर्मचारियों को डिसपेंसरियों से बहुत दूर रहने की जगह दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे डाक्टरों की कार्यक्षमता और डिसपेंसरियों के जनता के लिए उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ह ; और

(ग) क्या सरकार इसलिये डाक्टरों को उनके निवास-स्थान से निकटतम डिसपेंसरियों में नियुक्त करने अथवा उन्हें डिसपेंसरियों के निकट जगह देने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Serum & Vaccive Manufacturing Institutions.

[2]Chick Embriyos.

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कांगड़ा के भरमार सब-पोस्ट आफिस में तार और टेलीफोन सुविधाएं

†१५३४. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नेकराम नेगी :
श्री राम गरीब :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भरमार के विभागीय सब-ऑफिस से कौन-कौन से पन्द्रह ब्रांच आफिस सम्बद्ध हैं ;

(ख) भरमार सब-आफिस में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है और क्या अधिक कर्मचारी नियुक्त करने का विचार किया जा रहा है ; और

(ग) भरमार में तार और टेलीफोन प्रणाली की व्यवस्था कब तक हो जाने की संभावना है और इसका अंतिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा कि धमेटा में इन सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए अथवा नहीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) (१) छतर जोगिया (२) बड़ौत बनाल (३) हरीदेवी (४) मकरौली (५) राजा तालाब (६) तलारा (७) फतेहपुर (८) सेहाल (९) गोलवान (१०) नामनगर (११) पारौल (१२) रकोली गिरठान (१३) सनोहरा (१४) सक्कर चौधियां (१५) लारठ ।

(ख) (१) एक सब-पोस्टमास्टर

(२) दो विभागातिरिक्त डिलीवरी एजेण्ट

(३) एक विभागातिरिक्त चौकीदार

क्लर्क का एक पद मंजूर किया गया है ।

(ग) भरमार में तार तथा टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था मार्च, १९६३ तक की जाएगी । धमेटा में टेलीग्राफ और टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करने की मंजूरी जनवरी ६२ तक दे दी जाएगी यदि यह प्रस्ताव लाभकारी होगा ।

उड़ीसा के डाक तथा तार सर्किल की क्रमोन्नति

†१५३५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के डाक तथा तार सर्किल के वर्तमान स्तर को ऊंचा उठाने के प्रश्न पर विचार किया ह ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) उड़ीसा सर्किल को एक बड़ा सर्किल बनाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) फिलहाल उड़ीसा के डाक तथा तार निदेशक के पद को ऊंचा उठा कर पोस्टमास्टर जनरल का न बनाने का निर्णय किया गया है।

(ग) उड़ीसा सर्किल में अभी जितना यातायात है और जितनी आय होती है उसको देखते हुए उसको एक पोस्ट मास्टर जनरल के अधीनस्थ रखा जाना उचित नहीं मालूम होता है।

उड़ीसा के रेलवे डाक सेवा सेक्शन

†१५३६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुछ रेलवे डाक सेवा सेक्शनों, जिनका अधिकांश भाग उड़ीसा की राजनीतिक सीमा में आता है, का नियंत्रण आंध्र और मध्य प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल जैसे विभिन्न पड़ोसी सर्किलों द्वारा किया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार खुर्दा रोड से विजयनगरम् और झानसुगदा से रायपुर तक के रेलवे डाक सेवा सेक्शनों का नियंत्रण उड़ीसा के डाक तथा तार निदेशक को हस्तांतरित करने का विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) ऐसा केवल एक सेक्शन है-- रायपुर-तितिलागढ़ के बीच जो नागपुर के पोस्ट मास्टर जनरल के नियंत्रण में है जिसमें उड़ीसा का केन्द्रीय सर्किल से केवल छै मील भाग अधिक है।

(ख) यातायात के स्वरूप के आधार पर किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

उड़ीसा में दूर-संचार प्रणाली

†१५३७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा की समस्त दूर-संचार प्रणाली के कार्यों के केन्द्रीयकरण और प्रशासकीय एवं प्रविधिक नियंत्रण के डाक तथा तार निदेशक, कटक को हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव ने कोई ठोस रूप प्राप्त कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं से जांच करनी होगी जैसे कार्य संचालन की कार्य- के संचार की, हितो की, एकता और यातायात के प्रवाह का स्वरूप और उस क्षत्र में दूर-संचारों का विकास।

†मूल अंग्रेज़ी में

डाक वितरण

†१५३८. **श्री नेक राम नेगी:**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम गरीब:

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घमेटा पोस्ट ऑफिस को प्रेषित डाक का थैला और साधारण डाक और टी० एम० ओ० आदि रेलवे डाक सेवा/डाक सेवाओं द्वारा गलती से उसी जिले के धनेटा नामक स्थान को भेज दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या कार्यदक्षता की प्राप्ति के लिए भरमार में अधिक कर्मचारी नियुक्त करने का विचार किया जा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन):** (क) घमेटा की डाक धनेटा भेज दिये जाने अथवा इसके विपरीत स्थिति के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। अभी तक टी० एम० ओ० के गलत भेजे जाने का कोई भी मामला नजर में नही आया है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) स्थानीय वितरण में सुधार के लिए ५-९-६१ से विभागातिरिक्त डिलीवरी एजेन्ट का पद निर्मित किया गया है। भरमार पोस्ट आफिस के ७ ब्रांच पोस्ट आफिस रेहन पोस्ट आफिस को, उसको एक विभागीय सब-आफिस में पदोन्नत करके, हस्तांतरित किये जा रहे हैं। इसलिए भरमार सब-आफिस के लिए कोई अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करना उचित नहीं होगा।

फेफना स्टेशन पर टीन का शेड

१५३९. **श्री सरजू पांडेय:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद-कटिहार छोटी लाइन के फेफना स्टेशन पर टीन के शेड की व्यवस्था करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक इसको व्यवस्था किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि फेफना एक बड़ा स्टेशन है किन्तु वहां यात्रियों के पानी पीने के लिए केवल एक पम्प है और कर्मचारियों के लिये एक भी नहीं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि वहां से बहुत मात्रा में सामान भेजा जाता है किन्तु स्टेशन पर कोई बुकिंग क्लर्क नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). फेफना स्टेशन के प्लेटफार्म पर १९६२-६३ में शेड बनाने का विचार है।

(ग) यह ठीक है कि स्टेशन पर एक ही हथ-पम्प है, लेकिन इसके अलावा, घड़ों और मटकों में ताजा और साफ पानी भी रखा रहता है और प्याऊ की भी व्यवस्था की गयी है। मौजूदा यात्री-

†मूल अंग्रेजी में

यातायात को देखते हुए यह व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है। कर्मचारियों के मकानों के पास दो खुले कुएं भी हैं, जो उनके लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

(घ) और (ङ). जी नहीं। यहां जितना माल-यातायात होता है उसे देखते हुए यहां बुकिंग क्लर्क या माल बाबू रखने का कोई औचित्य नहीं है।

मक्खन निकले दूध का पाउडर

†१५४०. **श्री ले० अचौ० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर को १९५९–६० के लिए आवंटित किया गया ५० मीट्रिक टन आयातित सपरेटा दूध[1] का पाउडर मनीपुर प्रशासन के किसी अधिकारी द्वारा मनीपुर के बाहर भेज दिया गया है ;

(ख) क्या मनीपुर को वर्ष १९६०–६१ के लिए आवण्टित सपरेटा दूध के उतने ही पाउडर का एक अन्य सार्वजनिक कोटा भी इसी प्रकार निपटा दिया गया है ; और

(ग) यदि (क) और (ख) के उत्तर सकारात्मक हों तो सरकार द्वारा ऐसी कार्यवाही को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में ओलों की वर्षा

†१४५१. **श्री ले० अचौ सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९६१ के प्रथम पक्ष में मनीपुर की घाटी में ओलों की वर्षा हुई थी और खड़ी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा था ; और

(ख) यदि हां, तो फसलों को कितना नुकसान पहुंचा और भारी वर्षा तथा ओले गिरने से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में चीनी

†१५४२. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर की शीर्ष सहकारी विपणन समिति नें चीनी का पर्याप्त स्टाक जमा कर लिया है और नियंत्रण की समाप्ति के पश्चात् उसने चीनी को नियंत्रिण मूल्य के अतिरिक्त एक रुपया प्रति मन अधिक भाव पर बेचा है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति को इस कार्य से कितना लाभ हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) और (ख). मनीपुर की शीर्ष सहकारी विपणन समिति के पास नियंत्रण की समाप्ति के समय ९,२८७ मन चीनी थी। स्टाक का

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Skimmed milk.

कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। समिति ने क्षतिग्रस्त स्टाक का मल्य १ रुपया प्रति मन कम कर दिया और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए अच्छे स्टाक का मूल्य १ रुपया प्रति मन बढ़ा दिया। उस का कहना है कि ऐसा करने से उसे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हुआ।

मानमदुरै और कन्याकुमारी के बीच रेलवे लाइन

†१५४३. **श्री अमजद अली :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानमदुरै से कन्याकुमारी के बीच रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा; और

(ग) यदि नहीं तो क्या उन का मंत्रालय इस लाइन के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार करेगा क्योंकि उस क्षेत्र में कोई रेलवे नहीं है और उसके लिए बहुत मांग की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ग). मानमदुरै से विरुधनगर तक रेलवे लाइन का निर्माण तीसरी पंच वर्षीय योजना में रेलवे के भौतिक कार्यक्रम में सम्मिलित है। उसे केपकमोरिन से मिलाने के लिए टिन्नेवेली से केपकमोरिन तक रेलवे लाइन का निर्माण करना होगा परन्तु यह रेलवे के तीसरी योजना के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

(ख) मानमदुरै–विरुधनगर लाइन के लिए इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण इस कार्य के मौसम में किये जायेंगे तथा उस के बाद निर्माण कार्य किया जायेगा। यह अभी नहीं बताया जा सकता कि लाइन का निर्माण कब पूर्ण हो जायेगा।

उतरौला स्टेशन आउट एजेंसी

१५४४. **श्री बाजपेयी:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उतरौला (पूर्वोत्तर रेलवे) में एक आउट एजेंसी थी उसे बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि एजेंसी का ठेका एक बाहरी व्यक्ति को दिया गया था जिस ने एजेंसी को चलाने में रुचि नहीं ली और न जिस के पास माल ढोने के लिये ट्रक थे;

(ग) यदि हां, तो एजेंसी का काम किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई; और

(घ) क्या एजेंसी को पुनः चालू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी हां, क्योंकि यातायात काफी न होने के कारण ठेकेदार ने ठेका खत्म करने का नोटिस दे दिया था।

(ख) जी हां। यह जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति को जहां की आउटएजेंसी का ठेका दिया जाय, वह वहीं का रहने वाला भी हो या उस के पास अपने ट्रक हों, क्योंकि, जरूरत पड़ने पर, वह ट्रक या दूसरे वाहन किराये पर भी ले सकता है।

(ग) टेण्डर मांग कर और स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद कोशिश की गयी थी कि कोई उपयुक्त ठेकेदार मिल जाय, पर ऐसा न हो सका।

(घ) जी नहीं, लेकिन यदि कोई उपयुक्त ठेकेदार इस आउट-एजेंसी को चलाने के लिए अर्जी देगा तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

राप्ती के तट पर नया स्टेशन

१५४५. श्री वाजपयी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर को जनता से इस आशय के आवेदन मिले हैं कि बलरामपुर तथा कौवापुर के बीच में राप्ती के तट पर एक नया रेलवे स्टेशन खोला जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल की गई; और

(ग) इस का क्या परिणाम निकला ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस सुझाव की जांच की गयी थी लेकिन पर्याप्त औचित्य न होने के कारण इसे मंजूर नहीं किया गया ।

गोरखपुर से लखनऊ को विशेष रेलगाड़ी

१५४६. श्री बाजपेयी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जन संघ के वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर गोरखपुर से लखनऊ के लिये २९-३० दिसम्बर, १९६० को जो विशेष गाड़ी चलाई गई थी उस में मालगाड़ी का ईजन लगाया गया था जिस के फलस्वरूप गाड़ी देर से लखनऊ पहुंची और यात्रियों को बड़ी असुविधा हुई;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस गाड़ी के लिये पहले सवारी गाड़ी का इंजन देना तय हुआ था, किन्तु बाद में उसे बदल दिया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई और क्या सवारी गाड़ी के इंजन के बजाय मालगाड़ी का इंजन लगाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई;

(घ) क्या यह सच है कि इस विशेष गाड़ी के लिये जो कोयला दिया गया वह भी खराब था; और

(ङ) गाड़ी के लखनऊ पहुंचने का समय क्या था और वह कितनी देर बाद वहां पहुंची ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). सवारी गाड़ियों को खींचने में समर्थ मालगाड़ी का एक इंजन, इस स्पेशल गाड़ी में लगाया गया था । यह गाड़ी समय की पाबन्दी न रख सकी, इस का कारण यह नहीं था कि उस में मालगाड़ी का इंजन लगा था, बल्कि ऐसा अन्य कारणों से हुआ ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) इस स्पेशल गाड़ी को ०७.४५ बजे लखनऊ पहुंचना था, लेकिन वह १०.३५ बजे पहुंची अर्थात २ घंटे ५० मिनट देरी से ।

गोण्डा में रेलवे बस्ती

१५४७. श्री वाजपेयी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर स्थित गोण्डा में एक रेलवे बस्ती है जिस में एक विद्यालय चलता है;

(ख) क्या विद्यालय को रेलवे की ओर से कोई आर्थिक सहायता मिलती है;

(ग) यदि हां, तो कितनी और विद्यालय के कुल व्यय के अनुपात में उसका क्या प्रतिशत है;

(घ) क्या यह सच है कि विद्यालय में छात्रों के बैठने के लिये कमरों की कमी है;

(ङ) क्या विद्यालय को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या विद्यालय को अधिक आर्थिक सहायता देने का विचार किया जा रहा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) पूर्वोत्तर रेल-प्रशासन गोंडा में कोई स्कूल नहीं चला रहा है लेकिन इस स्टेशन की रेलवे कालोनी में एक गैर-रेलवे स्कूल चल रहा है ।

(ख) १९६०-६१ में इस स्कूल को कर्मचारी हित निधि से १,००० रुपया का अनावर्तक अनुदान दिया गया था । रेलवे राजस्व से इसे कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) स्कूल अधिकारियों ने रिपोर्ट की है कि स्कूल में जगह की तंगी है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) सवाल नहीं उठता ।

गाड़ी का पटरी से उतरना

†१५४८. **श्री सुगन्धि**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ नवम्बर, १९६१ को या उसके लगभग दक्षिण रेलवे के मीटर लाइन के हुबली-शोलापुर सेक्शन पर मुलवद और तेलगी के बीच कोई मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, उसका ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस मार्ग पर १९५८-५९ से आद्यतन प्रति वर्ष रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस सेक्शन पर बारबार पटरी से उतरने की घटनाओं के कारणों की जांच की है और क्या इस मार्ग की भली प्रकार जांच कराई गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). २१-११-६१ को लगभग ६.३० बजे जब कि एक अप मालगाड़ी दक्षिण रेलवे के हुबली-शोलापुर मीटर लाइन सेक्शन पर मुलवद और तेलगी स्टेशन के बीच दौड़ रही थी, एक माल डिब्बे का बफर टूट गया जिस से पीछे के छै डिब्बे उलट गये और दो ब्रेक के डिब्बे पटरी से उतर गये । रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान १६०० रुपये लगाया गया है । कोई व्यक्ति मरा नहीं ।

(ग) इस मार्ग पर मुलवद और तेलगी स्टेशनों के बीच १९५८-५९ से अब तक पटरी से उतरने की तीन घटनायें हुई हैं, दो १९५९-६० में और एक १९६१-६२ में ।

(ख) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली से शाहदरा का रेल-भाड़ा

१५४९. श्री बलराज मधोक : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे की १ अक्तूबर, १९६१ की समय-सारिणी के अनुसार शाहदरा रेलवे स्टेशन दिल्ली जंक्शन से ६ किलोमीटर दूर है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी समय-सारिणी के पृष्ठ २२५ में बताई गई भाड़े की दरों के अनुसार इसका भाड़ा १० नये पैसे होना चाहिये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली से शाहदरा का भाड़ा १५ नये पैसे लिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस गलती को कब तक दूर किया जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) जी नहीं । दिल्ली जंकशन और शाहदरा रेलवे स्टेशनो के बीच ७ किलोमीटर दूरी का किराया लिया जाता है जिसके लिए १५ नये पैसे किराया लेना ठीक है ।

(ख) और (ग). ६ किलोमीटर का किराया १० नये पैसे और ७ किलोमिटर का किराया १५ नये पैसे होता है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

†**१५५०. श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कौन-कौन से राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण किया जाएगा ; और

(ख) प्रत्येक मामले में कुल कितना व्यय होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख). आवश्यक सूचना प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७८]**

आन्ध्र प्रदेश में वन विकास

†**१५५१. श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में वनों के विकास के लिए वर्ष १९६१-६२ में कितनी राशि आवण्टित की गई है ; और

(ख) राज्य को वनों के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी राशि आवण्टित की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) २२.९९ लाख रुपए ।

(ख) १४५.०० लाख रुपए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैलम-बंगलौर रेलवे लाइन के लिये अनुपूरक बजट अनुदान

†१५५२. **श्री नरसिहन्:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तीसरी पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित धर्मपुरी और होसूर होकर जाने वाली प्रस्तावित सैलम-बंगलौर रेलवे लाइन से संबंधित अग्रेतर कार्य के अंतिम स्थान सर्वेक्षण के लिए अनुपूरक बजट अनुदान प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है और वे कब पेश किए जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : बंगलौर-सलेम लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण करने के लिए चालू वर्ष के लिए निधि के लिए संसद् द्वारा २-१२-१९६१ को अनुपूरक अनुदान पास किया गया है ।

बुढ़ाल मध्यम तालाब परियोजना

†१५५३. **श्री सोनावने** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर जिले की बुढ़ाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत सिचाई के १२,००० एकड़ क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत भूमियों को जल संभरण के संबंध में शीघ्रता करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) समस्त १२,००० एकड़ क्षेत्र में सिचाई होने में कम से कम कितना समय लगेगा ?

†**सिचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). बुढ़ाल तालाब परियोजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है । प्रश्न में पूछी गई बातों के संबंध में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । उसको प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय

†१५५४. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली और दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के कम्पाउण्डरों को उनकी वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए नए वेतनक्रमों के परिणामस्वरूप अन्य बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में किस प्रकार की कार्यवाही किए जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किया गया नया वेतनक्रम केवल 'पूर्णतः, योग्यताप्राप्त भैषजिकों' को प्राप्य हैं । "पूर्णतः योग्यताप्राप्त" पद का अभी तक स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । इस स्पष्टीकरण के पूर्व ही ७७ कम्पाउण्डरों, जो मैट्रिकुलेट हैं और जिन्होंने ३ वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और फार्मेसी अधिनियम की धारा ३१ (ग) अथवा ३२ के अन्तर्गत है, का वेतन निश्चित कर दिया गया है और बकाया राशि का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा । शेष ३७ कम्पाउण्डरों का पुनरीक्षत वेतनक्रम में वेतन का निश्चय ऊपर निर्दिष्ट स्पष्टीकरण आदेशों के जारी किए जाने पर किया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के कम्पाउन्डर

†१५५५. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८ में यह निर्णय किया गया था कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के कम्पाउन्डरों को कोट दिए जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस निर्णय की क्रियान्वित के लिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) मामले पर निर्णय १९६० में ले लिया गया था।

(ख) जी नहीं । निर्णय को लागू करने के लिए कार्यवाही की गई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय

†१५५६. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के कम्पाउन्डरों को, जिनसे रविवार और गजटेड छुट्टियों के दिन औषधालयों में उपस्थित होने के लिये कहा जाता है, प्रतिकरात्मक अवकाश (कम्पेंसेटरी लीव) नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी, हां :

(ख) अस्पतालों तथा औषधालयों में काम करने वाले कम्पाउन्डरों को सप्ताह में ४८ घंटे काम करना होता है । परन्तु अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में काम करने वाले कम्पाउन्डरों को रविवार तथा गजटेड छुट्टियों के दिनों में काम के घंटों समेत केवल ४० $^{1}/_{2}$ घंटे काम करना होता है । इसलिए रविवार तथा गजटेड छुट्टियों में काम करने के लिए प्रतिकरात्मक भत्ता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†१५५७. **श्री दलजीत सिंह:**
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में अब तक पंजाब राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर खोले गये हैं ; और

(ख) इसी अवधि में इन केन्द्रों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ७९।]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में चिड़ियाघर

†१५५८. श्री दी० चं० शर्मा:
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चिड़ियाघर के निर्माण में और आगे क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमख)**: (क) और (ख). ११ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ के उत्तर के बाद से चिड़ियाघर के निर्माण में जो प्रगति हुई है उसको बताने वाला एक विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ८०]**

कलकत्ते के चारों ओर सर्कुलर रेलवे

†१५५९. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ते के चारों ओर सर्कुलर रेलवे की निर्माण योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रानस्वामी)** : अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है ।

फसल बीमा योजना

†१५६०. श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री खीमजी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए केन्द्र को लिखा है;

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार से कोई सहायता मांगी गई है और उस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी योजनायें किन राज्यों से मिली हैं; और

(ङ) योजना कितने राज्यों में लागू की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) जी हां । भारत सरकार पंजाब सरकार के परामर्श से योजना बना रही है ।

(ख) पंजाब सरकार ने केन्द्र से योजना का ७५ प्रतिशत व्यय वहन करने की प्रार्थना की है । परन्तु भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए ५० प्रतिशत प्रशासन व्यय वहन करने का निर्णय किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्य सरकार योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप दे रही है ।

(घ) केवल पंजाब ।

(ङ) कोई नहीं ।

यूगोस्लाविया द्वारा जहाजों का निर्माण

†१५६१. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया सरकार द्वारा जहाजों के निर्माण मूल्य के बारे में कोई इस बीच समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किस प्रकार के जहाजों का निर्माण होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). पता लगा है कि केवल एक भारतीय नौवहन कम्पनी ने अब तक एक मालवाही जहाज के निर्माण के लिए यूगोस्लाविया शिपयार्ड से बातचीत की है ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के यात्रा रद्द करने के नियम तथा विनियमन

†१५६२. **श्री बसुमतारी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यात्रा रद्द करने के नियम तथा टिकट खरीदने की प्रक्रिया इतनी उलझन वाली है कि जिसके कारण पर्याप्त समय बरबाद होता है और कर्मचारियों तथा बुकिंग केन्द्रों पर प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों की शक्ति का ह्रास होता है; और

(ख) आइ० ए० टी० ए० का सदस्य हो जाने पर आ० ए० सी० ने इन यात्रा रद्द करने वाले नियमों तथा विनियमनों को सरल न बनाने के क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के समस्त विश्व में लागू किये जाने के लिये यात्रा रद्द करने के नियम नहीं हैं । इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यात्रा रद्द करने के नियम सरल हैं और इस प्रकार बनाये गये हैं जिन से यात्रा रद्द करने तथा सेवा के चलने में आवश्यक समय रह जाये । जितनी जल्दी यात्रा रद्द होगी उतना कम जुर्माना देना होगा । कारपोरेशन ने यह सिद्धान्त इसलिए बनाया है कि यदि उचित समय पर कोई सीट रद्द हो जाये तो उस को पुनः बेचा जा सकता है । कारपोरेशन ने यह भी बताया है कि उन के टिकट सभी प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के अनुरूप हैं और टिकट देने की प्रक्रिया सरल है तथा यातायात और लेखा-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत–पश्चिम जर्मनी विमान सेवा

†१५६३. { श्री पहाड़िया :
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पश्चिम जर्मनी से विमान सेवायें चलाने के लिए बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत की शर्तें क्या हैं ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). जी हां। भारत सरकार तथा जर्मनी की गणतंत्र सरकार के विमान प्रतिनिधिमंडलो के बीच नई दिल्ली में ९ से १७ अक्तूबर, १९६१ तक बातचीत हुई थी। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने दोनों देशो के बीच एक विमान सेवा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जो दोनों सरकारो को हस्ताक्षर तथा अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत होगी। स बीच समझौते की शर्तों को गोपनीय रखा गया है।

रेल गाड़ी में सेना अधिकारी की हत्या

†१५६४. { श्री प्र० गं० देव :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में लगभग २३ अक्तूबर, १९६१ को रेलगाड़ी में एक सेना अधिकारी की हत्या कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस की कोई जांच की गई है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). जी हां। सरकारी रेलवे पुलिस मोकामेह ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३९२ तथा ३०२ के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और जांच हो रही है।

यातायात परिचालक कर्मचारी

†१५६५. { श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री तंगामणि :
श्री सम्पत :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में मदुरै डिवीजन के यातायात परिचालक कर्मचारियों का मंत्री को अभ्यावेदन मिला था जिस में उन्होने मजूरी, पदोन्नति, यात्रा भत्ता आदि की शिकायतें तथा मांगें रखी थीं; और

(ख) यदि हां, तो मामले के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

†१५६५–क. **श्री गोरे** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी द्वारा 'आदि जयन्ती' जहाज के अर्जन कर लेने पर भारतीय फ्लैग के अधीन कितना टनभार उस में बढ़ा दिया गया था;

(ख) फरवरी में रजिस्ट्रेशन के समय इस समवाय की प्रदत्त पूंजी क्या थी;

(ग) पूंजी निर्गम के निदेशक द्वारा इस समवाय को कितनी पूंजी बनाने का प्रमाणपत्र दिया गया है; और

(घ) भारतीय नौवहन अधिनियम, १९५८ की कितनी धाराओं को समवाय पर 'आदि जयन्ती' के अर्जन में नहीं लगाया गया जिस से उस की सहायता की जा सके ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) २०,४१८ ग्रास रजिस्टर्ड टन ।

(ख) २०० रुपये ।

(ग) पूंजी निर्गम निदेशक ने प्रति अंश १०० रुपये के १,५०,००० के साधारण अंशों को जारी कर के १,५०,००,००० रुपये की पूंजी बनाने की अनुमति दी है ।

(घ) 'आदि जयन्ती' तथा उस के मालिकों को वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ७६, ९९, १००, १११ तथा २१२ से, पोत के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में २४ अगस्त, १९६१ से एक वर्ष के लिए छूट दे दी है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों को काम में न लाना

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

> "भारतीय विमान निगम के लगभग आधे विमानों को काम में न लाये जाने और फलस्वरूप यात्रियों को होने वाली असुविधा"

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस कथित आरोप के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण करने का अवसर मिला है कि भारतीय विमान निगम के लगभग आधे विमानों को काम में नहीं लाया जा रहा है और फलस्वरूप इस से बहुत असुविधा उत्पन्न हो गयी है । मैं इस सम्बन्ध में समाचारों द्वारा उत्पन्न हुई भ्रांति दूर कर देना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह समाचार कि निगम के लगभग आधे विमान काम में नहीं लाये जा रहे हैं गलत है। निगम के पास इस समय ७९ विमान हैं न कि ९१ । ७९ विमानों में से १३ विमानों को (६ डकोटा और ७ हेरन) को विक्रय के लिये रखा गया है। अवशेष विमानों में से ५ विमान मरम्मत के लिये खड़े कर दिये गये हैं। इस के अतिरिक्त ९ विमान नियमित देखभाल जांच आदि के लि वर्कशाप में भेजे गये हैं। अब निगम के पास केवल ५२ विमान रह गये हैं।

जो विमान काम में नहीं लाये जा रहे हैं उन की संख्या सामान्य से कुछ अधिक हो गयी है। इस का कारण कुछ तो दुर्घटनायें हैं तथा कुछ अन्य कारण भी हैं जिन को मैं इस समय विस्तार से नहीं बतलाना चाहता हूं। इस कमी के कारण १८ नवम्बर, १९६१ से अनुसूचित कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करना पड़ा है। इस से निस्संदेह मुख्य मार्गों में वाइकाउन्टों की उड़ानो पर प्रभाव हुआ है। उड़ानो की कमी निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जायेगी।

क्षेत्र	१८-११-६१ के पूर्व सप्ताह में उड़ानों की संख्या	परिवर्तित अनुसूची के अनुसार उड़ानों की संख्या
बम्बई--दिल्ली . .	२५	२१
बम्बई--कलकत्ता . .	१०	७
दिल्ली--कलकत्ता . .	११	७
कलकत्ता--मद्रास . .	७	७
दिल्ली--मद्रास . .	७	७

इसके अतिरिक्त पड़ोसी देशों को की जाने वाली उड़ानों पर भी कमी हुई है।

उक्त परिस्थितियों में निगम को कुछ उड़ाने कम करनी पड़ी हैं। इनसे यात्रियों को जो भी असुविधा हुई हो उसके लिये निगम क्षमा प्रार्थी है। तथापि वे इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि वर्कशापों में विमानों की संख्या में और कमी की जाये जिससे कि वे मूल शीतकालीन अनुसूची के अनुसार उड़ानें भर सकें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : क्या जिन डकोटा विमानों को बेचने के लिये रखा गया है उन्हें अनुसूचित चालकों को बेचा जायेगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि उन्हें ऐसे चालकों को बेचा जायेगा।

†**श्री तंगमणि** (मदुरै) : पांच वाइकाउन्ट विमानों में से कितने दुर्घटना के कारण काम में नहीं लाये जा रहे हैं और क्या इनकी संख्या बढ़ाने का विचार है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : एक वाइकाउन्ट दुर्घटनाग्रस्त है। दो यथारूप वर्कशाप में हैं। निगम पुराने विमान खरीदने का विचार कर रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या यात्रियों को अनुसूची में परिवर्तन करने की कोई पूर्व सूचना दी गयी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : समय समय पर उड़ानों के बारे में पूर्व सूचना दी जाती है। तथापि कोलम्बो में हुई दुर्घटना के बारे में जो उड़ानों में कमी की गयी उसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी जा सकी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का वार्षिक प्रतिवेदन

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव (श्री अ० चं० जोशी)** : मैं (१) वर्ष १९६१ के लिये भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग २) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४१४/६१] ।

पुस्तिका "फाइट अगेन्स्ट दि डेजर्ट--प्रोग्रेस आफ वर्क एट सेंट्रल एरिड जोन रिसार्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर"

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं फाइट अगेन्स्ट दी डेजर्ट--प्राग्रेस आफ वर्क एट सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट जोधपुर नामक पुस्तिका की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४०१/६१] ।

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**प्रसैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं श्री राज बहादुर की ओर से कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड और वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड (जिन्हें २ अक्तूबर, १९६१ को एक साथ मिला कर शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड बना दिया गया) की वर्ष १९६०-६१ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४०२/६१] ।

उत्तर प्रदेश धान और चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण आदेश) १९६१

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं श्री अ० मु० थामस की ओर से (४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २८ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१० में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४१५/६१] ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा अपर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

विमान निगम अधिनियम १९५३ की धारा ३७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :--

(एक) वर्ष १९६०-६१ के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४०३/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) वर्ष १९६०–६१ के लिए एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-३४०४/६१]

औद्योगिक रोजगार करने वाले श्रमिकों को बोनस देने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक आयोग और चाय बागान उद्योग कलकत्ता के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों का विवरण

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

औद्योगिक रोजगार करने वाले श्रमिकों को बोनस देने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक आयोग स्थापित करने सम्बन्धी दिनांक ६ दिसम्बर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी-२०(९)/६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-३४१६/६१]

दक्षिण भारत के बारे में अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में चाय बागान उद्योग कलकत्ता के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों का विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४१७/६१]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पन्द्रहवें सत्र में हुई बैठकों का कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फरुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के पन्द्रहवें सत्र में हुई छब्बीसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : मैं याचिका समिति की पन्द्रहवें सत्र में हुई बैठकों (सत्तावनवीं और अट्ठावनवीं) के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा से यह सूचना मिली है :

(१) कि राज्य सभा अपनी ४ दिसम्बर, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २५ नवम्बर, १९६१ को पास किये गये प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९६१ को पारित किये गये उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६१ के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ।

याचिका समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं याचिका समिति का चौदहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

एक-सौ चवालीसवां और एक-सौ छयालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्न प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(१) शिक्षा मंत्रालय—प्रशासन (सचिवालय) सहायतानुदान आदि के बारे में प्राक्कलन समिति के चौअोसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक-सौ चवालीसवां प्रतिवेदन ।

(२) पुनर्वास वित्त प्रशासन के बारे में प्राक्कलन समिति की पचानवेंवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक-सौ छियालसवां प्रतिवेदन ।

याचिका का उपस्थापन

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुजा) : मैं केरल में बेरोजगारी दूर करने के विचार से केरल के नारियल-जटा उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में अम्बालापुजा और शेरटल्लई तालुकों के ८६,००० याचिकाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या २४९ के उत्तर में शुद्धि

श्री रामकृष्ण गुप्त द्वारा लोक-सभा में २५-११-६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि एक विभागीय अधिकारी और ६ बाहरी व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । वास्तविक स्थिति यह है कि २ विभागीय और ५ बाहरी व्यक्ति गिरफ्तार

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था के बारे में वक्तव्य

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: संसद् के पिछले सत्र में दिये गये आश्वासनों के अनुसार में सभा में संघ राज्य क्षेत्रों की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के विषय में एक वक्तव्य देना चाहता हूं ।

प्रारंभ में इन राज्य क्षेत्रों का वर्तमान प्रशान का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं । राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाग ग राज्यों से सम्बन्धित समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत परीक्षा करने के पश्चात् वे इस निश्चय पर पहुंचे कि ये राज्य संवैधानिक, वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं का उचित हल नहीं कर सकते हैं । अतः भाग ग राज्यों को पड़ौस के देशों के साथ मिला दिया जाये । जिन केन्द्र प्रशासित राज्यों की तत्काल विलयन के लिये सिफारिश की गई थी वे हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा थे । मनीपुर के सम्बन्ध में भी आयोग का यह मत था कि उसका अन्ततः आसाम में विलय करना होगा ।

ऐसे केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के लिये, जो अपना पृथक अस्तित्व बनाये रख सकते हैं, आयोग ने यह सिफारिश की है कि ऐसे क्षेत्रों के लिये स्थानीय विधान सभाओं की आवश्यकता नहीं है अपितु संसद् ही इनके लिये विधान बनायेगी । हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा का शासन इन्हीं सिफारिशों के आधार पर हो रहा है । इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में सलाहकार समितियां हैं जिनमें इन क्षेत्रों के संसद् सदस्य भी हैं । इन क्षेत्रों को संसद् में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है । इन क्षेत्रों के लिये प्रादेशिक परिषदें भी स्थापित की गई हैं तथा कई महत्वपूर्ण मामले इन्हें सौंपे गये हैं ।

सरकार का बुनियादी दृष्टिकोण संघ राज्य क्षेत्रों की जनता के प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों का विकास करने का अवसर देना और उनमें यह भावना उत्पन्न करना है कि वे प्रशासन को चलाने में वास्तविक भाग ले रहे हैं । इस दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिये ऐसा प्रतीत हुआ कि विकास सम्बन्धी सारा कार्य क्षेत्रीय परिषदों को हस्तांतरित करना आवश्यक है । इस कार्य में माध्यमिक स्तर के बाद की शिक्षा, सभी चिकित्सा संस्थायें, कृषि पशु पालन सहकारी समितियां, पंचायतें, उद्योग और संभरण, श्रम और रोजगार, सड़कें व इमारतें, सिंचाई और विद्युत् आदि विषय सम्मिलित हैं । यह सूची उदाहरण के तौर पर दी गई है और इसे पूर्ण न समझा जाये और इस बात पर विचार किया जायेगा कि कोई अन्य विभाग हस्तांतरित किया जाये या नहीं किन्तु विधि और व्यवस्था, न्यायदान, राजस्व का प्रशासन, उत्पादन शुल्क और कराधान जैसे कुछ विषयों का इसमें समावेश नहीं किया जा सकता । ये विभाग प्रशासक के दायित्व बने रह सकते हैं ।

सरकार इस प्रस्ताव की भी सावधानीपूर्वक जांच करेगी कि क्या प्रत्येक राज्य क्षेत्र में क्षेत्रीय परिषदों के कार्यपालिका के कृत्यों के करने के लिए एक कार्यपालिका समिति जिसका सभापति क्षेत्रीय परिषद् का सभापति हो गठित की जा सकती है ।

संविधान के पुराने अनुच्छेद २४० के जिसके द्वारा संसद को भाग "ग" राज्यों में विधान मंडलों के निर्माण की शक्ति प्रदान की गई थी, निरसन के परिणामस्वरूप संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे विधान मण्डलों का निर्माण नहीं किया जा सकता जिन्हें पुराने भाग "ग" राज्यों के विधान मण्डलों की शक्तियां दी जा सकें । किन्तु हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या क्षेत्रीय परिषदें राज्य के क्षेत्र में कानून बनाने से सम्बन्धित विषयों के बारे में भारत सरकार को औपचारिक ढंग से परामर्श दे सकती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

सरकार की राय है कि इन प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में उत्पन्न होने वाले संभाव्य प्रश्नों की जांच करके सरकार को शीघ्र प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के लिये एक सरकारी समिति का जिसके सभापति विधि मंत्री होंगे नियुक्त करना आवश्यक है ।

सरकार की उत्कट इच्छा है कि ये नये परिवर्तन यथाशीघ्र किये जायें ताकि सामान्य चुनावों के बाद नये चुने गये प्रतिनिधियों को अपने बढ़े हुए दायित्व को पूरे करने का तथा नई योजना कार्यान्वित करने का पूर्ण अवसर मिले ।

धार्मिक न्यास विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट): मैं प्रस्ताव करता हूं कि धार्मिक न्यास विधेयक, १९६० सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियत समय ३१ मार्च, १९६२ तक और बढ़ा दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि धार्मिक न्यास विधेयक, १९६० सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियय समय ३१ मार्च तक और बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अन्तराष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): अभी हाल में हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा विदेशों के साथ किये गये वचनों के बारे में चर्चा कर रहे थे । आज मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाये ।"

मैंने जब सभा में इस सम्बन्ध में भाषण दिया था तब से लेकर अब तक बहुत से परिवर्तन हो गये हैं । बेलग्रेड सम्मेलन में मैंने भाग लिया, मास्को गया वहां, सोवियत सत्ता के उच्चाधिकारियों से मिला । अभी हाल में मैं अमरीका गया वहां प्रेसीडेंट कैनेडी से भेंट की । उसके बाद मैक्सिको गया । जापान के प्रधान मंत्री भारत आये उनसे यहां बातचीत हुई । आज अर्जेनटाइना के प्रेसीडेंट भी भारत से वापस गये हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

बेलग्रेड तथा मास्को में मेरी क्या बातचीत हुई उसके बारे में बताना ठीक नहीं है क्योंकि वे गोपनीय थीं । बस इतनी सी बात बता सकता हूं कि इन देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सद्भावनापूर्ण हैं । वहां जो बातचीत हुई हैं उनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि उन बातचीत से हमें लाभ हुआ है ।

†मूल अंग्रेजी में

आज की समस्याओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या शांति और युद्ध की है। यह समस्या नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई लड़ाई जल्दी ही होने वाली है फिर भी स्थिति बिगड़ गई है। बर्लिन के प्रश्न आदि के बारे में कुछ सुधार हुआ तो है किन्तु उसकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। शान्ति की समस्या से निःशस्त्रीकरण तथा आणविक परीक्षणों का सारा प्रश्न सम्बन्धित है। बड़े दुर्भाग्य और चिन्ता की बात है कि सोवियत संघ में आणविक परीक्षण पुनः प्रारम्भ किये गये और बाद में एक तरह से चोरी छिपे आणविक परीक्षण अमरीका में भी पुनः आरम्भ किये गये हैं। अब अधिकाधिक लोग यह समझने लगे हैं कि यदि कोई आणविक युद्ध हुआ तो विश्व के सभ्य जीवन की समाप्ति की प्रबल आशंका है। तब भी इन देशों ने परीक्षण पुनः प्रारम्भ कर दिये हैं। हो सकता है कि इसके लिये उनके अपने युद्ध विभागों ने दबाव डाला हो क्योंकि वे देश अधिकाधिक प्रभावी अस्त्र निर्माण करना चाहते हैं। वातावरण लड़ाई की चर्चा से परिपूर्ण हैं, एक प्रकार की युद्ध मनोवृत्ति पैदा की जा रही है। इस प्रकार की स्थिति का सामना करने का एक मात्र उपाय बड़े और व्यापक पैमाने पर निःशस्त्रीकरण है। इस प्रश्न पर विश्व की दोनों बड़ी शक्तियों के बीच आपस में वार्ता होनी चाहिये और जब वे किसी निष्कर्ष पर पहुंच जायें तो यह विषय राष्ट्रमंडल के सामने लाया जाये। ऐसा करने से ही इस दिशा में कुछ प्रगति सुनिश्चित हो सकेगी।

यह निश्चित है कि यदि आणविक युद्ध हुआ तो विनाश पराकाष्टा को पहुंच जायेगा। इसका विस्तार इतना व्यापक होगा कि सभी देशों की संगठित शक्ति समाप्त हो जायेगी। हर देश के सभी संस्थानों जैसे, सैनिक, शिक्षा, सरकारी कार्यालय आदि सभी पर आक्रमण किये जायेंगे। यह स्थिति बड़े बड़े राष्ट्रों की होगी। जब उनका यह हाल होगा तो छोटे छोटे राष्ट्रों की तो बिसात ही क्या है। इस प्रकार के युद्ध में वास्तविक जीत तो क्या होगी हालांकि विशाल सर्वनाश का अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है।

यह एक अहम मामला है। मैं नहीं जानता कि बड़े बड़े राष्ट्र भी क्या इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। जहां तक हमारी बात है हम तो शांति चाहते हैं और युद्ध के विरुद्ध हैं। लेकिन हमारी शक्ति सीमित है। लेकिन सवाल अकेले हमारा नहीं है बल्कि सारे विश्व का मामला है। फिर भी इतना सत्य अवश्य है कि विश्व का कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता।

इस समस्या का एक मात्र हल निःशस्त्रीकरण है और वह भी व्यापक रूप में। आंशिक रूप में निःशस्त्रीकरण इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इसलिये विश्व में यदि शांति रखना है, व्यक्तियों को जीवित रखना है तो यह आवश्यक है कि पूर्ण निःशस्त्रीकरण हो।

सोवियत सरकार ने कुछ व्यापक प्रस्ताव रखे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संकल्प पारित किया है। प्रेसीडेंट कैनेडी ने भी विश्वशांति के लिये स्थूल रूप में कुछ सुझाव दिये हैं। बड़े बड़े व्यक्तियों की राय यही है कि विश्व में शांति हो। अब सवाल यह है कि जब सभी शांति चाहते हैं तो हम एक निर्णय पर क्यों नहीं पहुंच जाते। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र को महत्वपूर्ण कार्य करना है। लेकिन यह भी ठीक है कि अकेले उसके काम करने से भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान तो अमरीका, सोवियत रूस तथा कुछ दूसरे बड़े राष्ट्रों के ऊपर है। और उनका कार्य ही महत्वपूर्ण है। अतः हमारी राय तो यह है कि प्रारम्भिक समझौता इन राष्ट्रों में आपसी बातचीत के द्वारा तै होना चाहिये। जब यह मामला राष्ट्रीय सामान्य सभा में आ जाता है तो कोरे भाषणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो पाता। अतः हमारी राय है कि ये लोग पहले गोपनीय ढंग से बातचीत कर कोई करार कर लें और उसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला उठाये।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दूसरी समस्या दक्षिण पूर्व एशिया, वियतनाम, और लाओस हैं। यहां युद्ध जैसी घटनाएं हो रही हैं। जिनेवा सम्मेलन ने कई कठिनाइयों के बावजूद अच्छा काम किया है। वास्तविक बाधा तो लाओस में ही है। इनका समस्या से एशिया की शांति को खतरा है। चूंकि भारत अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष है अतः इस सम्बन्ध में हमारा कुछ दायित्व भी हो जाता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

जहां तक लाओस का मामला है यह तय हुआ था कि राजकुमार सुवन्नाफूमा को प्रधान मंत्री बनाकर उनके अन्तर्गत एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जायेगी। किन्तु यह सरकार अब तक नहीं बन पाई है। वैसे यह सभी चाहते हैं कि वहां राष्ट्रीय सरकार बने। लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग जानबूझ कर यह प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां राष्ट्रीय सरकार न बने। जहां तक हमारी बात है हम इस में पूरी रुचि ले रहे हैं। जिनेवा सम्मेलन में भी मैंने बड़े बड़े राष्ट्रों से इस बारे में बातचीत की थी।

वियतनाम में स्थिति अधिक नाजुक और कठिन है। दक्षिण वियतनाम की वर्तमान सरकार ने आते ही अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की मान्यता को अस्वीकार कर दिया है। वहां इस आयोग द्वारा काम करने में वहां के प्राधिकारियों ने रुकावटें डाली हैं। लेकिन हमने वहां अपना काम जारी रखा क्योंकि हम जानते हैं कि यदि वहां काम बन्द कर दिया गया तो स्थिति और भी बिगड़ जायेगी। वहां केवल स्थानीय युद्ध ही नहीं हो सकता बल्कि कुछ और भी हो सकता है।

लाओस में भी जब यह आयोग काम कर रहा था तो हमने देखा कि वहां के प्राधिकारी नहीं चाहते थे कि हम काम करें अतः वहां हमने इस आयोग का काम बंद कर दिया। और यह निश्चय किया कि आवश्यकता पड़ने पर फिर वहां काम शुरू किया जा सकता है। आयोग के हटते ही वहां की स्थिति बिगड़ गई लेकिन इसका दायित्व अन्य बातों पर है। मेरा विचार है कि यदि लाओस में आयोग रहता तो वहां की स्थिति अच्छी रहती।

वियतनाम में यह आयोग सीमित रूप में कार्य कर रहा है। वहां हमारे रास्ते में नाना प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं। उन्होंने आयोग की मान्यता को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं।

यह कहा जाता है कि उत्तर वियतनाम की सरकार दक्षिण वियतनाम की सरकार के रास्ते में रुकावट डाल रही है।

उत्तरी वियतनाम की सरकार पर यह आरोप है कि दक्षिण वियतनाम की सरकार के लिये कठिनाइयां पैदा करती रही है। वह कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहियें। वियतनाम में स्थिति अधिक कठिन व नाजुक होने का अनुमान है। इसमें सब से अधिक डर की बात यह है कि किसी भी पक्ष द्वारा कोई बड़ा हस्तक्षेप किया गया तो दूसरा पक्ष भी हस्तक्षेप कर सकता है और इस प्रकार इस संघर्ष का रूप काफी व्यापक हो सकता है। वहां युद्ध से बचने का यही एक साधन है कि ये तटस्थ समझे जांय। उनकी समस्यायें बड़ी जटिल हैं और मेरे लिये उन पर विस्तार से प्रकाश डालना सम्भव नहीं है। इस महत्व की बात का ध्यान रखते हुए ही हमने अपनी कूटनीतिक सेवाओं के एक व्यक्ति को वियतनाम आयोग का सभापति बनाने के

स्वीकृति दी है। अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का सभापति होने के कारण भारत पर इस सम्बन्ध में विशेष दायित्व है। हमने श्री पार्थसारथी को वियतनाम आयोग के सभापति के रूप में भेजा है। उन्हें हमारे देश के एक युवा वकील श्री मुखी सहायता देंगे।

इसके बाद मैं कांगो पर कुछ कहूंगा। मैं इस दिशा में कोई विशेष जानकारी तो नहीं दे सकता। अखबारों में बहुत कुछ आता रहता है, परन्तु इसके बारे में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रसंघ के महा-सचिव ने वहां राष्ट्र संघ के कार्य का विस्तार करने के लिये अनुमति दे दी है। सुरक्षा परिषद् तथा महासभा इस बात पर सहमत हो गई है कि पूरा कांगो एक साथ रहे। कटंगा प्रान्त में राष्ट्र संघ और श्री शोम्बे की सेनाओं के बीच लड़ाई हो रही है। वहां स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। जैसा कि राष्ट्रसंघ के एक अधिकारी डा० ओब्रायन द्वारा आरोप लगाया गया है। यह भी बात है कि जो संकल्प राष्ट्रसंघ द्वारा पारित किये गये हैं वह इसी संगठन के कारण कार्यान्वित नहीं हो सके। राष्ट्रसंघ इस समस्या से विमुख नहीं हो सकता; यदि संघ ने इस समस्या से बचने का प्रयत्न किया तो उसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो जायेगा। और संसार के लोग उसकी बात को गम्भीरता से नहीं लिया करेंगे। अतः शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्या को हर हालत में हल करना होगा। और यदि इस तरह मामला नहीं सुलझ पाता तो शक्ति का भी प्रयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। श्री शोम्बे आज कल फ्रांस इत्यादि में घूम कर संयुक्त राष्ट्र संघ के विरुद्ध साधन एकत्रित कर रहे हैं।

अल्जीरिया में क्या हो रहा है इसके बारे में मेरा कुछ कह सकना सम्भव नहीं। मुझे एक बात इस सम्बन्ध में पता है कि जनरल डी गाल कोई हल शीघ्रातिशीघ्र खोज निकालने के लिये उत्सुक हैं और उन्होंने इस हल के रास्ते में रुकावट बनने वाले उन लोगों के विरुद्ध, जो उनके विद्रोही हैं और फ्रैंच अल्जीरिया के समर्थक हैं, अपनी सरकार का पूरा जोर लगा दिया है।

इसके पश्चात् पुर्तगाली बस्तियों की ओर आता हूं। अंगोला में बहुत ही भयानक अवस्था है और शायद वहां यह स्थिति अभी चलेगी। इसके साथ ही गोआ का प्रश्न सामने आ जाता है। कुछ दिन हुए भारत में कुछ अफ्रीकी दलों के नेताओं ने अपना सम्मेलन किया था। वहां हमने इस समस्या पर उन लोगों के साथ चर्चा की थी। गोआ का जो महत्व है उसे छोड़ भी दिया जाय तो उसकी आजादी का प्रश्न तो जरूरी है ही। और साथ ही इस बात को देखा जाना है कि गत १४ वर्षों से हम गोआ के लोगों को अपनी आंखों के सामने अपमानित होते हुए देखते आये हैं। हमारे प्रति भी पुर्तगालियों का व्यवहार बहुत ही अपमानजनक रहा है।

गोआ के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर हमने गत पन्द्रह वर्षों में अनुकरणीय सहिष्णुता का परिचय दिया है। जैसा कि मैंने कहा है हमें पुर्तगालियों द्वारा बार बार अपमानित किया जाता है। पुर्तगाल की सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाल ही में कई महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं। गोआ में अत्याचार और आतंक का दौर दौरा है और वहां खुल कर दमन किया जा रहा है। जो कुछ वहां किया जा रहा है उससे वहां एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसे हम सहन नहीं कर सकते। हम शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत द्वारा यह मामला हल करना चाहते थे परन्तु पुर्तगाली नीति और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। और अब तो हमें खुली चुनौती भी मिलने लगी है। इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने गोआ के आसपास अपनी सैन्य वृद्धि करने का निर्णय किया है और उसे पूरी तरह कार्यान्वित किया जा रहा है। हम अपने आप को इस योग्य बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किसी समय किसी भी प्रकार की स्थिति का मुकाबला कर सकें। संसार के देश इस स्थिति को देख रहे हैं और कई देशों में इसका उल्लेख भी हो रहा है। मुझे आशा है कि वे देश अपना प्रभाव डाल कर हमारी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सहायता करने को तैयार हैं। हम उनकी सद्भावनाओं और सदिच्छाओं का स्वागत अवश्य करेंगे, किन्तु यह स्पष्ट है कि गोआ की समस्या तभी हल होगी जब कि पुर्तगाली सरकार वहां से हट जाय। इसके अतिरिक्त इस समस्या का कोई और हल हो।

पुर्तगाल नाटो संगठन का सदस्य है और इस बात का वह बहुत ही अनुचित लाभ उठाता रहा है। उसे शस्त्र तथा अन्य सामरिक महत्व का सामान भी मिलता रहा है। हमें यह भी पता है कि पुर्तगाल में हो रही घटनाओं से स्वयं पुर्तगाल के निवासी भी तंग आ रहे हैं। शांता मेरिया नाम के जहाज की कहानी तो सब को पता ही है जिसने समुद्र के बीच में ही विद्रोह कर दिया था। मेरा कहना है कि यह हमारी आदत और परम्परा के विरुद्ध है कि हम शक्ति से काम लें परन्तु हम हालात से मजबूर हो रहे हैं। हालात क्या होंगे और हम क्या करेंगे इस बारे में तुरन्त यहां कुछ कहना असम्भव है।

पांडीचेरी की बातें भी लोग करते हैं? इस सम्बन्ध में मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि फ्रांसीसी सरकार पांडीचेरी को भारत को विधिवत् हस्तान्तरित करने के लिये इस मास कदम उठा रही है। इस दिशा में जो भी संवैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मेरा विश्वास है कि इस दिशा में अब तक जो असंगत स्थिति रही है वह समाप्त हो जायेगी।

एक दो अन्य तथ्य की बातें मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अफ्रीका में कुछ नये राष्ट्रों का अभ्युदय हुआ है। हमने सेनेगल में अपना राजदूत नियुक्त किया है। यह हमारा राजदूत आइवरी कोस्ट और अपर वोल्टा में भी हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। हमारे घाना के उच्च-आयुक्त माली गणराज्य में भी हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। नाइजेरिया के उच्च आयुक्त कोभरोन, रोगोलैंड तथा धोमें में भी हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। ९ दिसम्बर, को टांगानीका भी स्वतन्त्र देश हो जायेगा। भारत इस नवोदित टांगानीका का स्वागत करता है। भारत हमेशा उपनिवेशों की स्वतन्त्रता का स्वागत करता है।

उगांडा को एक मार्च १९६२ को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायेगी। इस के साथ ही पश्चिमी एशिया में भी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। सदन को पता है कि सीरिया संयुक्त अरब गणराज्य से अलग हो गया है। यह बात इस क्षेत्र के लिये बहुत ही महत्व की बात है। अन्य लोगों पर इसका प्रभाव है। इस संदर्भ में मुझे किसी की प्रशंसा अथवा निन्दा नहीं करनी, हमारी तो यही कामना है कि अरब राष्ट्रों की एकता बनी रहे तो अच्छा ही है। यह भी हमारी इच्छा है कि एशिया के देशों का संगठन भी बना ही रहना चाहिये।

कल हमारे यहां मलाया के सर्वोच्च नरेश आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति भी तशरीफ ला रहे हैं। इन महान अतिथियों का हम स्वागत करेंगे, हमें प्रसन्नता है कि वे हमारे देश में तशरीफ ला रहे हैं। मेल मिलाप का आज के संसार में बहुत महत्व है। इस प्रकार देश एक दूसरे के निकट आते हैं और परस्पर बातचीत द्वारा कई समस्यायें हल हो जाती हैं। अरजनटाइना के राष्ट्रपति भारत आये तो भावुक हो उठे। उनका जो स्वागत हुआ उससे वह बहुत ही प्रभावित हुए। उनका भारत में आना बहुत ही लाभदायक रहा है। मेरी अपनी इच्छा भी लैटिन अमरीकी देशों में जाने की है। आशा है कि संसार के इस भाग में भी मुझे जाने का अवश्य अवसर मिलेगा। इस क्षेत्र का भी महत्व दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। उनके समक्ष भी हमारे समान ही आर्थिक विकास की समस्यायें हैं। प्रयत्न किये जा रहे हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का एक संघ बनाया जाये। हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं फिर भी मास हुए यह बात चली थी। इस

संघ को बनाने के प्रस्तोता मलाया, फिलपाइन और थाईलैंड है। विचार है कि देशों का विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर समन्वय बढ़ाया जाये। सैनिक और राजनीतिक मामलों को परे रखा जायेगा। इस प्रकार इस संसार में अच्छे बुरे परिवर्तन हो रहे हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि अणु युद्ध होगा कि नहीं। यदि इस प्रकार का कोई युद्ध हुआ तो संसार तबाह हो जायेगा और कुछ भी अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। केवल परस्पर दुर्भावनाओं का ही निर्माण होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मेरे पास दो संशोधनों के प्रस्ताव आये हैं वे श्री बलराज मधोक, श्री पाटिल तथा श्री आसर की ओर से आये हैं।

श्री बलराज मधोक का स्थानापन्न प्रस्ताव इस प्रकार है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :

यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के बाद, भारत सरकार की चीन, पाकिस्तान और पुर्त्तगाल के बारे में उसकी नीति की असफलता पर खेद प्रकट करती है।"

श्री जगन्नाथ राव का स्थानापन्न प्रस्ताव इस प्रकार है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :

यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के बाद भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करती है।"

मूल प्रस्ताव तथा दोनों स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के सामने हैं। उन पर एक ही साथ विचार किया जायेगा।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : दक्षिण पूर्व एशिया और विशेषरूप से लाओस तथा दक्षिण वियतनाम की गम्भीर स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री ने ठीक ही हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को गठित करना है। आयोग के भारतीय सभापति इस बात को सुनिश्चित करें कि अमरीकी सैनिक दक्षिण वियतनाम में न आयें और इस प्रकार व्यवस्था कर उन्हें वहां की जनता और पड़ौसी राज्यों का विश्वास प्राप्त करना चाहिये। जर्मन प्रजातंत्रवादी जनतंत्र इस समय अस्तित्व में है। उसे मान्यता दी जाये। उसे मान्यता दे कर हम बर्लिन की समस्या को जल्दी हल कर लेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे उसके साथ अधिक निकट आर्थिक तथा अन्य सम्बन्ध होंगे।

मेरे विचार से महत्वपूर्ण समस्या आज अफ़्रीकी राष्ट्रों की है। क्योंकि अफ़्रीका में कांगो स्थित है। आज कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ की परीक्षा हो रही है। हमारे सैनिक संयुक्त राष्ट्र के निदेशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और जो काम वे कर रहे हैं उसका हमें गौरव है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वहां सहयोग की भावना बढ़ाई जाये ताकि उन देशों को शीघ्रातिशीघ्र स्वतंत्र किया जा सके।

मेरा निवेदन यह है कि अल्जीरिया की जनता की सरकार को मान्यता दी जाये। यह कदम उठाने से वहां की जनता को आश्वस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा करने से शान्ति सेना अधिक शक्तिशाली होगी। जो सैनिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध तथा अपनी स्वतन्त्रता

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्रीमती पार्वती कृष्णन्]

के लिये शक्ति संगठित कर रहे हैं उन्हें हम अपना सहयोग प्रदान करें। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र स्वतन्त्र हो रह हैं। इस परिवर्तित स्थिति में राष्ट्रसंघ सचिवालय के पुनर्गठन के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाये।

अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये जायें। हम राष्ट्रमंडल से भी अलग हो लें जो हमारे अफ्रीकी जनता से अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित करने में बाधक सिद्ध हो रहा है। ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार में शामिल हो गया है। उसने आप्रवासी विधेयक काले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के उद्देश्य से लाया है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा राष्ट्रमंडल में रहा आना कोई गौरव की बात नहीं है।

प्रधान मंत्री ने आणविक परीक्षणों और उनसे होने वाली हानि का भी उल्लेख किया है। यह ठीक है कि इससे विशाल एवं व्यापक हानि होगी।

गोआ को मुक्त कराना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इस विषय में अधिक साहसपूर्ण नीति अपनाएं। पुर्तगाली सरकार का हमारे प्रति रवैया अच्छा नहीं रहा है। आशा है कि गोआ को मुक्त कराने के मामले में प्रधान मंत्री को प्रत्येक नागरिक का पूरा पूरा समर्थन प्राप्त होगा।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची-पूर्व): मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात को समझ ले कि चीनियों से केवल एक ही शर्त पर बातचीत हो सकती है––चाहे यह मित्रता संधि के सम्बन्ध में हो या अन्य किसी सम्बन्ध में––और वह यह है कि हमारे राज्य क्षेत्र से निकल जायें। उस समय तक कोई समझौता––वार्ता न हो जब तक कि विदेशी चौकियां हटा न ली जायें।

जहां तक गोआ का सम्बन्ध है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति पुर्त्तगाली साम्राज्यवाद का वहां अंत देखना चाहता है। परन्तु सवाल इस समय प्राथमिकता का है। अर्थात् यह है कि क्या पहले गोआ को मुक्त कराया जाये या अपनी भूमि पर चीन के अतिक्रमण का सामना किया जाये। इस समय स्थिति यह है कि यदि हिमालय के सीमान्त से व्यक्तियों को और सामान को हटा कर दूसरी ओर लगाया गया तो हमारे देश को अधिक खतरा उत्पन्न हो जायेगा जिसे हमें टालना चाहिये। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि यदि हम गोआ में सैनिक कार्यवाही में लग गये तो हिमालय की सीमा, काश्मीर सीमान्त या नागालैण्ड सीमान्त भड़क न उठेंगी। गोआ में कार्यवाही करने में त्रुटियां रह सकती हैं तथा ऐसी कल्पना का कर लेना बुद्धिमता का काम नहीं है कि बड़े पैमाने पर रक्तपात नहीं होगा। प्रधान मंत्री उन परामर्शदाताओं के कहने में न आयें जिनका चीन में अपने साथियों के प्रति निजी स्वार्थ है।

देश में ऐसी भावना है कि सत्तारूढ़ दल कई वर्षों की कमजोर नीति के बाद अपनी शक्ति का सामान्य चुनाओं से पहले प्रदर्शन करना चाहता है। अतः प्रधान मंत्री यह आश्वासन दें कि चुनाओं के समाप्त होने तक पुर्त्तगालियों के अतिक्रमण को दूर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता।

मेरा सुझाव है कि हमें अपने सीमान्त का, चाहे वह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हो, पूरा अध्ययन करना चाहिये। साथ ही विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे क्या सम्बन्ध हैं इस बारे में भी अच्छी तरह विचार करना चाहिये। हमें किसी दूसरे द्वारा उकसाने में नहीं आना चाहिये। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि सब से पहले हमें विदेशियों को जो पिछले ५ वर्षों में हमारे यहां आ गये हैं उन्हें अपने देश से बाहर निकाल देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) जहां तक गोआ का सम्बन्ध है, हमें व्यापार बन्द करने के इलावा कुछ और ठोस कदम उठाने चाहिए। यदि प्रधान मंत्री गोआ के विरुद्ध कार्यवाही करें, तो सारा राष्ट्र उनका स्वागत करेगा। परन्तु यह कार्यवाही तुरन्त होनी चाहिए और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। यदि ब्रिटेन और अन्य देश हमारी आलोचना करते हैं, तो हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। सैनिक कार्यवाही की औचित्य सम्बधी इस से अधिक सुदृढ़ दलील और नहीं हो सकती, कि ५ लाख गोआ निवासी भारतीय नागरिक सहायता की पुकार कर रहे हैं।

बेलग्रेड सम्मेलन ने विश्व के सम्मुख मुख्य समस्याओं के प्रति अपेक्षित साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन नहीं किया।

हमें यह सुन कर हर्ष हुआ है कि प्रधान मंत्री के रूस और अमेरिका के दौरे सफल रहे हैं। किन्तु हमें यह मालम नहीं हुआ कि वहां वास्तव में क्या हुआ? क्या उन्होंने श्री खुरुश्चेव से चीन के रवैये के बारे में बात चीत की थी और क्या श्री केनेडी के साथ गोआ के बारे में बातचीत हुई थी।

जहां तक कांगो का संबंध है हम सरकार के राष्ट्रसंघ को सुदृढ़ बनाने के रवैये का समर्थन करते हैं। किन्तु यदि 'त्रिमूर्ति' (ट्रायका) का सिद्धांत अपनाया गया, तो इस से राष्ट्र संघ कमज़ोर हो जायेगा। हम चाहते हैं कि इसका प्राधिकार सारे संसार में बना रहे।

जहां तक अल्जीरिया का सम्बन्ध है, हम नहीं समझ सके कि प्रधान मंत्री एफ० एल० एन० सरकार को मान्यता देने में क्यों हिचकिचा रहे हैं और कौन सी बात उन्हें ऐसा करने से रोक रही है।

चीन के मामले में हम प्रधान मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि उस के साथ संधि करने से हम तब तक इन्कार करते रहेंगे जब तक कि वह हमारे राज्य क्षेत्र से निकल नहीं जाता। इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम तो चीन को विरोध पत्र आदि भेजते रहते हैं, वे हमारे क्षेत्र में सैनिक चौकियां स्थापित करते जाते हैं। जब वे हमारे देश पर अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उन के साथ समझौता-वार्ता करते रहना कहां तक बुद्धिमतापूर्ण है। हम चीन से युद्ध नहीं चाहते, परन्तु अतिक्रमण का मुकाबला करना सरकार का पवित्र कर्तव्य है। भारत सरकार चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हम तैयार नहीं हैं। क्या ऐसा कहना चीनियों को अतिक्रमण करने से रोक देगा। ऐसा कहने से उनका उत्साह और भी बढ़ेगा।

तिब्बत को बिना किसी विरोध के चीनियों के हवाले कर दिया गया था, यद्यपि तिब्बत की सदा यह आशा रही है कि भारत उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। तिब्बत की स्वतंत्रता की रक्षा करने से इन्कार करने से हम ने अपने देश की सुरक्षा को कमज़ोर किया है।

प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि उन के विरुद्ध तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया जाता है। इस सम्बबन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि ३१ अक्तूबर को सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सुरियाह को चीनियों ने अप्रैल, १९६० में और दौलत बेग ओलडी पर कब्ज़ा कर लिया था, किन्तु नवम्बर १९६१ तक हमें इस के बारे में कुछ नहीं बताया गया। पहले तथ्य को १८ महीनों तक और दूसरे को १३ महीनों तक छुपाये रखा गया।

अब समय आ गया हैं कि चीनियों को चेतावनी दे दी जाये और उन के साथ बात चीत करने का सुझाव ठुकरा दिया जाये। और उन से क्षतिपूर्ति के लिए कहा जाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मुझे आश्चर्य हुआ है कि विरोधी पक्ष के तीन सदस्यों के भाषण, जो अब तक हो चुके हैं, स्वतंत्र भारत की आत्मा के अनुकल नहीं हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री नाथ **पाई** का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि हम चीनी अतिक्रमणों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या उन्हें यह मालूम नहीं है कि प्रधान मंत्री सदा यह कहते रहे हैं कि हम इस तरह से, शान्तिपूर्ण वार्ता द्वारा, राजनयिक साधनों द्वारा और यदि हम पर युद्ध ठोंसा गया तो युद्ध द्वारा भी अपनी प्रभुसत्ता और देश की रक्षा करेंगे। हम तैयारी करते रहे हैं। सैनिक चौकियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं और अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध की तैयारी भी हो रही है ।

मेरे विचार में हमारे प्रधान मंत्री नहीं बल्कि वे लोग जो सरकार को कमज़ोर बता कर उसे बदनाम करते हैं, वही चीनियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। वे लोग जो सरकार को दोष देते हैं कि वह अतिक्रमणों को बन्द नहीं करा सकी, वही चीनियों की सहायता कर रहे हैं। याद रखना चाहिए कि अतिक्रमणों का मुकाबला सैनिक नीति और सैनिक उपायों द्वारा ही किया जा सकता है और यह समस्या सेना और विमान बल पर ही छोड़ देनी चाहिए। हमारा देश चीनियों के लिए उपयुक्त समय पर नहीं, बल्कि अपने लिये उपयुक्त समय पर चीनी आक्रमण का मुकाबला करेगा ।

जहां तक पुर्तगाली साम्राज्यवाद का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, कि पुर्तगाली सरकार भारत की भूमि पर नहीं रह सकती । मेरे विचार में गोआ को स्वतंत्र कराने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। कार्यवाही कब शुरू करनी चाहिए। इसका निर्णय उन लोगों ने करना है, जिन्हें युद्ध की तैयारी का ज्ञान हैं।

हमारे राष्ट्र संघ के प्रतिनिधिमंडल, ने श्री कृष्ण मेनन के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपना प्रभाव डाला है ।

राष्ट्र मंडल के साथ सम्बन्ध बनाये रखना हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत से देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध कायम कर सकते हैं।

बेलग्रेड सम्मेलन में राष्ट्रीय समस्याओं पर भले ही अधिक विचार किया गया हो, फिर भी इस के द्वारा विश्व शांति के उद्देश्य को समर्थन प्राप्त हुआ है ।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : मैं चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद का केन्द्र मास्को की बजाय पीकिंग में हो।। चीन यदि युद्ध को अनिवार्य मानता है, तो इसका अर्थ रूस और अमेरिका से लड़ना है ।

यदि भारत चीन युद्ध छिड़ गया, तो राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से दोनों की हार होगी। अमेरिका और रूस ऐसी हालत में विरोधी पक्षों में सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि उन के ऐसा करने से यह अणु युद्ध हो जायेगा, जिस से सारे विश्व का अन्त हो सकता है । भारत चीन युद्ध से सारे विश्व में युद्ध तो नहीं छिड़ेगा, केवल अफ्रीकी एशियाई भू–खण्ड पर श्वेत जातियों की सरदारी जम जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भविष्य में क्या स्थिति होगी, इसका निर्णय, भारत-चीन युद्ध से नहीं बल्कि रूस और चीन के युद्ध से होगा, जो कि विश्व के इतिहास में सब से अधिक घोर युद्ध होगा ।

मेरा मत यह है कि जब तक अमरीका और रूस में संघर्ष चल रहा है तब तक रूस में तानाशाही चलेगी। एक अन्य बात भी है वह यह कि स्टालिनवाद केवल रूस तक अथवा साम्यवादी संसार तक ही सीमित नहीं है प्रत्युत स्वतंत्र संसार में भी इसका प्रभाव है । स्टालिनवादी निशस्त्रीकरण, शांति, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के विरोधी हैं । यह लोग हर कीमत पर अमरीका को संसार की भारी शक्ति बनाना चाहते हैं। इनकी यह भी इच्छा है कि नाटों को समाप्त कर संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाया जाय। अतः मैं तो स्टालिनवाद का समर्थन कर नहीं सकता ।

निस्शस्त्रीकरण का कार्यक्रम तो तब ही सफल हो सकता है यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विश्व सरकार के रूप में स्वीकार कर लें। और ऐसा करने के बाद भी वर्गहीन समाज का निर्माण करने में शताब्दियां लग जायेंगी। ऐसा होने पर भी कुछ एक खतरनाक हथियारों को नष्ट किया जा सकता है । रूस और जर्मनी की मैत्री भी उस दिशा की ओर एक कदम होगी । मेरा मत तो यह है कि यदि भारत और चीन लड़े नहीं तो ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के निकट नहीं आ सकती और भारत और चीन की शक्ति को कम नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं यह चाहता हूं कि चीन के आक्रमण आगे न बढ़े। परन्तु केवल बात चीत से ही यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। निस्शस्त्रीकरण से यह समस्या हल हो सकती है, अथवा तब हो सकती है जब कि प्रतिरक्षा विभाग संयुक्त राष्ट्र संघ के पास चला जाय। परन्तु भारत ने निस्शस्त्रीकरण कर दिया तो अमरीका और रूस कभी भी निकट नहीं आ पायेंगे । यदि सब राज्य अपना अपना प्रतिरक्षा विभाग संयुक्त राष्ट्र को सौंप दें तो युद्ध प्रायः असम्भव हो जायेगा ।

†**श्री बलराज मधोक** (नयी दिल्ली) : आक्रमण को आक्रमण कहना चाहिए चाहे यह चीन की ओर से हो और चाहे पाकिस्तान की ओर से। कुछ भी हो उसका मुकाबिला किया ही जाना चाहिए। मैं यह भी स्वीकार नहीं करता कि गोआ के मामले में हम प्रतीक्षा कर सकते थे। काश कि आज सरदार पटेल होते तो यह गोआ वाला छोटा सा काम वह मिनटों में कर डालते। कुछ भी हो इस बात पर कहीं भी दो राये नहीं हैं कि पुर्तगाली अत्याचार को तो समाप्त ही किया जाना चाहिए ।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्रधान मंत्री महोदय ने बहुत सी बातें की हैं । युद्ध और शांति का उल्लेख किया है। सत्य है कि यदि आज युद्ध आरम्भ हो गया तो कोई देश उस से बच नहीं सकता। प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्हें इस बात की बहुत चिन्ता है कि निस्शस्त्रीकरण संसार में सफल नहीं हो रहा है । मेरा निवेदन है कि हमें देश की विदेशनीति का निर्धारण करते समय शाब्दिक बातो में न आकर ठोस वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। मेरा मत है कि इस समय देश की विदेशनीति का निर्माण करने और इस दिशा में अन्तिम निर्णय करते समय हमें अपने पड़ौसी देशों चीन और पाकिस्तान से चल रहे अमैत्रीपूर्ण संबंधों का ध्यान रखना होगा ।

चीन और भारत के बीच तिब्बत एक मित्र देश था। चीन ने जब तिब्बत पर आक्रमण किया तो हम देखते रहे और हम ने कुछ भी हस्तक्षेप न किया। यह बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। हम ने तो इस के विपरीत तिब्बत के प्रश्न पर चीन के एक संधि पर हस्ताक्षर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बलराम मधोक]

किये। वर्तमान संकट उस संधि का प्रत्यक्ष परिणाम है। हम पंचशील की पुकार करते रहे और चीन तिब्बत को खा गया इस लिए मेरा यह मत है कि चीन के बारे में हमें जो मजबूत नीति अपनानी चाहिए थी उतनी हमने अपनाई नहीं। प्रधान मंत्री का यह कथन कि लद्दाख एक बंजर क्षेत्र है, ठीक नहीं है। यह तो एक बहुत सुन्दर रमणीक और उपजाऊ क्षेत्र है। मेरा विचार है कि यहां आकर प्रधान मंत्री का नेतृत्व असफल हो गया है। मेरा निवेदन है कि लद्दाख के महत्व को कम करने के स्थान पर उन्हें चीनियों को वहां से हटाने के लिए सक्रिय प्रयास करना चाहिए। सदा हानि पहुंचाता रहा है। पाकिस्तान भी उसे भारत के विरुद्ध उकसा रहा है। अन्त में मैं यह कहूंगा कि विदेश नीति का निर्धारण देश के हितों का ध्यान रख कर ही किया जा सकता है। हम चारों ओर से ऐसी शक्तियों से घिरे हुए हैं जो कि भारत के प्रति मैत्री पूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं। केवल कोरिया, अल्जीरिया इत्यादि की बातें करने से विदेश नीति सफल नहीं हो सकती। यदि तिब्बत चीन और पाकिस्तान में हुई घटनाओं को देखें तो प्रधान मंत्री की विदेश नीति को सफल नहीं कहा जा सकता।

जब तक भारत एक सुदृढ़ नीति का अनुसरण करते हुये चीनी अतिक्रमण का सामना करने के लिये उठ खड़ा नहीं होता, वह देश के दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे छोटे देशों को हड़प कर जायेगा। स्थिति की आवश्यकता है कि हम चीन से पंचशील संधि का नवीकरण न करें, हमें अपने तौर पर तिब्बत को उसके आत्म निर्णय के अधिकार को स्वीकार कर लेना चाहिये। लद्दाख की प्रतिरक्षा के लिए यह जरूरी है कि हम मनाली से लाहौल और वहां से लद्दाख तक सड़क बनायें। श्रीनगर-लेह की सड़क हमारे लिये कोई अधिक लाभप्रद नहीं है।

काश्मीर की स्थिति खतरनाक होती जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी संख्या पूंछ राजौरी खण्ड में आ घुसी है और वहां गुप्तचरों का क्रियाकलाप बहुत अधिक बढ़ गया है तथा हमें उस दिशा में पग उठाने होंगें। जब तक हम जम्मू व काश्मीर को शेष भारत से एकीकरण नहीं करते उस राज्य को जिस खतरे का सामना है, वह वास्तविक रूप धारण कर लेगा। तथा उस क्षेत्र में अतिक्रमण की सम्भावना हो सकती है। हमें समझ लेना चाहिये कि जब तक उस राज्य का पृथक अस्तित्व है, वह देश हमारे प्रति मित्रता का व्यवहार नहीं अपनाएगा।

हमें प्रत्येक समय यही समझना चाहिये कि पाकिस्तान से भारत की मित्रता की आशा कभी नहीं हो सकती।

गोआ का खतरा भी बहुत बड़ा खतरा है। यद्यपि छोटा सा क्षेत्र है परन्तु पुर्तगाल साम्राज्य की बस्ती होने के कारण भारत के हितों को।

†**श्री दिनेश सिंह** (बन्दा): आज भी अणु शस्त्रों से संसार को तबाह करने का प्रयत्न हो रहा है। यदि हमने पूर्ण रूप से संगठित होकर इस खतरे का मुकाबला न किया तो संसार तबाह हो जायेगा। इस आणविक युद्ध से विनाश का जो संकट संसार पर मंडरा रहा है उसे देखते हुए शान्ति स्थापित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है और वह तटस्थता और दूसरों के कार्यों में दखल न देना, जो हमारी विदेश नीति के लक्ष्य है, इन बातों से ही साध्य हो सकते हैं। चीन ने जो आक्रमण किया है उसके सम्बन्ध में हम जल्दबाजी का कोई काम नहीं कर सकते और न हमें करना ही चाहिये। हम उस देश के साथ युद्ध नहीं कर सकते जैसा कि सुझाव दिया गया है। हमारे लिये एक ही रास्ता रह गया है और वह है अपनी शक्ति बढ़ाने का।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह कहना गलत है कि भारत ने तिब्बत, जिस पर भारत का महाधिपत्य था, चीन को दे दिया है हमारी उत्तरी सीमाओं पर जो कुछ भी हो रहा है उसके होते हुए भी हम गोआ में हो रही घटनाओं के बारे में उपेक्षा का बर्ताव नहीं कर सकते। गोआ सीमा पर यदि हम ने सेनायें भेजी हैं तो ऐसा करना आक्रमण के तुल्य नहीं है, पुर्तगाली अब अधिक उद्दण्ड हो गये हैं और उन्होंने हमारी सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण आरम्भ कर दिया है। हमें वहां अपनी जनता की रक्षा करनी चाहिये।

कटंगा में हमारी सेनाओं ने यह अच्छा कार्य किया है, किन्तु राष्ट्र संघ को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि हमारे सैनिकों को बलि का बकरा न बनाया जाये। हमें अफ्रीका की जनता की सहायता करनी चाहिये जो स्वतंत्र होने के लिये संघर्ष कर रही है। हमें अल्जीरिया की अस्थायी सरकार को पूर्ण मान्यता देनी चाहिये। इस मामले की कानूनी कठिनाइयों की हमें अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, भारत सरकार द्वारा कांगो में अपनी फौजों और जवानों को भेज कर, वहां की जनता की आजादी के लिये जो कुछ किया जा रहा है, उसका स्वागत करता हूं। बार बार सदन में और बाहर भी कभी कभी ऐसी बात कही जाती है कि चूंकि हिन्दुस्तान के सामने चीन का मसला है इसलिये हिन्दुस्तान को अफ्रीका की, और खास तौर पर कांगो की, कोई सहायता नहीं करनी चाहिये थी, अपनी फौज भेज कर।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के ऊपर यह जिम्मेदारी है, और अपने तरीके से हिन्दुस्तान की सरकार ने उस को पूरा करने की कोशिश की है, कि कांगो में जो सहायता वह कर सकती हो, उसे करे, और मैं उस की इस बात का स्वागत करता हूं।

इसी सन्दर्भ में स्वतन्त्र पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं के द्वारा जो कुछ हम गोआ में करने जा रहे हैं, जो उस का जिक्र किया गया और कहा गया है कि इस तरह से हम चीन से मिलने वाली सीमा पर अपनी ताकत कम कर रहे हैं, मैं उस के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि चीन से हम को सुलझने की जरूरत है, और जल्दी ही उससे सुलझना चाहिये लेकिन उस का बहाना बना कर हम अपने देश की छाती पर गोआ में साम्राज्यवाद के बने रहने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितनी जल्दी हम उस को अपनी फौज के द्वारा या अन्य तरीकों से खत्म कर सकें, उस का स्वागत किया जाना चाहिये। मैं उस का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार के रास्ते में कोई ऐसी रुकावट नहीं आयेगी और जल्दी ही हमें यह शुभ सन्देश सुनने को मिलेगा कि गोआ आजाद है और पुर्तगाल की कोई भी निशानी हिन्दुस्तान में बाकी नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि पहली दफा जब यहां हमारी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी तब से ले कर अब तक प्रधान मंत्री के जो भी भाषण हुए हैं, खास तौर पर बेलग्रेड सम्मेलन में, उन में उन्होंने जो जोर दिया है दुनियां की समस्याओं के ऊपर, वह हिन्दुस्तान की अपनी परम्पराओं को देखते हुए, और खास तौर से अफ्रीकी राष्ट्रों की आजादी का जो सवाल है, उस को देखते हुए, सही नहीं है। प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि वे दुनियां में सब से ज्यादा महत्व देते हैं शान्ति कायम रखने को। मैं समझता हूं कि इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि दुनियां में शान्ति कायम रहनी चाहिये। तो सवाल यह है कि दुनिया में एक तरफ शान्ति कायम रखने की बात है और दूसरी तरफ दुनिया में कुछ जगहों से गुलामी को खत्म करने की बात है,

[श्री ब्रजराज सिंह]

इनमें से अधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की आत्मा यह कहती है कि शान्ति तो कायम रखनी चाहिये लेकिन पहले महत्व है दुनिया से गुलामी को खत्म करने का। लेकिन अगर हम शान्ति कायम रखने के प्रश्न को ही अधिक महत्व दें और इसी को लेकर चलें तो इसके मानी यह होंगे कि अल्जीरिया में जहां गुलामी को खत्म करने के प्रयास में ६ लाख राष्ट्रवादी मारे जा चुके है वहां पर वे लोग अपने हथियार डाल दें और शांन्ति भंग करने की कोई चीज न करें। लेकिन ऐसा करने से उनकी आजादी खतरे में पड़ जाती है;।

अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रों के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे अपनी आजादी प्राप्त करने के लिये हथियार उठायें। तो ऐसी अवस्था में शान्ति पर सबसे ज्यादा जोर देने का अर्थ यह होता है कि इन देशों में गुलामी बनी रहे। इसका यह भी अर्थ होगा कि चीन ने जो हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है उसको वैसे ही बना रहने दिया जाए।

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में रूस के प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव ने हमसे आगे बढ़ कर एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि शान्ति कायम रखना तो ठीक है लेकिन उसके पहले दुनिया से गुलामी खत्म करने की जरूरत है। मैं चाहता था कि यह बात हमारे प्रधान मंत्री द्वारा कही गई होती तो उनके अब तक के अपने जीवन के साथ न्याय होता और हिन्दुस्तान की परम्पराओं के साथ भी न्याय होता। लेकिन मैं देखता हूं कि आज भी हमारे प्रधान मंत्री महोदय कहते हैं कि दुनिया में सबसे आवश्यक चीज है शान्ति को कायम रखना। यह आवश्यक हो सकता है, लेकिन उसके पहले अधिक आवश्यक चीज है दुनिया से गुलामी को खत्म करना। जब तक यह नहीं होता तब तक दुनिया में शान्ति कायम नहीं हो सकती। इस गुलामी को कायम रखने में कुछ लोगों के निहित स्वार्थ हैं जब तक उन निहित स्वार्थों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक दुनिया से गुलामी खत्म नहीं हो सकती और अगर वे अपने आप नहीं हटते तो उनको लड़ाई लड़ कर हटाना होगा। और मैं समझता हूं कि अफ्रीका के देशों के लिये ऐसा करना जरूरी हो गया है।

इसी संदर्भ में मैं अनुभव करता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार को अल्जीरिया की राष्ट्रवादी सरकार को, जो वहां के लोगों की विधिवत् स्थापित वास्तविक सरकार है, पूरी मान्यता देनी चाहिये। अब अधिक समय तक यह बात नहीं कही जानी चाहिये कि हमने उसको डि फैक्टो मान्यता दे दी है और डि ज्यूरे मान्यता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि कानूनी मान्यता का भी अपना महत्व है और हिन्दुस्तान की सरकार को उसमें ज्यादा देर न करके अल्जीरिया की सरकार को पूर्ण मान्यता दे देनी चाहिये।

इसी के साथ साथ मैं अफ्रीका के उन राष्ट्रों के लिये अपनी और हिन्दुस्तान की जनता की सद्भावनाएं भेजना चाहता हूं जो जल्दी ही आजाद होने वाले हैं। ये राष्ट्र है टैंगेनाइका और युगेंडा। इनमें से टैंगेनाइका तो आगामी दो दिनों में आजाद होने वाला है और युगांडा कुछ समय बाद आजाद हो जाएगा। इस के साथ मैं आशा करता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार अपने प्रभाव को, फौजी प्रभाव को नही वरन् नैतिक प्रभाव को इस्तेमाल करेगी ताकि अफ्रीका के सभी राष्ट्रों को आजादी मिल जाए और अफ्रीका से गुलामी का निशान खत्म हो जाए। मैं समझता हूं कि यह हमारी परम्पराओं के अनुसार होगा और मैं समझता हूं कि दुनिया से गुलामी के खत्म हो जाने से हमको अपने शान्ति कायम रखने के उद्देश्य में भी बड़ी मदद मिलेगी।

मैंने इस सदन में एक बात की पहले कई बार चर्चा की है और उसको मैं आज फिर दुहराना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि आज की दुनिया में दोनों गुटों के बीच में किसी तीसरी

शक्ति के निर्माण की बात उचित नहीं हो सकती। लेकिन मैं फिर अपनी बात पर जोर देना चाहता हूं, कि अगर हमको दुनिया में शान्ति कायम रखनी है, दुनिया से गुलामी को खत्म करना है, जो न्यूकलियर परीक्षण हो रहे हैं उनको बन्द करना है, तो सम्भवतः ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अमरीका और रूस के बीच में हम एक ऐसी तीसरी शक्ति का निर्माण न कर लें जिसका उद्देश्य होगा दुनिया से लड़ाई को खत्म करना और किसी भी शक्ल में किसी लड़ाई में शामिल न होना। मैं यह मानता हूं कि दुनिया में ऐसी किसी तीसरी शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता जो इन दो गुटों के बराबर की हो या जिसमें उनसे लड़ने की सामर्थ्य हो और जो उनसे लड़ने को तैयार हो। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर दुनिया में शान्ति कायम रखने की सच्ची भावना का उदय करना है तो वह तब तक नहीं हो सकता जब तक ऐसी तीसरी शक्ति का निर्माण न किया जाए। मैं समझता हूं कि दुनिया के राष्ट्रों का बहुमत ऐसा है जो लड़ाई नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि दुनिया की जनता का स्पष्ट बहुमत ऐसा है जो लड़ाई नहीं चाहता। उन राष्ट्रों की जनता भी जो कि आज न्यूकलियर टैस्ट कर रहे हैं और जिनमें हथियार बाजी चल रही है दुनिया में लड़ाई नहीं चाहते। दुनिया में तब तक शान्ति कायम नहीं हो सकती जब तक कि उन राष्ट्रों की एक तृतीय शक्ति का संगठन नहीं किया जाता जो इन दो गुटों से सम्बन्धित नहीं है। यह तृतीय शक्ति शान्ति का गुट होगा जो कि इस तरह की घोषणा करे कि उसका उद्देश्य किसी से लड़ना नहीं होगा, वह न अमरीका के और न रूस के गुट से लड़ेगा, बल्कि उसका काम दुनिया में शान्ति कायम रखना होगा, और यह गुट यह स्पष्ट घोषणा करेगा कि दुनिया में लड़ाई होने पर वह किसी का साथ नहीं देगा। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री इस प्रकार की तृतीय शक्ति के निर्माण का काम कर सकते हैं जिसमें एशिया के सारे मुल्क, चीन को छोड़ कर, और अफ्रीका के मुल्क होने चाहिये। मैं समझता हूं कि लैटिन अमरीका के मुल्क और कुछ यूरोप के मुल्क भी चाह सकते हैं कि इस प्रकार का एक संगठन बने जो स्पष्ट घोषणा करे कि हम दुनिया में लड़ाई नहीं होने देंगे दुनिया से लड़ाई का खात्मा करेंगे और जो भी लड़ाई करेगा उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा संगठन कायम किया जा सके तो शान्ति के पक्ष में दुनिया की जनता में विश्वास फैलेगा। यह दुनिया के राष्ट्रों के बहुमत का संगठन होगा और इसके जोर देने पर दुनिया से लड़ाई का खात्मा हो सकेगा। और इस संगठन के बनने के उस उद्देश्य को पूरा करने में सफलता मिलेगी जिसकी तरफ बार बार हमारे प्रधान मंत्री ध्यान दिलाते हैं।

अगर दुनिया में न्यूकलियर टैस्टों को खत्म करना है तो यह तभी हो सकता है जब अमेरिका और रूस इसके लिए तैयार हों। मैं मानता हूं कि आज की परिस्थितियों में ये दोनों सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं और उनको जबरदस्ती इस के लिए तैयार नहीं किया जा सकता कि वे न्यूकलियर टैस्ट बन्द कर दें। लेकिन अगर उनको यह पता लगेगा कि उनके अलावा दुनिया के राष्ट्रों का बहुमत ऐसा है जो चाहता है कि हथियार बाजी और न्यूकलियर टैस्ट बन्द हों, जो चाहता है कि दुनिया में निःशस्त्रीकरण हो और लड़ाई न हो, तो उनको भी मजबूर होना पड़ेगा निःशस्त्रीकरण के लिए और न्यूकलियर टैस्ट बन्द करने के लिए और यह घोषणा करनी पड़ेगी कि दुनिया की समस्यायों को वे लड़ाई से हल नहीं करेंगे।

मैं समझता हूं कि इस काम को करने में हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। हिन्दुस्तान की अब तक की जो नीति रही है उसमें वह इस भूमिका को अदा करने में असफल रहा है। मैं कामना करता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस भूमिका को अदा करने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं।

अन्त में मैं आपकी आज्ञा से एक दो बात और कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री महोदय ने उस दिन चीन संबंधी बहस का जवाब देते हुए कहा था कि हम लोगों ने उन पर इस बात के लिये

[श्री ब्रजराज सिंह]

आरोप लगाए हैं कि उन्होंने सदन से सूचनाएं छिपायी हैं, देश को चीनी अतिक्रमण के संबंध में सूचनाएं नहीं दीं। मैं उनका ध्यान उनके उस भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि उन्होंने मेरे २० नवम्बर के काम रोको प्रस्ताव पर बोलते हुए दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि चौकियां कब बनीं इसके बारे में निश्चित तिथि बताना कठिन है। और उसके बाद वह आगे जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ३१ अक्तूबर के हमारे अपने नोट में जो हमने चीनी गवर्नमेन्ट को भेजा है प्रधान मंत्री महोदय का यह बयान है और लोक-सभा में कहा गया कि--विद इन ए फ्यू वीक्स--अगर यह महीनों की बात थी तो इसको--फ्यू वीक्स--न कह कर--फ्यू मन्थस--कहना चाहिए था। जब वह--फ्यू वीक्स--कहते हैं तो हमारे जैसे लोग जो कि कम अंग्रेजी पढ़े हैं या हिन्दुस्तान की जनता यही अर्थ लगाएगी कि यह काम हफ्तों में हुआ होगा महीनों में नहीं। लेकिन जो प्रोटेस्ट नोट भेजा गया था ३१ अक्तूबर को उसमें कहा गया था कि वह कार्रवाई १२--१८ महीनों से चल रही थी और जो चैक पोस्ट चीनी लोगों ने बनाए वे वीक्स में नहीं महीनों में बनाए गए थे क्योंकि उसमें आटम कहा गया है। तो ऐसी सूरत में उन्होंने बड़ी भावात्मक तेजी से कहा कि हम लोगों ने उन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने सदन से सूचनाएं छिपायीं। यह खुशी की बात है कि वह सदन से सूचना नहीं छिपाना चाहते और जनतंत्रवादी मुल्क में सूचनाएं छिपानी भी नहीं चाहिए। हम यह जानने की कभी कोशिश नहीं करना चाहते कि चीनी हमले को हटाने के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं। हमको तो संतोष हो जाता अगर आप इस तरह की घोषणा कर देते कि हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए। हम यह नहीं जानना चाहते थे कि आपने कहां सड़कें बनायी हैं या आपके पोस्ट कहां-कहां हैं क्योंकि इससे दुश्मन को फायदा हो सकता था। लेकिन अगर कोई हमारी भूमि पर अतिक्रमण करता है और हमारे प्रदेश में घुस आता है तो उसकी सूचना हमको दी जानी चाहिए और अगर उसके संबंध में कोई सवाल किए जाते हैं तो यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हम उन पर कोई लांछन लगाते हैं। हां लांछन लगाने की बात हो सकती है और उसके लिए हिन्दुस्तान की जनता लांछन लगाएगी वह इसलिए कि आक्रमण को रोकने की और उसको हटाने की घोषणा सरकार की ओर से होनी चाहिए। वह हटाया जाएगा यह ठीक है, लेकिन यह कहना कि सदन से सूचना नहीं छिपायी गयी सही नहीं है। प्रधान मंत्री महोदय इस गलत फहमी में न पड़ें कि हमने बिना किसी आधार के कुछ कहा है। हमने उनके बयानों से ही यह बात निकाली है। इसलिए यह नहीं कहा जाना चाहिए कि हमने किसी गलत फहमी के कारण या जानबूझ कर अपनी तरफ से कोई बात कही है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। उस दिन जब उनसे त्यागपत्र देने को कहा गया था तो उन्होंने एक कहानी सुना दी थी। मैं उस कहानी को दुहराना नहीं चाहता। मैं नहीं समझता कि मुल्क में कोई मेरी बड़ी शक्ति है। लेकिन यह शक्ति का सवाल नहीं है यह सिद्धान्त का सवाल है। चूंकि आप मुल्क से इस आक्रमण को हटाने में असफल रहे हैं और आपने जो नीति अपनायी वह सफल नहीं रही, इसलिए मैंने अपने भाषण में कहा था कि देश की जनता को उठाने के लिए, उसको जगाने के लिए और हिलाने डुलाने के लिए आप कोई ऐसा कदम उठाएं कि देश की जनता को पता लगे कि इसमें उसका हित है। अभी देश की जनता को यह महसूस कराना जरूरी है कि देश पर चीन ने हमला किया है और उसके अतिक्रमण को हटाने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति से जुटना चाहिए।

आखिर इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। हमारे विचारों में एक दूसरे से विभिन्नता हो सकती है लेकिन जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है इस में देश की जनता के एक-एक व्यक्ति को कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या आप देश की जनता को जगाने में समर्थ रहे हैं इस

बात के लिए कि जो आप उस से चाहते हैं उसे वह करने को तैयार है ? जाहिर है कि वह तैयार नहीं हो सकती है क्योंकि इस देश की जनता इस बात को जानती नहीं है कि हमारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। उस संदर्भ में मैंने यह कहा था। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप पुनः प्रधान मंत्री नहीं होंगे। सम्भवतः आप ही फिर प्रधान मंत्री होंगे। आपको यह वाजिब था कि इस मामले में जनतंत्रवादी तरीका अपनाते और खुले रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हम ने अब तक अपनी जनता को नहीं जगाया और अब हम अपनी देश की जनता को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप ने यह किया होता तो इस से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती और आपका इससे दर्जा ऊंचा होता। मैं आशा करता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार की नीति में अब दृढ़ता आयेगी। गोवा को हम जल्दी आजाद देखेंगे। अफ्रीका में जहां आज भी गुलामी के निशान बाकी हैं उन निशानों को हम खत्म करने में सफल होंगे। अल्जीरिया की सरकार कोजल्दी ही मान्यता ी जायगी और शान्ति के सवाल को लेकर हम गुलामी हटाने के सवाल को पीछे नहीं धकेलेंगे ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : मेरे विचार में गोआ और कांगो के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुत से स्थगन प्रस्ताव रखे गये हैं। मैंने इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता परन्तु जब इस पर विवाद ही हो गया तो मैंने उस समय ही अपने विचार प्रकट करने ठीक समझे । कांगो के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कटंगा के उपद्रवी सनिकों ने सड़क रोकने के लिए जो रूकावटें पैदा कीं और अड़ंगे लगाये थे, उन्हें हमारे सैनिकों ने ५ दिसम्बर को दूर कर दिया है। इस कार्य में एक गोरखा अधिकारी तथा अन्य तीन सैनिक मारे गये। दूसरे पक्ष के काफी लोग हताहत हुये जिसके बाद उसकी सेना एलिजाबैथविल हवाई अड्डे से हट कर दूर चली गयी । कटंगा के सैनिक ने अपनी कार्यवाही जारी रखी और उनके विमानों ने हवाई अड्डे पर तीन बम गिराये ; उन्होने भारी 'माटर' भी चलाये और मशीन गनों से गोलाबारी जारी रखी। इसके बाद भारतीय वायु सेना ने कार्यवाही की और विरोधी पक्ष को नष्ट कर दिया। भारतीय वायु सेना समूचे कांगो में ख्याति प्राप्त कर चुकी है और उसका व्यवहार अत्यन्त अनुशासनपूर्ण रहा है । मैं यह भी सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मेजर अजित सिंह जीवित हैं। यह जानकारी हमें प्राप्त हुई है और आशा है कि उन्हें शीघ्र ही रिहा कर दिया जायेगा।

संयुक्त राष्ट्र के संबंध में भारत की स्थिति का भी उल्लेख किया है। जो कुछ इस संबंध में कहा गया उससे ऐसा प्रतीत होता था कि हम अप्रत्यक्ष रूप से 'ट्रोइका' के सिद्धान्त का समर्थन करते हैं। वस्तुतः दो वर्ष पूर्व ही संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रधान मंत्री इस संबंध में अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण कर चुके हैं कि ट्रोइका का समर्थन इस कारण नहो करते हैं कि इससे विश्व के तीन भागों में बट जाने का खतरा है। हमारा यह मत है कि महासचिव के संबंध में ऐसा करना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पक्ष के प्रतिकूल है। वस्तुतः भारत ने महासचिव के पद के संबंध में जो अवरोध उत्पन्न हो गया था उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न किया है। इस बात से सभी सहमत हैं कि इस समय हमें एक ऐसा हल प्राप्त हो गया है जिससे सभी सहमत हैं ।

अब मैं पुर्तगाल का विषय लेता हूं। १७ नवम्बर, १९६१ को जब कि एक यात्रीपोत 'साबरमती' कारवाड़ से कोचीन अपने सामान्य मार्ग पर जा रहा था तो पुर्तगाली सेनाओ ने उन पर गोलियां चलाईं। इससे पोत के द्वितीय इंजीनियर श्री डी० पेन्हा घायल हो गये। इस संबंध में क्षेत्रीय समुद्र का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब युद्ध की स्थिति हो पुर्तगालियों ने गोली चलाने के पूर्व कोई चेतावनी नही दी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

२४ नवम्बर, १९६१ को एक भारतीय मछेरी नाव पर जो कि कारवाड़ से मछली मार कर लौट रही थी गोली चलाई। इन गोलियों से श्री कोकरेकर की मृत्यु हो गई।

इसके अतिरिक्त गोआ के विभिन्न भागों से गोलाबारी, दमन और सिंहात्मक कार्यवाहियों की सूचनायें आ रही थी। इसके अतिरिक्त गोआ में पुर्तगाली सेनाओं की नई टुकड़ियां पहुंच रही थीं। २५०० सैनिकों को गोआ सीमांत के उस भाग में भेजा गया था जो कि अभी तक बन्द किया हुआ था। पुर्तगालियों के दो फ्रीगेट अंडदीव द्वीप में भेजे गये। इस पर भारतीय नौसेना ने भी दो फ्रीगेट भेजे वे वहां आक्रमक कार्यवाहियों के लिये नहीं भेजे गये।

१ दिसम्बर को यह जानकारी मिली कि एक पुर्तगाली युद्धपोत ३०० सैनिकों को लेकर दीव पहुंचा है तथा २००० सैनिक अफ्रीका तथा अन्य स्थानों से भी उन क्षेत्रों में पहुंचे। कुछ दिनों पूर्व वहां प्रातः से सायं तक करफ्यू लगा दिया गया और यह घोषणा की गई कि करफ्यू भंग करने वाले को देखते ही गोली मार दी जायेगी।

इस प्रकार पुर्तगाली सेनायें सीमांत के निकट जम गई जिससे कि गोआ के निवासियों तथा सीमांत के इस पार रहने वालों में भय पैदा हो जाये। गोली मार कर भाग जाने की कई घटनायें हुई। आज से केवल २ दिन पूर्व सावन्तबाड़ी में आक्रमण किया गया। संक्षेप में गोआ की स्थिति आजकल इस प्रकार है।

स्वतंत्र पार्टी ने इस संबंध में यह कहा है कि हम कई मोर्चों में एक साथ लड़ रहे हैं इससे अन्य शत्रुओं के विरुद्ध हमारी शक्ति कम हो जायेगी। इसके समर्थन में उन्होने एक भूतपूर्व सेनाध्यक्ष के मत का उल्लेख किया। मैंने इस संबंध वर्तमान सेनाध्यक्षों से परामर्श किया है तथा किसी भी मोर्चे से ऐसी कोई सेना या उपकरण नहीं हटाई गई है जिससे दूसरे क्षेत्र में किसी प्रकार का खतरा पैदा हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए केवल न्यूनतम आवश्यक सेना को ही स्थानान्तरित किया गया है।

गोआ में यह सब होते हुए देख कर हम चुपचाप बैठे नहीं रह सकते हैं। यदि इन धमकियों के फलस्वरूप गोआ में और भीषण अत्याचार होते हैं और उसकी प्रतिक्रिया निकटवर्ती स्थानों में होनी आरम्भ होती है तो उस समय यह सभा या देश चुपचाप बैठे नहीं रह सकता हैं।

इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है कि भारत सरकार गोआ को स्वतंत्र करने का अभिमान करे। वस्तुतः हम अपने क्षेत्र को असुरक्षित नहीं छोड़ सकते हैं। सुरक्षा परिषद् में पुर्तगालियों ने हमारे प्रधान मंत्री की इस कारण भर्त्सना की है कि उन्होंने आवश्यक होने पर बल प्रयोग की धमकी दी है। हम आम जनता के समक्ष यह घोषित कर चुके हैं कि हम इस बात का निश्चय कि कब और कहां बल प्रयोग करना चाहिये स्वयं कर सकते हैं। हमारे देश ने अपने अधिकारों का हनन होने पर भी बल प्रयोग न करने की कसम नहीं खाई हुई है। वस्तुतः गोआ में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कोई भी उत्तरदायी सरकार चुपचाप बैठी नहीं रह सकती है।

पुर्तगालियों को हवाई सहायता भी मिल सकती है अतः सारी वायु सेना को सावधान कर दिया गया है। उन्होंने गोआ दमन और दीव के क्षेत्रों में हवाई अड्डों की भी व्यवस्था कर ली है और यदि हम काफी चौकन्ने नहीं रहेंगे तो इससे हमें हानि भी पहुंच सकती है। अतः भारत सरकार ने अपनी सेनाओं को आवश्यक स्थानों में नियुक्त कर लिया है।

वस्तुतः गोआ के लोगों को ही गोआ को मुक्त करना होगा और जब वे मुक्त हो जायें तो हम उन पर कोई अत्याचार न होने देंगे ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : भारत जिस तटस्थ नीति का पालन कर रहा है वह संविधान द्वारा निर्धारित की गयी है, इसलिये उसकी आलोचना न की जाये । दूसरी बात यह है कि इस नीति से हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं । क्योंकि उससे हमें अधिक प्रतिष्ठा मिली है । हम राष्ट्रमंडल में इसलिये रह रहे हैं कि हम सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण के संबंध चाहते हैं । हमारी नीति सक्रिय तटस्थता की रही है ।

यह कहना गलत है कि हमने चीन के साथ सन्धि की थी जिसके फलस्वरूप हमने उसे तिब्बत में घुसने दिया है । चीन ने संधि की होती या न की होती तब भी वह तिब्बत में घुस सकता था ।

हो सकता है कि हमारे राजदूत चीन के अतिक्रमण की जानकारी समय रहते प्राप्त नहीं कर सके, किन्तु यह सच है कि जिस देश को हम अपना मित्र समझते रहे उससे हमें अतिक्रमण की आशा नहीं थी और हम इस संबंध में तैयार न थे । हम चीन के साथ युद्ध नहीं कर सकते । हमें यह समझना चाहिये कि युद्ध कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें कई बातें आ जाती हैं जिसके लिये तैयारी बहुत आवश्यक है चीन के साथ वार्ता करने से हमें कुछ समय लग गया है और हम अपनी रक्षा के लिये तैयारी कर सकते हैं । खेद की बात है कि गोआ के संबंध में हमने जो कार्यवाही की उसका अनावश्यक प्रचार किया गया ।

हमें गोआ के बारे में कार्यवाही करनी चाहिये थी । उनके युद्धपोत समुद्र में रोके जा सकते थे । सीमा विषयक सभी जानकारी का गुप्त रखना नितांत आवश्यक है ।

हमारी नीति के कारण हमारी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हुई । हमने उस देश के साथ सीमा संबंधी विवादों को आदर्श ढंग से तय कर लिया है ।

हमें यह जानकर संतोष है कि सरकार अतिक्रमण करने वालों को हटाकर अपने क्षेत्रों पर पुनः आधिपत्य करने की अपनी नीति पर अटल रहेगी ।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनलवेली) : भारत सरकार की आलोचना और किसी भी नीति को लेकर चाहे की जा सके, परन्तु वैदेशिक नीति को लेकर नहीं की जा सकती । विरोधी दलों ने बार-बार स्वीकार किया है कि हमारी वैदेशिक नीति सर्वोत्तम है । सारे संसार में उसका सम्मान किया जाता है ।

अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं, इसलिये विरोधी दलों के लोग अपने चुनाव-प्रचार के लिये भारत सरकार की वैदेशिक नीति की असफलताओं की सूची गिनाने में लगे हैं । लद्दाख या गोवा में भारत सरकार की असफलता का ढिंढोरा पीटकर, वे जनता को अपने पक्ष में करना चाहते हैं । यदि कोई और दल सत्तारूढ़ होता तो इस समय देश पर विपत्ति और संकट की दुहाई देकर जनता से वोट मांगता, पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया । कांग्रेस देश के प्रति ईमानदार है, इसीलिये उसने देश की प्रतिक्षा को कमजोर नहीं बताया । उसने परिस्थिति से लाभ उठाने की कोशिश नहीं थी ।

कुछ सदस्यों ने तिब्बत की स्वतंत्रता की रक्षा न करने का आरोप सरकार पर लगाया है । क्या उन्हें मालूम है कि तिब्बत के कुछ लामा एक ओर तो भारत से बातचीत कर रहे थे और कुछ दूसरे लामा चीन के साथ संधि करने की कोशिश कर रहे थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री थानू पिल्ले]

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि भारत को अपनी सीमा पर कुछ दूसरे मित्रतापूर्ण राज्य रखने चाहियें। लेकिन पड़ौसी राज्यों को हम अपने आदेशों पर तो नहीं चला सकते। हमारी नीति किसी भी गुट में शामिल न होने की है। उससे हमें लाभ हुआ है और हो रहा है।

हमारी नीति शान्तिपूर्ण है। गोवा के पुर्तगाली शासक सम्माननीय ढंग से नहीं जाना चाहते। हम उनके विरुद्ध युद्ध नही करेंगे। लेकिन यदि पुर्तगाली शासक भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे, तो हमारी सेना उनको गोवा से खदेड़ देगी। पर हम कुछ लोगों को खुश करने के लिये तो गोवा पर आक्रमण नही कर सकते।

चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। प्रधान मंत्री ने कहा कि उस दुर्गम क्षेत्र में बिना किसी तैयारी के हम सीधी कार्यवाही नहीं कर सकते। विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि हमारी प्रतिरक्षात्मक तैयारियां पूरी तौर से नहीं की जा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि वे आलोचना के लिये ही आलोचना करना चाहते हैं।

कम्युनिस्ट सदस्या ने इण्डोचीन और अमरीका के बारे में तो कहा, पर उन्होंने लद्दाख पर चीनी अतिक्रमण का उल्लेख तक नहीं किया। अन्य सभी मसलों के बारे में उन्होंने सरकार को सलाह दी है।

संसद् ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि ब्रिटिश सरकार कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यवाही का पूरा समर्थन नहीं कर रही है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से स्पष्ट कह दिया है कि यदि सभी सदस्य देश ईमानदारी से सुरक्षा परिषद् के संकल्प पर अमल नहीं करेंगे तो हमें अपनी सेनायें भेजने के प्रश्न पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।

नेपाल और अन्य दक्षिण-पूर्वी देशों के बारे में सदस्यों ने कहा है कि चीन इसको हमसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। यह तो ठीक है लेकिन वे देश भी तो मूर्ख नही हैं। वे इसे समझते हैं, पर इस पर चीन से यह तो नहीं कह सकते कि यदि चीन भारत से मैत्री नहीं करेगा तो वे भी चीन से कोई संधि नहीं करेंगे।

उन देशों, विशेषकर नेपाल के साथ हमारे बड़े-बड़े हित जुड़े हुए हैं। नेपाल चीन से संधियां करके भारत की प्रतिरक्षा को कमजोर बना रहा है। इस पर विरोध प्रकट करने से कोई लाभ नहीं। सरकार को परिस्थिति पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। नेपाल के साथ अपने संबंध में सावधानी रखनी चाहिए।

पाकिस्तान भारत के साथ सीमा-विवादों के संबंध में करार करने के बाद भी भारत के विरुद्ध विषवमन करता रहता है। उसके साथ सामान्य प्रतिरक्षा की संधि करना देश के लिये घातक सिद्ध होगा। पाकिस्तान तो कश्मीर को हड़पना चाहता है।

अन्य छोटे देश चाहते हैं कि चीन के साथ तनातनी होने के कारण भारत को कई मामलों में दबाना चाहते हैं। लंका ने हाल में भारतीयों को नागरिकता से वंचित करने का विधान बना दिया है। भारतीय श्रमिक वहां पिछले १००-२०० साल से बसे हुए हैं। इसलिए उन पर अवैध आप्रवास का आरोप नहीं लगाया जा सकता। हमने लंका के साथ अच्छे संबंध बनाये रखने के लिये काफी कुछ किया, पर लंका ने उसका उत्तर टेढ़े होकर ही दिया है। हम उसके साथ मैत्री-पूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। प्रधान मंत्री को लंका में रहने वाले भारतीयों को अपमान और कष्टों से बचाने के लिये कुछ करना चाहिये। वे भारतीय हैं और उनका अपमान भारत का अपमान है।

मैं सरकार की वैदेशिक नीति का समर्थन करता हूं ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : मैं वैदेशिक नीति की सफलता के लिये प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं ।

भारत एक विशाल देश है । उसका इतिहास महान है ; परन्तु संसार का इतिहास उससे भी महान् है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के समय ही संसार दो बड़े-बड़े गुटों में बंटा हुआ था । उसका परिणाम युद्ध ही हो सकता था । परन्तु भारत ने किसी दल में शामिल न होने की नीति अपना कर विश्व में शान्ति बनाये रखना संभव बनाया है । इसका सर्वाधिक श्रेय हमारे प्रधान मंत्री को ही है ।

आज स्थिति यह है कि रूस और चीन दो बड़े-बड़े कम्यूनिस्ट देश हैं । दोनों देशों में तानाशाही है । इसमें सबसे बड़ा खतरा यही है कि व्यक्ति को ही सर्वाधिक शक्ति मिलने से वह शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है । यही खतरनाक होता है ।

चीन की जनसंख्या साढ़े छः क रोड़ है । युद्ध में यदि तीन करोड़ चीनी काम आजायें तो भी साढ़े तीन करोड़ बेच रहते हैं ।

आज संसार की शान्ति संयुक्त जर्मनी के निर्माण पर निर्भर है । जर्मनी को विभाजित रखना अमानवीय और अप्राकृतिक है । और वह सशस्त्र संयुक्त जर्मनी तटस्थ होना चाहिये दोनों शक्तियों के गुटों से अलग । तभी संसार में शान्ति रह सकती है ।

चीन और भारत के बीच कुछ विवाद खड़े होगये हैं । लेकिन मैं यह नहीं मानता कि वे सांघातिक विवाद हैं । विवाद वैधानिक क्षेत्राधिकार ऐतिहासिक दृष्टांत और वैधानिक अधिकार के बारे में ही है । ऐसे विवाद में युद्ध शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती । धैर्य और राजनीतिक सूझ -बूझ के साथ उसे निबटाया जा सकता है ।

आधुनिक संसार में प्रत्येक विवाद का निबटारा हथियारों से नहीं वार्ता द्वारा किया जाना चाहिये । श्री मी० रू० मसानी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते । जनता चीन के साथ युद्ध करने की उतावली नहीं है । इन दोनों महान देशों के विवाद का प्रभाव आगामी कई पीढ़ियों पर पड़ सकता है ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : वैदेशिक नीति के आलोचकों ने यह नहीं समझा है कि आधुनिक संसार में भारत क्या पार्ट अदा कर रहा है । उनको इतिहास का पुन : अध्ययन करना चाहिये ।

हमारी वैदेशिक नीति संसार में नयी-नयी संभावनाओं के द्वार खोलने की है । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी सफलता का मूल्याकंन इसी आधार पर किया जाना चाहिये ।

किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि हमारे प्रधान मंत्री की मास्को और वाशिंगटन-यात्राओं के कारण संसार का तनाव कुछ कम हुआ है । अब निशस्त्रीकरण की समस्या पर बातचीत तो होने लगी है ।

आलोचक जब इस क्षेत्र में भावुकता पक्ष पर अधिक जोर देते हैं, तब बुद्धि पक्ष निर्बल बना देते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उदाहरण के लिये, स्वतंत्रदल के प्रवक्ता ने अभी-अभी गोवा के प्रश्न पर कहा था कि प्राथमिकतायें पहले निश्चित कर ली जानी चाहियें। उनका मतलब था कि प्राथमिकता का निर्णय राष्ट्रीय हितों के नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर किया जाये। इसीलिये वे चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं।

श्री मी० रु० मसानी का चीन और गोवा संबंधी दृष्टिकोण विचारधारा के आधार पर निश्चित हुआ है। इसीलिये गोवा के बारेमें उन्होंने हमें खतरों से आगाह किया है। ब्रिटेन के अनुदारदली पत्रों ने भी ऐसी ही चेतावनी दी है कि गोवा को शस्त्रों के बल पर मुक्त कराने के प्रयत्न का परिणाम बड़ा बुरा होगा।

हमने पुर्तगालियों के अत्याचार काफी दिन तक सहन किये। क्या हम श्री मसानी की चेतावनी सुनकर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जायें? गोवा को मुक्त कराना है। परन्तु कब और कैसे इसका निर्णय तो सरकार ही करेगी।

यदि हमारी सेना ने पहल न की होती, तो कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती। कांगो का प्रश्न एक नैतिक प्रश्न है। आलोचक गण यह नहीं देखना चाहते कि आज नैतिकता और राजनय के क्षेत्रों में हमारे प्रधान मंत्री का कितना जबर्दस्त प्रभाव है। यह हमारे देश की एक ऐतिहासिक सफलता है।

बेलग्रेड सम्मेलन में यदि हमारे मंत्री ने भाग न लिया होता तो उसकी शक्ल दूसरी ही होती। तब उस सम्मेलन में युद्ध और शान्ति की समस्या पर इतना जोर न दिया जाता। उसमें भाग लेने वाले देश तब इतने तटस्थ भी न रह पाते।

बेलग्रेड हमारी दूसरी बड़ी सफलता है।

अलजीरिया के प्रश्न पर फ्रांस उसके साथ वार्ता कर रहा है। अलजीरिया का न्यायोचित पक्ष प्रबल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि अब हम अलजीरिया को तुरंत मान्यता दे दें।

हम यदि पूर्वी जर्मनी को भी मान्यता दें तो कोई हानि नहीं। दोनों जर्मनियों की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थायें इतनी भिन्न हैं कि अभी हाल में उनके संयुक्तिकरण की कोई आशा नहीं।

चीन के संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि हमें विवाद के क्षेत्र को अधिकाधिक संकुचित करने का प्रयास करना चाहिये। चीन अपनी हठधर्मी पर अड़ा है। अब सारा विवाद लद्दाख को लेकर ही है। गलती चीन की ही है। परन्तु हमें कोशिश करनी चाहिये कि चीन के साथ हमारे संबंध स्थायी तौर पर अच्छे रहें। तभी हम विश्व शान्ति के प्रयत्नों में सफल हो सकेंगे।

श्री जोक़ीम आल्वा (कनारा): स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में इतनी गम्भीर परिस्थिति पहले कभी नहीं थी। चीन, पाकिस्तान और गोवा—ये तीन विकट समस्यायें देश के सामने हैं। और श्री मसानी कहते हैं कि हम समस्याओं को बात करके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।

श्री मसानी ने प्रेसीडेण्ट कैनेडी का उल्लेख किया है। जब अमरीका यह सोच सकता है कि उसके पड़ोसी देश क्यूबा में प्रवेश करना उसकी सुरक्षा के हित में है, तब भारत के गोवा में प्रवेश करने पर किसे आपत्ति हो सकती है?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मसानी चुनावों की बात करते हैं, परन्तु स्वतंत्र पाटर्टी का तो यह हाल है कि उसके तीन बड़े-बड़े नेताओं को खड़े होने के लिये सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र तक नहीं मिल पा रहे हैं । इस गम्भीर परिस्थिति में हमें सोच-समझकर ही कोई कदम उठाना पड़ेगा ।

पुर्तगाली शासकों ने अंगोला में अमानवीय अत्याचार किये हैं । गोवा में भी वे अंगोला की कहानी दोहरा रहे हैं । हमारे कई संसद्-सदस्य गोवा की जेलों में रह आये हैं ।

लेकिन, जब हमारे बीच सहोदरा बाई जैसी वीरांगनायें मौजूद हैं तब हमें न चीन से डरने की जरूरत है, न गोवा से ।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र गोवा की सीमा से लगा हुआ है । देश की सारी जनता कहती है कि गोवा के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये । पर श्री मसानी की स्वतंत्रता पार्टी कहती है कि गोवा के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये । क्या सरकार को जनता की राय के बावजूद गोवा के मामले में हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाना चाहिये ? या सरकार को ढिंढोरा पीटना चाहिये कि वह कार्यवाही करने जा रही है ? श्री मसानी, ब्रिटेन के दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञों की भाषा में कहते हैं कि गोवा के विरुद्ध कार्यवाही करने के परिणाम भयंकर हो सकते हैं । भारत की स्वतंत्रता की मांग के सम्बन्ध में ब्रिटिश शासक भी यही कहते थे । अब समय आ गया है कि हम साम्राज्यवाद के रहे सहे अस्तित्व को भी भारत से मिटा दें । हमें गोवा-वासी भारतीयों की सहायता करनी चाहिये ।

श्री नाथ पाई ने प्रधान मंत्री से पूछा है कि क्या ख्रुश्चोव से भेंट के समय उन्होंने गोवा के सम्बन्ध में बातें की थीं । विदेशों के सम्माननीय अतिथियों से इस प्रकार बातें नहीं की जातीं ।

अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध बनायें । तब काश्मीर पर जो इतना पैसा खर्च होता है, उसकी बचत की जा सकेगी । हम दोनों मित्र और पड़ोसी हैं । दोनों को एक होना चाहिये । इसलिये कि चीन द्वारा मैकमोहन रेखा के अतिक्रमण की धमकी वास्तव में दोनों देशों की सीमाओं के लिये खतरा पैदा करती है ।

अपने देश के सभी दलों को राष्ट्र की सुरक्षा के प्रश्न पर एक होना चाहिये ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मेरा निवेदन है कि चीन द्वारा अतिक्रमण की जानकारी सभा को एक कार्य से अधिक काल तक नहीं दी गई । संभव है कि चीनियों ने अक्साई-चिन क्षेत्र में सड़क बनाने के अलावा एक और सड़क बना ली है ; सरकार ने यह जानकारी छिपा रखी है । सरकार बताये कि चीन द्वारा अतिक्रमण की घटनाओं की जानकारी सभा को क्यों नहीं दी गई । चीन द्वारा सीमा पर जिन क्षत्रों का अतिक्रमण किया गया है वे क्षेत्र दर्शाने वाले नक्शे में उपलब्ध किये जायें ।

हमें यह जानकर निराशा हुई है कि सरकार ने गोआ में पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं किया है किन्तु वह पुर्तगालियों द्वारा उकसाये जाने की प्रतीक्षा कर रही है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री नाथपाई तथा श्री भरूचा ने यह आरोप लगाया है कि सभा को तथ्य नहीं बताये गये हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब कभी उनका कोई दस्ता हमारे क्षेत्र में घुस आता है तो ऐसी प्रत्येक घटना की जानकारी सभा को देना संभव नहीं होता है । इन अतिक्रमणों का उल्लेख हमारे ३१ अक्तूबर के विरोध पत्र में किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में हर समय सभा को सूचित करना संभव भी नहीं है क्योंकि प्रायः ऐसा होता है कि जब चीनी लोग हमारी सीमा में घुस आते हैं और हमारे सैनिक उन्हें देखते हैं तो हमारी ओर से उस सरकार से लिखा पढ़ी शुरू होती है। इससे कुछ देर हो जाती है। कभी कभी तो यह होता है कि हमारे मंत्रालय लिखापढ़ी शुरू भी कर देता है और मुझे इसके बारे में जानकारी बाद को होती है। यह स्थिति चीन और पाकिस्तान दोनों के ही साथ है।

आज के वाद विवाद का मुख्य विषय चीन और गोआ ही है। चीन का उल्लेख तो मैं आज नहीं करूंगा क्योंकि उस दिन उसकी चर्चा कर चुका हूं। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं उसे महत्व नहीं देता। चीन के साथ हमारे जो विवाद हैं वे तथा हमारी सीमा पर उसके अतिक्रमण हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनके बारे में इस दृष्टि से कार्यवाही की जानी चाहिये। एक ओर जो महत्वपूर्ण बात उस चिनगारी को रोकना है अन्यथा वह विश्व को नष्ट कर देगी। किन्तु मेरा निवेदन है कि चीनियों के अतिक्रमण पर हम सही दृष्टिकोण से विचार करें और कार्यवाही करे। क्योंकि चीन की समस्या हमारी समस्या ही नहीं बल्कि समस्त एशिया की समस्या है। और इस समस्या के समाधान पर ही विश्व का, विशेष रूप से एशिया का, भविष्य निर्भर करता है। मैं मानता हूं कि यह बहुत ही महत्व का विषय है और रहेगा।

उनके द्वारा हमारे क्षेत्र में आक्रमण करने की बात को मैं बहुत महत्व देता हूँ। हम इसका विरोध करते हैं। यह विरोध एशिया के दो बड़े राष्ट्रों का विरोध है। हमें इस पहलू पर हर स्थिति को ध्यान में रखकर विचार करना होगा। चूंकि यह विषय हमारे लिये ही नहीं अपितु सम्पूर्ण एशिया के लिये महत्व का है अतः इस पर उस दृष्टि से विचार करना होगा।

श्री मसानी का कहना है कि प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता किस बात की निर्धारित की जाय। हमें तो अपनी सीमा की सुरक्षा करनी है जो हमारे लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। मेरा कहना तो यह है कि चीन और गोआ को एक स्तर पर रखना गलत होगा। हमें तो सदैव ही स्थिति का वह रूप लेना होता है जिससे अधिक से अधिक भला हो। कोई भी कार्यवाही करने से पहले हमें अच्छी तरह विचार करना होगा। हम इस प्रकार की समस्याओं का निपटारा भावात्मक आधार पर, अर्थात् अमुक साम्यवादी है और अमुक नहीं अथवा अमुक साम्राज्यवादी और अमुक नहीं, नहीं करना है।

जहां तक गोआ की बात है वह एक ऐसा छोटा-सा मामला है कि इसे हम अन्य समस्याओं से अलग भी कर सकते हैं। भले ही हम गोआ जाये या न जायें हमारी सीमा सम्बन्धी नीति न तो प्रभावित होगी और न कमजोर होगी। गोआ के प्रश्न को चुनावों के प्रयोजन से काम में लाया जा रहा है, यह आरोप निराधार है। गोआ में यह स्थिति अर्से से चली आ रही है। अफ्रीका में तथा अन्यत्र हुई घटनाओं ने भी उसे प्रभावित किया है।

गोआ में आज परिवर्तन हो रहा है। पुर्तगाल वालों ने वहां हमारे व्यापारिक जहाजों तथा मछुओं पर गोलियां चलाई हैं। गोआ भारत का ही अंग है उसे भारत संघ का क्षेत्र बनाना चाहिये पुर्तगालियों का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं रहा है। उनके इस व्यवहार के परिणामस्वरूप हमारे द्वारा कार्यवाही अपरिहार्य हो गई है। यह कार्यवाही क्या होगी यह एक अलग बात है। लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही करने से पहले इस बारे में व्यापक रूप से विचार करना चाहिये।

उसके बाद गोआ के अन्दर सख्त दमन किये जाने के समाचार आये। बताया जाता है कि यातनाओं के कुछ खराब घटनायें हुई हैं। फिर मछेरों पर और एक जहाज पर और सीमा के पार सावंतवादी में गोलियां चलाई गईं। यदि ये घटनायें अलग अलग होतीं, तो हमें क्रोध आता।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि गोआ की घटनाओं के बारे में हमारी प्रतिक्रिया क्या है। हमारी आलोचना की गई है कि हम ने धैर्य से काम लिया है। इसलिए हमारे लिये कुछ कार्यवाही करना अनिवार्य हो गया है। यह कार्यवाही क्या है, यह और बात है। मैं नहीं कह सकता कि जब पुर्तगालियों ने हमारे जहाज पर गोली चलाई, तो उन के मन में क्या था? यह कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने हमें उत्तेजित करने के लिये ऐसा किया था?

पुर्तगालियों की गोलाबारी से हमारे लिये अनिवार्य हो गया था, कि हम अपने जहाज भेजें और अपनी सेना भेजें।

इसका नतीजा अन्त में सिवाय इसके क्या होगा कि गोआ आजाद हो जाय। बीच के समय में क्या होता है, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह बहुत-सी बातों पर निर्भर है। पहला पग उठाने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि दूसरा पग और तीसरा पग क्या होगा। यह बात केवल गोआ पर नहीं, चीन के साथ सीमा पर भी लागू होती है। इसलिए हमें पर्याप्त तैयारी करनी पड़ेगी और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

श्री त्यागी का कहना ठीक है कि हम केवल बचाव की कार्यवाही कर रहे हैं। हम किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करने जा रहे। गोआ भारत का अंग है और हमारा है। किन्तु यह सच है कि कानून की दृष्टि में यह पुर्तगाली राज्य क्षेत्र है।

कुछ लोगों ने विशेषकर श्री नाथपाई ने कहा था कि हमें साहसी होना चाहिए मौ इस के हक में हूं, हर व्यक्ति को साहसी होना चाहिए किन्तु दुःस्साहस की कार्यवाही करना और बात है और किसी उत्तरदायी सरकार का दुःस्सास की कार्यवाही करना बिल्कुल अनुचित होगा।

श्री खाडिलकर ने ब्रिटेन के एक समाचारपत्र का अंश पढ़ा था। **डेली टेलीग्राफ** एक बहुत अच्छा समाचारपत्र है, किन्तु इसकी विचारधारा और भाषा श्री मसानी और उनके दल की विचार-धारा और भाषा बिल्कुल मिलती जुलती है।

श्री त्यागी ने तिब्बत के साथ की गई पुरानी ब्रिटिश सन्धि का उल्लेख किया है। क्या उन्होंने वह सन्धि पढ़ी नहीं है? वह सन्धि हमारे संदेश वाहकों और तार प्रणाली की रक्षार्थ कुछ भारतीय सैनिक रखने का उपबन्ध मात्र है। जब चीनी तिब्बत में घुस आये, तो इन सैनिकों को वापस बुला लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं था क्योंकि वे कब्जा करने के लिए नहीं भेजे गये थे। चाहे चीनी तिब्बत में आते या न आते, हमने उन्हें हटाना ही था, क्योंकि २०० सैनिक रखने का कोई अर्थ नहीं था।

माननीय सदस्यों का यह कहना निराधार है कि हमने तिब्बत के साथ विश्वासघात किया है। हमारे सैनिकों के वहां रह जाने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि हमारा युद्ध करने का और अपनी सेनायें भेजने का कोई इरादा नहीं था। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि ब्रिटिश प्रतिनिधि के स्थान पर अब हमारा प्रतिनिधि तिब्बत में वाणिज्य दूत कहलाने लगा। यदि हम चीन को बुरा भला कहते या उनकी कार्यवाही की निन्दा करते, किन्तु इसका चीनियों पर कोई प्रभाव न पड़ता। यह कहना कि तिब्बत हमारी कार्यवाही के कारण चीन के कब्जे में चला गया है, तथ्यों के प्रतिकूल है।

† **श्रीनाथ पाई** : आपने तिब्बत में चीनियों के कब्जे की निन्दा में एक शब्द भी नहीं कहा। यदि आप करते तो तिब्बत वालों को अत्यधिक नैतिक सहायता मिलती, चाहे वे सफल होते या नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य को याद होगा कि हमने उस स्थिति को स्वीकार किया था, जो साम्यवादियों के आने से पहले वहां थी।

१९११ में ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, जब कि दलाई लामा को तिब्बत से निकाल दिया गया था। वह काफ़ी समय तक भारत में रहे, जब तक कि चीन में क्रान्ति हुई। उस क्रान्ति के कारण तिब्बत पर चीन का कब्जा कम हो गया और दलाई लामा वापस चले गये। उस समय भी अंग्रेजों ने दलाई लामा की कुछ सहायता करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। अब फिर वही बात हुई है किन्तु अन्तर यह है कि अब चीन की सरकार मजबूत है, उस समय की तरह कमजोर नहीं है।

श्रीनाथ पाई ने हिम्मतसिंह जी के प्रतिवेदन के बारे में पूछा है। उस प्रतिवेदन के एक प्रतिवेदन में कहा गया है :

> "सीमा प्रतिरक्षा समिति की लगभग सभी सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं। केवल एक महत्वपूर्ण सिफारिश को जो कुछ सड़कें बनवाने के बारे में है, क्रियान्वित नहीं किया गया।"

हमने इस प्रश्न पर उस समय पर या कुछ समय बाद विचार किया था।

श्री नाथ पाई और अन्य लोगों ने हमें कहा है कि हमें चीन के साथ मैत्री के चित्र से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि चीन के साथ कोई सन्धि करते समय कुछ पूर्व शर्तें लगानी चाहिए कि कब्जा हटा लिया जायेगा इत्यादि। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि हमें चीन के साथ मैत्री का अधिक भ्रम नहीं है। वहां क्रांति होने के बाद ही हम समझ गये थे कि हमारी सीमाओं को किसी न किसी तरह खतरा हो सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि कैसा खतरा होगा।

हिम्मतसिंहजी समिति ने सीमाओं पर इन सब नई परिस्थितियों पर सविस्तार विचार किया था और अपनी राय दी थी। हमें मालूम था कि ऐसे प्रश्न उत्पन्न होंगे। और हमने कार्यवाही भी की। आप कह सकते हैं कि यह कार्यवाही अधिक सबल होनी चाहिए थी। यह कार्यवाही मुख्यतया उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी और लद्दाख में की गई थी। परन्तु मैं मानता हूं कि वे सब पग नहीं उठाये गये, जिनकी कि आवश्यकता थी। अतः यह विचार गलत है, कि हमने चीन को मैत्रीपूर्ण समझ कर कोई कार्यवाही नहीं की। चीन के साथ मैत्री हो या न हो, हमें इस पहलू का पूरा ध्यान रहा है। हम इस बात को उपेक्षा नहीं कर सकते थे कि चीन की नीति और इतिहास हमारे से भिन्न है और वह अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है। हम चीन को अपनी सीमाओं पर बैठा देख कर आत्म सन्तुष्ट नहीं हैं।

इस स्थिति को देखकर हमारी नीति यह है कि देश को जल्दी से जल्दी औद्योगिक रूप से सुदृढ़ किया जाये। इस सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना को और प्रतिरक्षा विज्ञान के विकास का बहुत महत्व है। यदि तीसरी पंचवर्षीय योजना छोड़ दी गई, जैसा कि एक सदस्य ने कहा है कि इसका अर्थ चीन के सामने घुटने टेक देना होगा, क्योंकि हमारे पास इस खतरे का मुकाबला करने के लिये कुछ नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि कृषि और उद्योगों के उत्पादन पर अधिक ज़ोर दिया जाये। सीमा

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्रों को विकसित करना वांछनीय है परन्तु वहां रहने सहने की जो परिस्थितियां हैं, उन्हें समझना चाहिए। हो सकता है कुछ तिब्बती वहां बस जायें, किन्तु और लोगों के लिए वहां बसना कठिन होगा।

अतः हमें इस समस्या पर दीर्घकालीन दृष्टि से विचार करना होगा और आजकल के सम्बन्ध नहीं बल्कि ५० वर्ष या १०० वर्ष बाद के सम्बन्धों को भी ध्यान में रखना होगा। यदि हम निरन्तर परस्पर शत्रुता में रहे, तो यह हमारे लिये, चीन के लिये तथा सारे एशिया के लिये विनाशकारी सिद्ध होगा।

हमें इस स्थिति का सामना पूर्णतः सनद्ध हो कर करना है। स्थिति को किसी अन्य दृष्टिकोण से देखना मात्र दुस्साहसी दृष्टिकोण अपनाना होगा।

अल्जीरिया की अस्थायी सरकार को मान्यता देने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। श्री त्यागी ने हमसे यह पूछा है कि चीन के राजदूत ने हमें इन बातों की जानकारी क्यों नहीं दी। इसका उत्तर यह है कि वे इस बात से अनभिज्ञ थे और उन्हें यह बातें मालूम नहीं हो सकती थीं। यह बात पेकिंग से ५००० मील पर हो रही थी। हमें आकसाइ-चिन क्षेत्र का समाचार तब ज्ञात हुआ जब कि यह समाचार चीनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तत्काल हमारे राजदूत ने उस ओर ध्यान आकर्षित किया।

निस्संदेह हमें अल्जीरिया के क्रान्तिकारियों से हार्दिक सहानुभूति है। हमने उन्हें नैतिक और राजनयिक तरीकों के अलावा अन्य तरीकों से भी उनकी सहायता की है। तथापि हमने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्यों उसे मान्यता देने से अल्जीरिया को कोई लाभ होगा। वस्तुतः हम इस पर अभी भी विचार कर रहेहैं और एक समय ऐसा आ सकता है जब कि हम उसे मान्यता प्रदान कर देवें।

पिछले वर्षों में अल्जीरिया तथा फ्रांस की सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कई बार बातचीतें हुई हैं। और सदैव ही यह आशा व्यक्त की गई है कि इससे कुछ परिणाम निकलेगा। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में कुछ ऐसा समझौता हो सकता है कि अल्जीरिया को स्वतंत्र और आजाद कर दिया जाये। अतः ऐसे समय केवल हमारे मान्यता देने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा। अपितु इससे कुछ रुकावटें ही पैदा हो सकती हैं क्योंकि उन्हें सहायता पहुंचाने के अन्य मार्ग अवरुद्ध हो जायेंगे। मेरा आशय केवल यह है कि हमें अल्जीरिया के स्वाधीनता संग्राम से पूरी सहानुभूति है। केवल मान्यता के प्रश्न पर हमारा विश्वास है कि इससे लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना है। इससे फ्रांस के लिये हमारे अनुरोधों का कोई मूल्य नहीं रह जायेगा। इस समय फ्रांस की सरकार हमारे मत की कुछ परवा करती है। इसके लिये सदैव के लिये मार्ग बन्द हो जायेगा।

अब मैं बर्मा और नेपाल से चीन की सन्धियों का उल्लेख करना चाहता हूं। निस्संदेह ये दोनों स्वतंत्र देश हैं और जो भी चाहे कर सकते हैं। नेपाल ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिनसे हम पूरी तरह सहमत नहीं हैं। बर्मा ने भी हमारी मित्रता के बावजूद उनसे अपनी तरह का समझौता करना निश्चय किया है। निस्संदेह उनके दृष्टिकोण से उनको लाभ होगा। तीन सीमाओं के मिलने के स्थान के सम्बन्ध में बर्मा यदि चाहता तो इस सन्धि से इन्कार कर सकता था। तथापि उस मूल भूत बात पर कोई समझौता नहीं हुआ। सीमा समझौता इस बात पर आधारित है कि हिमालय की चोटियां से सीमा का निर्धारण किया जायेगा। चीन के साथ सीमा सम्बन्धी विवाद में हमारा मत सर्वदा यही रहा है। बर्मा और नेपाल के साथ सन्धि में चीन ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है तथापि भारत के साथ वे इससे इन्कार कर रहे हैं। मेरे कथन का आशय यह है कि इन सन्धियों से हम भले ही सहमत नहीं हों तथापि भारत के लिये ये हानिकारक नहीं हैं।

वस्तुतः आज हम किसी भी विषय पर एकाकी रूप से विचार नहीं कर सकते हैं। भारत एक बड़ा देश है जो कुछ वह करता है उसका समस्त विश्व में प्रभाव होता है। अतः जो कुछ भी हम करें हमें उससे होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिये।

मैं श्री जगन्नाथ राव के स्थानापन्न प्रस्ताव से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बलराज मधोक का स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जगन्नाथ राव के स्थानापन्न प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात्—

यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के बाद भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार ८ दिसम्बर, १६६१/१७ अग्रहायण, १८८३ (शक) के ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुरुवार, ७ दिसम्बर १९६१

१६ अग्रहायण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . .	१७७९—१८०२
तारांकित प्रश्न संख्या		
६४६	कृषि-आर्थिक केन्द्र	१७७९—८१
६४८	दिल्ली में बिजली का बन्द हो जाना . . .	१७८१–८२
६५१	तृतीय योजना के लिये उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव . .	१७८२—८४
६५२	हुगली नदी में रेडियमधर्मी रेत सम्बन्धी प्रयोग . .	१७८४–८५
६५३	राज्यों में खाद्य संभरण . .	१७८५—८७
६५४	कृषि के औजार	१७८७—९०
६५५	मध्य प्रदेश में फ्लाइंग एवं ग्लाइडिंग क्लब .	१७९०–९१
६५६	परिवहन विशेषज्ञों की समिति . .	१७९१—९४
६५७	ढिलवां में आग	१७९४–९५
६५८	इटावा के जिला परिषद् अध्यक्ष की हत्या . .	१७९५–९६
६५८-क	दिल्ली में तापीय संयंत्र .	१७९६–९७
६५९	दिल्ली में तपेदिक के रोगी	१७९७–९८
६६०	रेलों पर ब्रेक्समैन . . .	१७९८–९९
६६१	पश्चिम बंगाल को मछली का संभरण	१७९९–१८००
६६२	कावेरी नदी के पानी का उपयोग .	१८००–०१
६६५	पिछड़े समुदाय .	१८०१–०२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	१८०२—७०
तारांकित प्रश्न संख्या		
६४७	हुगली नदी में डूबा हुआ हालैंड का जहाज़ . .	१८०२–०३
६४९	सहकारी शिक्षा सम्बन्धी गोष्ठी . . .	१८०३
६५०	वनस्पति में रंग मिलाना . . .	१८०३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
६६२-क	बम्बई बन्दरगाह का आधुनिकीकरण	१८०३–०४
६६३	भाड़ा दरों का विनियमन करने के लिये संविहित अधिकार	१८०४
६६४	हसन-मंगलौर रेलवे लाइन	१८०४–०५
६६६	तीन गुण वाले टीके का उत्पादन	१८०५
६६६-क	दिल्ली में चक्षु बैंक	१८०५–०६
६६७	माल तथा सवारी डिब्बों का निर्यात	१८०६
६६८	ब्रह्मपुत्र नदी पर बाढ़ नियंत्रण कार्य	१८०६–०७
६६६	दिल्ली में खाना बनाने और औद्योगिक कार्यों के लिये गैस ईंधन	१८०७
६७०	रासायनिक उर्वरक	१८०७–०८
६७१	केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद्	१८०८
६७२	डाक तथा तार का नया सब-डिवीज़न	१८०८
६७२-क	कृषि आयोग	१८०८
६७२-ख	अमरीका से आयात किया गया गेहूं	१८०६
६७३	रेलवे दुर्घटनायें	१८०६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४२६	लुधियाना में कृषि विश्वविद्यालय	१८१०
१४२७	परादीप पत्तन	१८१०
१४२८	आदर्श नगर आयोजन विधान	१८१०
१४२६	देश में चेचक का रोग	१८१०
१४३०	वन सम्पत्ति	१८११
१४३१	नई दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज	१८११
१४३२	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन	१८१२
१४३३	खोसला समिति का प्रतिवेदन	१८१२–१३
१४३४	भाखड़ा नंगल परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई और विद्युत कार्य	१८१३
१४३५	बटाला में क्वार्टर	१८१३
१४३६	पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण	१८१३–१४
१४३७	विजयवाड़ा में ऊपरी पुल	१८१४
१४३८	दिल्ली स्टेशन पर पुश बटन सिगनल	१८१४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४३९	सिंगनपुर में पीने का पानी	१८१५
१४४०	छोटी सिंचाई योजनाएं	१८१५
१४४१	छोटी सिंचाई योजनायें	१८१५
१४४२	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	१८१६
१४४३	मोटर कारों पर देवनागरी अंक	१८१६
१४४४	दुर्गापुर का इस्पात कारखाना	१८१६–१७
१४४५	व्यास बांध पर मुकेरियां–तलवाड़ा रेल सम्पर्क	१८१७
१४४६	आंध्र प्रदेश में टेलीफोन और डाक तथा तार घर	१८१७
१४४७	महबूबाबाद स्टेशन पर ऊपरी पुल	१८१७–१८
१४४८	पठानकोट स्टेशन के लिये मास्टर प्लान	१८१८
१४४९	आन्ध्र प्रदेश के लिये उर्वरक	१८१८
१४५०	राजस्थान की केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्था	१८१८–१९
१४५१	दामोदर घाटी निगम की चन्द्रपुर योजना	१८१९
१४५२	पुरुलिया में रेलवे लोको शेड	१८१९–२०
१४५३	कलकत्ता पत्तन के लिए ड्रेजर	१८२०
१४५४	दूध का उत्पादन तथा खपत	१८२०–२१
१४५५	भारत-लंका विमान यातायात वार्ता	१८२१
१४५६	खजुराहो में हवाई अड्डा	१८२१
१४५७	हरिद्वार में कुम्भ के मेले के लिये व्यवस्था	१८२१–२२
१४५८	रेलवे के लिये विश्व बैंक का ऋण	१८२२
१४५९	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का संशोधन	१८२२–२३
१४६०	नागार्जुनसागर परियोजना	१८२३
१४६१	बांसवाड़ा को चम्बल की बिजली	१८२३
१४६२	देहरादून वन गवेषणा संस्था	१८२३
१४६३	बिहार में नलकूप द्वारा सिंचाई	१८२४
१४६४	पाकिस्तान को चीनी का निर्यात	१८२४
१४६५	मौलाना आजाद मैडिकल कालेज, नई दिल्ली	१८२४–२५
१४६६	प्रसंकर मक्का	१८२५
१४६७	परिवार नियोजन	१८२५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या		
१४६८	कैंसर . .	१८२५–२६
१४६६	दिल्ली में क्षय रोगियों का घर पर इलाज	१८२६
१४७०	दिल्ली में चर्म रोग . .	१८२६
१४७१	लुधियाना में रेल का ऊपरी पुल . . .	१८२६
१४७२	सहकारिता विकास . .	१८२७
१४७३	चीनी का निर्यात . .	१८२७
१४७४	राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम . .	१८२७–२८
१४७५	ग्रांड ट्रंक ऐक्सप्रेस गाड़ी में खाने का डिब्बा . .	१८२८
१४७६	माही नदी घाटी का विकास	१८२६
१४७७	नगर आयोजन तथा विकास परियोजनायें .	१८२६
१४७८	वन अनुसंधान संस्था, देहरादून . .	१८३०
१४७६	छोटी सिंचाई योजनायें .	१८३०–३१
१४८०	खड़गपुर में आकस्मिक श्रमिक	१८३१
१४८१	मनी आर्डर . . .	१८३१
१४८२	संयुक्त राज्य अमरीका से दूध का पाउडर . .	१८३१–३२
१४८३	डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियां	१८३२–३३
१४८४	डाक तथा तार कर्मचारियों का स्थायीकरण	१८३३
१४८५	रेलवे दुर्घटनायें .	१८३३–३४
१४८६	टी० बी० सील की बिक्री	१८३४
१४८७	केरल में अन्तर्देशीय जल परिवहन .	१८३४
१४८८	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन .	१८३५
१४८६	भीम नदी पर रेलवे पुल में पुनः गरडर डालना .	१८३५–३६
१४६०	दामोदर घाटी निगम .	१८३६
१४६१	राज्यों के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन . .	१८३६
१४६२	अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद्	१८३७
१४६३	कारों की नम्बर की तख्ती	१८३७
१४६४	दिल्ली में प्रसूति केन्द्र . .	१८३८
१४६५	नदी घाटी परियोजनाओं का व्यय	१८३८
१४६६	रानीगंज के पास रेलगाड़ी की टक्कर . .	१८३८

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)	
१४९७	मदुरै सेक्शन पर रेलगाड़ी का लाइन से उतर जाना .	१८३९
१४९८	त्रिपुरा में सहकारी न्यायाधिकरण . . .	१८३९
१४९९	त्रिपुरा में आरक्षित वन क्षेत्र	१८३९-४०
१५००	सहकारिता प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय बोर्ड . .	१८४०
१५०१	ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा भारत में चलाये जा रहे अस्पताल .	१८४०
१५०२	इलायची के दाम	१८४०-४१
१५०३	गोहाटी के माल गोदाम का हटाया जाना .	१८४१
१५०४	संयुक्त सहकारी खेती .	१८४१-४२
१५०५	शाहगंज--मऊ लाइन . .	१८४२-४३
१५०६	शाहगंज-मऊ सैक्शन पर सुधार	१८४३-४४
१५०७	रेलमार्ग (ट्रैक) का नवीकरण .	१८४४
१५०८	एशियाई रेलवे सम्मेलन	१८४४-४५
१५०९	दिल्ली में गाय और भैंस पर कर . .	१८४५
१५१०	नई दिल्ली नगरपालिका . . .	१८४५
१५११	नई दिल्ली नगरपालिका का पशु-चिकित्सालय .	१८४६
१५१२	नई दिल्ली स्टेशन पर रेल गाड़ी सेवा .	१८४६
१५१३	माता टीला बांध परियोजना .	१८४६-४७
१५१४	पारोर स्टेशन का स्थान परिवर्तन	१८४७
१५१५	वैल्लोर (मद्रास) का सरकारी अस्पताल	१८४७
१५१६	उत्तर अर्काट जिला में अतिसार रोग	१८४७-४८
१५१७	देश में हैजा .	१८४८
१५१८	उर्वरक विपणन निगम .	१८४८
१५१९	महाराष्ट्र में नगरीय जल संभरण .	१८४८-४९
१५२०	महाराष्ट्र में गिराना परियोजना . .	१८४९
१५२१	महाराष्ट्र में नासिक जिले में ग्राम्य विद्युतीकरण	१८४९
१५२२	रेलगाड़ियों में 'हॉट बोक्सेज'	१८४९-५०
१५२३	रेलवे साइडिंग .	१८५०-५१
१५२४	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारी	१८५१
१५२५	दिल्ली का चिड़ियाघर . .	१८५१-५२

1646 (Ai) LSD—9.

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५२६	यातायात परिचालक कर्मचारी . . .	१८५२
१५२७	आग बुझाने वाले जहाज	१८५२–५३
१५२८	घोवरडोह स्टेशन से सामान भेजना .	१८५३
१५२९	पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के डायरेक्टर . .	१८५३–५४
१५३०	प्रमुख अनाजों और व्यापारिक फसलों का मूल्य	१८५४
१५३१	केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़कें)	१८५५
१५३२	प्रयोगशालाओं में पशुओं की चीरफाड़ .	१८५५–५६
१५३३	नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन डाक्टर	१८५६–५७
१५३४	कांगड़ा के भरमार सब पोस्ट आफिस में तार और टेलीफोन सुविधाएं	१८५७
१५३५	उड़ीसा के डाक तथा तार सर्किल की क्रमोन्नति	१८५७–५८
१५३६	उड़ीसा के रेलवे डाक सेवा सेक्शन	१८५८
१५३७	उड़ीसा में दूर संचार प्रणाली .	१८५८
१५३८	डाक वितरण .	१८५९
१५३९	फेफना स्टेशन पर टीन का शेड	१८५९–६०
१५४०	मक्खन निकले दूध का पाउडर .	१८६०
१५४१	मनीपुर में ओलों की वर्षा	१८६०
१५४२	मनीपुर में चीनी . .	१८६०–६१
१५४३	मानमदुरै और कन्याकुमारी के बीच रेलवे लाइन	१८६१
१५४४	उतरोला स्टेशन आउट एजेंसी	१८६१
१५४५	राप्ती के तट पर नया स्टेशन .	१८६२
१५४६	गोरखपुर से लखनऊ को विशेष रेलगाड़ी	१८६२
१५४७	गोण्डा में रेलवे बस्ती	१६२–६३
१५४८	गाड़ी का पटरी से उतरना	१८६३
१५४९	दिल्ली से शाहदरा का रेल-भाड़ा .	१८६४
१५५०	आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	१८६४
१५५१	आन्ध्र प्रदेश में वन विकास . .	१८६४
१५५२	सैलम-बंगलौर रेलवे लाइन के लिए अनुपूरक बजट अनुदान .	१८६५
१५५३	बुढ़ाल मध्यम तालाब परियोजना	१८६५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१५५४ अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय १८६५

१५५५ अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के कम्पाउन्डर. १८६६

१५५६ अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय १८६६

१५५७ पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १८६६

१५५८ दिल्ली में चिड़ियाघर . १८६७

१५५९ कलकत्ते के चारों ओर सर्कुलर रेलवे १८६७

१५६० फसल बीमा योजना . १८६७–६८

१५६१ यूगोस्लाविया द्वारा जहाजों का निर्माण . . . १८६८

१५६२ इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के यात्रा रद्द करने के नियम तथा विनियमन . . १८६८

१५६३ भारत-पश्चिम जर्मनी विमान सेवा . १८६९

१५६४ रेलगाड़ी में सेवा अधिकारी की हत्या १८६९

१५६५ यातायात परिचालक कर्मचारी १८६९–७०

१५६५-क जयन्ती शिपिंग कम्पनी १८७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १८७०–७१

श्री स० मो० बनर्जी ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लगभग आधे विमानों को काम में न लाने और उसके फलस्वरूप यात्रियों को होने वाली असुविधा की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाया ।

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८७२–७३

(१) वर्ष १९६१ के लिए भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक की वार्षिक रिपोर्ट (भाग २) की एक प्रति ।

(२) "फाइट अगेन्स्ट दी डेजर्ट-प्राग्रेस आफ वर्क एट सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर" नामक पुस्तिका की एक प्रति ।

(३) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड और वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड (जिन्हें २ अक्तूबर, १९६१ को एक साथ मिला कर शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड बना दिया गया) की वर्ष १९६०–६१ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--(जारी)

(४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २८ नवम्बर, १९६१ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१० में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, १९६१ की एक प्रति ।

(५) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित रिपोर्टों की एक-एक प्रति :

(एक) वर्ष १९६०--६१ के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक **प्रतिवेदन** ।

(दो) वर्ष १९६०--६१ के लिए एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(६) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :--

(एक) औद्योगिक रोजगार करने वाले श्रमिकों को बोनस देने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक आयोग स्थापित करने सम्बन्धी दिनांक ६ दिसम्बर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी०--२०(६)/६१ ।

(दो) दक्षिण भारत के बारे में अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में चाय बागान उद्योग कलकत्ता के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों का विवरण ।

संसदीय समितियों के कार्यवाही-सारांश--सभा पटल पर रखे गये . १८७३

(एक) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की पन्द्रहवें अधिवेशन में हुई बैठकों (इक्यानवेवीं और बानवेवीं) के कार्यवाही-सारांश ।

(दो) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की पन्द्रहवें सत्र में हुई छब्बीसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश ।

(तीन) याचिका समिति की पन्द्रहवें सत्र में हुई बैठकों (सत्तावनवीं और अट्ठावनवीं) के कार्यवाही-सारांश ।

राज्य सभा से सन्देश १८७४

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :--

(१) कि राज्य सभा अपनी ४ दिसम्बर, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २५ नवम्बर, १९६१ को पास किये गये प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९६१ को पास किये गये उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६१ के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ।

विषय पृष्ठ

याचिका समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . १८७४

चौदहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . १८७४

एक-सौ चवालीसवां और एक सौ छियालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये ।

याचिका उपस्थापित १८७४

श्री पुन्नुस ने केरल में बेरोजगारी को दूर करने के विचार से केरल के नारियल-जटा उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में अम्बालापुजा और शेरटल्लई ताल्लुकों के ८६,००० याचिकाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश की ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . . . . . १८७४—७६

(१) परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन) ने डाक विभाग को ठगने के बारे में श्री राम कृष्ण गुप्त के तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के २५ नवम्बर, १९६१ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

(२) गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य-क्षेत्रों की प्रशासन-व्यवस्था के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना . १८७६

धार्मिक न्यास विधेयक, १९६० सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का नियत समय ३१ मार्च, १९६२ तक और बढ़ा दिया गया । **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . . १८७६—१९०२

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाय । श्री बलराज मधोक और श्री जगन्नाथ राव ने स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये । श्री जवाहरलाल नेहरू ने वाद विवाद का उत्तर दिया । श्री बलराज मधोक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ और श्री जगन्नाथज राव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा चर्चा समाप्त हुई ।

शुक्रवार ८ दिसम्बर, १९६१/१७ अग्रहायण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

लौह अयस्क खानें श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक पर चर्चा तथा पारित करना और गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1646 (Ai) 11-1-62—125.